Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ४३वां दिवस [संख्या २३

सोमवार, २४ मार्च, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

भूतपूर्व रियासतों में मनाये जाने वाले त्यौहार

७८२. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व रियासतों में क्या क्या त्यौहार हर माह में हुआ करते थे ? इनमें से कौन-कौन से अभी तक जारी हैं और कौन-कौन से बन्द हो गये हैं तथा इनके बन्द होने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार इन त्यौहारों को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ व्यय करती है ?

(ग) अगर हां, तो कहां-कहां और कितना कितना ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) राजस्थान की रियासतों के समय में जो त्यौहार हर महीने मनाये जाते थे, उसकी एक सूची संलग्न है ।

(ख) जी हां । कोई त्यौहार बन्द नहीं हुआ ।

(ग) यह त्यौहार अब जनता द्वारा मनाये जाते हैं, सरकार कुछ व्यय नहीं करती है, कभी कभी प्रदर्शनी व पशु मेले आदि का प्रबन्ध कर दिया जाता है ।

(घ) हां, उत्तर के अनुसार यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार जनता के मनोरंजन और व्यापार की दृष्टि से यह उचित नहीं समझती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उचित तो समझती है, लेकिन सरकार की तरफ से मनाने में दिक्कतें हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या कोटा में दशहरे पर सरकार द्वारा सहायता मिली थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेले के लिये सहायता देना एक बात है और जो त्यौहार धार्मिक रूप में मनाये जाते हैं, उनको सहायता देना दूसरी बात है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार इस प्रकार के त्यौहारों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई उचित कदम उठा रही है ?

Page No.2

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग अलग जगह की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस नगर में एक मेला लगता है, ठीक है उसको सहायता देने का प्रयत्न करते हैं; जैसे कोटा के अन्दर एक मेला लगता है, उस मेले के अन्दर सहायता दी जाय, इसका प्रयत्नों करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जोधपुर में भी दशहरे का मेला मनाया जाता है, उसक सहायता देना सरकार आवश्यक नहीं मानती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ, म्युनिसिपेलिटी द्वारा सहायता मिलती है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति

७८३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) छात्रवृत्ति के फॉर्म शिक्षा संस्थाओं में भेजने की क्या व्यवस्था है ?

(ख) क्या भेजने से पहले प्रधानाध्यापकों से उनके स्कूल में समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की सूची मांगी जाती है ?

(ग) यदि हां, तो तहसील कोटपुतली की किस-किस स्कूल से कब-कब मांगी गई और उनका क्या जवाब आया, उस पर क्या अमल किया गया तथा किस-किस तारीख को कितने कितने फार्म्स किस-किस स्कूल को भेजे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(घ) यदि नहीं भेजे गये तो क्यों ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) छात्रवृत्ति फॉर्म संबन्धित सहायक संचालकों द्वारा वितरित किये जाते हैं, जिनके भेजने की व्यवस्था निम्न प्रकार है :

(१) प्रत्येक जिले के स्कूलों के हैडमास्टर एवं कॉलेजों के प्रिन्सिपल के पास भेजे जाते हैं, जहां गत वर्ष छात्रवृत्ति वितरित की गई है अथवा जिनसे छात्रवृत्ति फॉर्म की मांग प्राप्त हुई है।

(२) विभागीय निरीक्षकों को यथेष्ट मात्रा में वितरण करने हेतु भेज दिया जाता है।

(३) अन्य किसी संस्था, समाज सेवक, सदस्य विधान सभा व छात्र की मांग आने पर आवश्यक संख्या में फॉर्म्स भेजे जाते हैं।

(४) जो सज्जन स्वयं संचालक, समाज कल्याण विभाग से तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों से स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी दे दिये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जैसा कि प्रश्न (ख) के जवाब में स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से छात्रों की सूची नहीं मांगी जाती। अतः तहसील कोटपुतली से इसकी सूची आदि मांगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अलबत्ता तहसील कोटपुतली के अनेक स्कूलों को फॉर्म्स भेजे गये, जिसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) उत्तर प्रश्न (क) के जवाब में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : आपने प्रश्न के भाग (ख) का जवाब दिया, 'जी नहीं', तो क्या आप फॉर्म्स भेजने के लिये यह आवश्यक नहीं मानते कि पहले उनकी संख्या मंगा ली जाय ?

श्री भीखाभाई : जैसा कि आपको बताया गया है, आपके यहां से जो संख्या आयी है, वह ३२२ है और उतने ही फॉर्म्स कोटपुतली भेज दिये गये।

श्री रामकरणसिंह : मेरा अर्ज करना यह था कि जो आपने 'ख' के उत्तर में 'जी नहीं' कहा, तो मेरा यह सवाल है कि क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि पहले स्कूलों से कितने फॉर्म्स चाहिए इस प्रकार की संख्या मंगा ली जाय ताकि कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल सके?

श्री भीखाभाई : यह तो आपका सुझाव है, दरअसल ऐसा है कि जहां-जहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का एरिया है, कई जगह ऐसी हैं जहां केवल शिड्यूल्ड कास्ट ही कॉन्स्टीट्यूट है; ऐसी हालत में जितनी-जितनी मांग आती है, आवश्यकतानुसार फॉर्म्स भेज दिये जाते हैं।

महिला कॉलेजों में संगीत-शिक्षण की व्यवस्था

८८४. **डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान के सभी महिला कॉलेजों में संगीत-शिक्षण की व्यवस्था है?

(२) संगीत शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होता है या होबी के रूप में छात्राओं के सीखने का अवसर दिया जाता है?

(३) महारानी कॉलेज, जयपुर में दो संगीत शिक्षिका रखने के पीछे सरकार का क्या प्रयोजन है?

(४) उक्त कॉलेज में तबला-वादक की अब तक स्थायी नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां, सिवाय उदयपुर इन्टर कॉलेज के।

(२) युनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। केवल महारानी कॉलेज, जयपुर में यह कोर्स होबी की तरह भी रक्खा गया है।

(३) छात्राओं को अधिक कुशल बनने के लिये। युनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार दो शिक्षिका चाहिए, एक वोकल म्युज़िक के लिये दूसरी इन्स्ट्रूमेन्टल म्युज़िक के लिये।

(४) यह अभी सरकार के विचाराधीन है। यह स्थान पार्ट टाइम है, जिसके लिये केवल पचास रुपये माहवार दिया जाता है। योग्य व्यक्ति न मिलने से कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया गया है, पिछले व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया था।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है, महारानी कॉलेज में जो संगीत शिक्षण होता है, वह भी कॉलेज अवर्स के बाद केवल होबी के रूप में होता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया होबी के रूप में होता है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो समय जानना चाहती हूं। क्या कॉलेज के समय के बाद होता है या कॉलेज आवर्स में?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में मेरे पास निश्चित जानकारी नहीं है। जानकारी करके बता सकता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : महारानी कॉलेज में होबी के रूप में जो संगीत शिक्षण चालू है,

Page No.4

(डॉ० चन्द्रकला)

उसको सरकार ने क्यों जरूरी समझा जब कि एक दूसरी संस्था इसके लिये अलग से चालू है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिये कि वहां लड़कियां सब से ज्यादा तादाद में हैं और इसमें होबी के तौर पर दिलचस्पी रखती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि महारानी कॉलेज की आचार्या ने शिक्षा मन्त्री महोदय को यह बताया था कि दो संगीत शिक्षिकाओं के लिये पर्याप्त काम नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे याद नहीं आता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि महारानी कॉलेज के लिये जो संगीत शिक्षकाओं की नियुक्ति की है वह कॉलेज की आवश्यकतानुसार न होकर किन्हीं व्यक्तियों को एडजस्ट करने के लिए की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

पुरुषार्थियों के लिये दुकानों का निर्माण

७८५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ शरणार्थियों के लिये कहां-कहां दुकानें बनायी जा रही हैं ?

(ख) इन दुकानों के बनाने में सरकार का कितना खर्चा हुआ ?

(ग) सरकार को इन दुकानों से वार्षिक आमदनी क्या होती है ?

(घ) क्या टौंक डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी दुकानें हैं ? अगर हां, तो कहां-कहां और कितनी-कितनी ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्या सरकार टौंक डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े कस्बों में दुकानें बनाने के लिए तैयार है ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) इस समय पुरुषार्थियों के लिये कहीं दुकानें नहीं बनाई जा रही हैं। यदि माननीय सदस्य का मतलब जो दुकानें शरणार्थियों के लिए बनायी जा चुकी हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जैसा कि प्रश्न के (ख) भाग से मालूम होता है, तो सूचना इस प्रकार है :

डिवीज़न	पक्की दुकान	लकड़ी की स्टॉल
अजमेर	३९१	१६४
उदयपुर	....	७५
जोधपुर	२४०	....
कोटा	१३६	१००
बीकानेर	१३२	२२५
योग	९०३	५६४

डिस्ट्रिक्ट	पक्की दुकान	लकड़ी का स्टॉल
जयपुर	३५७	१६४
उदयपुर	...	७५
बीकानेर	८२	....
गंगानगर	५०	८५
चूरू	....	१४०
कोटा	११६	१००
बून्दी	२०	....
जोधपुर	१८०	....
पाली	६०	...
अजमेर	८	....
भरतपुर	३०	...
योग	९०३	५६४

(ख) १२,७१,७८८ रु०-० आ०-३ पाई

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ग) ये दुकानें भारत सरकार द्वारा दी गई रकम से बनायी गई हैं जो राज्य सरकार को कर्जे के रूप में मिली थी। दुकानों की जो कीमत शरणार्थियों से प्राप्त होती है, वह भारत सरकार के कर्जे के पेटे चुकायी जाती है। इसलिए राज्य सरकार को इन दुकानों से वार्षिक आमदनी होने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) भारत सरकार ने नये मकान व दुकानें बनाने की योजना को बन्द कर दिया है। इसलिये कोई नई दुकानें बनाना संभव नहीं होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : भारत सरकार से दुकानें बनाने के लिए कितना मिला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, इन दुकानों को बनाने में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ, वह खर्च १२,७१,७८८ रु० ० आ० ३ पाई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये दुकानें बनाई हैं, इनमें ऋण कितना लिया, यह पूछ रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : खर्चा जितना हुआ। सब ऋण ही ऋण है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह कर्जा किसमें से दिया जावेगा, दुकानों के भाड़े में से दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने अर्ज कर दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अध्यापकों के स्थानान्तरण

७८६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि तीन माह पहले इन्सपेक्टर जयपुर के यहां से एक स्थानान्तरण किया गया था, जिसमें नाथूलाल असिस्टेन्ट टीचर भांडारेज का स्थानान्तरण भंवरसिंह अध्यापक सेडूलाई के स्थान पर किया गया था ?

(२) क्या यह सच है कि दोनों ही नाम के टीचर्स दोनों ही स्कूल में नहीं हैं ?

(३) क्या यह सच है कि गये दिनों जो ट्रान्सफर किये गये उनमें यह नहीं लिखा गया कि उनके स्थान पर कौन आ रहा है, जिससे स्थानान्तरण में देरी हुई ?

(४) क्या यह भी सही है कि कुछ अध्यापकों का दूसरी सर्किल में भी स्थानान्तरण उनकी बिना राय के कर दिया गया है ?

(५) क्या यह भी सच है कि जयपुर के शिक्षा कार्यालय से ऐसे लोगों को तरक्की दी गई है, जो नए ही लोग हैं और पुराने अध्यापक अपने अधिकार से महरूम रक्खे गये हैं ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां, यह सच है, किन्तु यह सब टाइप की गलती से हुआ। बड़ियास कलां के बजाय भांडारेज छप गया और सिंड़ाली के बजाय सेडुलाई छप गया। भंवरसिंह नाम का कोई अध्यापक सेडुलाई में नहीं था।

(२) जी हां।

(३) जी हां, क्योंकि प्रशासनिक हित में उचित नहीं समझा गया।

Page No.6

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(४) जब स्थानान्तर किये गये थे, उस समय आमेर तथा चाकसू तहसील निरीक्षक, जयपुर के अधीन थे, बाद में निरीक्षक, जयपुर पश्चिम में बदल दी गई। इसलिये दूसरे सर्किल में ट्रान्सफर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) निरीक्षक, जयपुर पूर्व, जयपुर के कार्यालय में अभी अप ग्रेडिंग नहीं किया गया है; इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन अधिकारी ने उस छपी हुई आज्ञा पर दस्तखत किये वह देखकर नहीं किये, यों ही कर दिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर देना, मेरे लिये बहुत मुश्किल है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जावे कि जिस समय दस्तखत किये गये, उस समय तक किसी के यह बात ध्यान में नहीं आई कि यह टाइप की मिस्टेक हो गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यही मानना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जावे कि जो अधिकारी ऐसे दस्तखत करता है और बाद में टाइपिंग की मिस्टेक मालूम होती हैं, तो समय पर मालूम नहीं करने के कारण उनकी इस तरह की लापरवाही के लिये उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनकी गलती की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जावेगा।

प्रश्न संख्या ७८७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सिन्धी अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतन

७८८. सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : Will the Minister for Education inform :

(1) Is it a fact that though revised scales of pay were sanctioned in 1950 for 11 teachers of Sindhi section of Maharja's High School, Jaipur, still they have not so far been fixed accordingly and paid arrears ?

(2) Whether the Inspector of Schools is authorised to with-hold the payment when it has been sanctioned by the Director of Education ?

(3) Is it also a fact that some teachers though upgraded because of their representations have not been paid arrears of revised Matric grade in which they have been fixed ? Why is that so ? And when are they likely to be paid ?

(4) Is the Government aware that Matric teachers appointed in 1953 are drawing higher pay than those appointed in 1950 though the former are working in Middle Schools and the later in High Schools and also possessing higher qualification ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) इन सब को नये ग्रेड्स में फिक्स कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दिया गया है। इनका तबादला अलग अलग स्कूलों में हो गया है। इसलिये उन स्कूलों से इनके एरीयर्स के बारे में पूछताछ की जा रही है। अगर किसी का बाकी हुआ तो पेमेंट कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में किसी अध्यापक की तरफ से शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है।

(२) जी नहीं, निरीक्षक पाठशाल को भुगतान रोकने का कोई अधिकार नहीं है। नियमानुसार एक साल से पुराने बिल खजाने में पेश करने से पूर्व शिक्षा अध्यक्ष, बीकानेर के काउन्टर सिगनेचर कराने के लिये भेजे जाते हैं।

(३) जी नहीं, यह सही नहीं है। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं, जिनका हिसाबी जांच के अभाव में भुगतान न हुआ हो। जिनका भुगतान नहीं हुआ है उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र भुगतान करने का प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

(४) ये ऐसे केसेज़ हो सकते हैं जिनका फिक्सेशन अब तक तै नहीं हुआ है और ये बहुत थोड़े से हो सकते हैं। इन लोगों का फिक्सेशन होते ही इनको सन् ५० से वह ही तनख्वाह मिल जावेगी जो सन् ५३ में नये मेट्रिक ग्रेड में नियुक्त अध्यापकों को मिली है। कुछ ऐसे केसेज़ भी हो सकते हैं जो कि स्पेशल सब्जेक्ट्स जैसे साइन्स, जोग्राफी आदि के हों, क्योंकि ऐसे के अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिये शुरू में ही उनकी नियुक्ति मैट्रिक ग्रेड में की जाती है जब कि दूसरों को मिडिल ग्रेड में। ग्रेड्स योग्यता के अनुसार दिये जाते हैं न कि स्कूलों के स्तर के अनुसार। ऊंची योग्यता वालों को प्रोमोशन स्थान के खाली होने पर सीनियोरिटि के अनुसार दिये जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र : उनमें से एरियर्स कितने लोगों को पे कर दिये गये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ठीक तादाद बताना मुश्किल है, क्योंकि जैसा कहा है ऐसी शिकायतें लिखित रूप में नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र : मैंने तो स्पेशली ११ टीचर्स के बारे में पूछा है। आपने कहा था, उन ११ में से किसी को पे नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें यह निवेदन किया गया था कि उनके तबादले अलग-अलग जगहों पर हैं तो उनकी अलग-अलग जगहों से सूचना मिलने पर कर दिये जावेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : जिन सिन्धी टीचर्स के पे स्केल का फिक्सेशन नहीं हुआ वह कब तक हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम स्वयं इस प्रयत्न में हैं कि अब कुछ ही तादाद बाकी रह गई है, पहले हजारों की थी। अब सात सौ, आठ सौ बाकी हैं; उनको जल्दी से जल्दी तय कर दें।

पब्लिसिटी वान का आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग

७८६. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : क्या आदिवासी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर डिवीजन के कार्यालय की पब्लिसिटी वान सन् ५७ में कहां–कहां और किस-किस तारीख को गई ?

(ख) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की कोटड़ा, सराड़ा तथा खैरवाड़ा तहसीलों की

Page No.8

(श्री लक्ष्मण हीरात)

मांग होते हुए भी वहां पब्लिसिटी वान नहीं भेजी गई ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी ?

(घ) क्या यह सही है कि आदिवासियों व पिछड़ी जातियों के लिए ही समाज कल्याण विभाग व उसके साधन हैं, फिर भी यह आदिवासियों के उपयोग में नहीं आते हैं ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : उदयपुर डिवीज़न की वान सन् ५७ में जहां-जहां गई, उसकी तारीखवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी हां । पब्लिसिटी वान ठीक हालत में न होने के कारण नहीं भेजी जा सकी ।

(ग) इसमें किसी कर्मचारी की गलती नहीं थी, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जायगा ।

(घ) समाज कल्याण के सभी साधन पिछड़ी जातियों के लिए उपयोग में आते हैं, जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं और उनके उपयोग में भी आते हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

चिकित्सालय शाहपुरा

७६०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठिकाना शाहपुरा द्वारा मनोहरपुर में एक आयुर्वेदिक औषधालय व शाहपुरा में एक डिस्पेन्सरी चलाई जाती थी ?

(२) क्या उक्त औषधालय तथा डिस्पेन्सरी का उल्लेख कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा स्वीकृत ठिकाने के बजटों में है ?

(३) जिस भवन में उक्त औषधालय चलाया जाता था, उसकी जमीन का नज़राना क्या कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जमा कराया गया ? यदि हां, तो कितना ?

(४) क्या उक्त जमीन का पट्टा, कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने बना कर दिया ? यदि हां, तो किसके नाम से और कब ?

(५) कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठिकाना शाहपुरा ने उक्त भवन का कितनी धन-राशि से और कब परिवर्धन एवं परिवर्तन कराया ?

(६) क्या यह सही है, कि शाहपुरा डिस्पेन्सरी को तो उसके भवन सहित मैडिकल विभाग ने ठिकाने की रिज़म्पशन तिथि १५ अगस्त, १९५४ से ही अपने अधिकार व प्रबन्ध में ले लिया किन्तु औषधालय मनोहरपुर को उसके भवन सहित आयुर्वेद विभाग ने अपने अधिकार व प्रबन्ध में नहीं लिया, ऐसा क्यों ?

(७) क्या यह सही है कि तारीख १५-९-५७ को डिप्टी कलेक्टर जागीर, श्री नताराचन्द जी बख्शी, उक्त जांच के सम्बन्ध में मनोहरपुर गए और क्या उनके समक्ष वहां की जनता ने उक्त औषधालय व उसके भवन को सरकारी प्रबन्ध में लिए जाने के लिए सर्वसम्मत निर्णय किया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां, यह सच है कि ठिकाने द्वारा शाहपुरा में एक डिस्पेन्सरी और मनोहरपुर में एक औषधालय रिज़्यूम होने तक चलाया जाता था ।

Page No.9

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) जी हां, उक्त औषधालय तथा डिस्पेन्सरी का उल्लेख कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा स्वीकृत ठिकाने के बजटों में है।

(३) उक्त औषधालय के भवन की जमीन के नजराने की कोई रकम कोर्ट ऑफ वार्ड्स ठिकाना हाजा में जमा नहीं कराई गई।

(४) कोर्ट ऑफ वार्ड्स ठिकाना शाहपुरा ने उक्त औषधालय भवन को जमीन का कोई पट्टा किसी को भी बनाकर नहीं दिया। इस भवन का ठिकाने ने अपनी ही जमीन पर निर्माण करवाया था।

(५) सन् १९४९—५० में उक्त भवन का परिवर्धन और परिवर्तन कोर्ट ऑफ वार्ड्स ठिकाना शाहपुरा ने ४७८५) रुपया १२ आना की धन-राशि से करवाया।

(६) हां, यह सही है कि मैडिकल विभाग ने ठिकाने की रिजम्पशन तिथि १६-८-५४ से ही डिस्पेन्सरी शाहपुरा को उसके भवन सहित अपने अधिकार व प्रबन्ध में ले लिया किन्तु मनोहरपुर औषधालय को, उसके भवन सहित आयुर्वेदिक विभाग ने अपने प्रबन्ध व अधिकार में इसलिए नहीं लिया कि उक्त औषधालय की कोई सूचना ठिकाने ने सरकार को नहीं दी थी।

(७) जी हां, यह सही है कि ता० १५-६-५७ को श्री ताराचन्दजी बख्शी, डिप्टी कलेक्टर 'जागीर एक्ट' के जांच के सम्बन्ध में मनोहरपुर गये थे, उनके समक्ष मनोहरपुर की जनता द्वारा एक सम्मति से कोई निर्णय नहीं लिया गया। बहुत से लोगों ने औषधालय को सरकारी नियन्त्रण में लेने हेतु निवेदन किया। इस विषय में जांच अभी जारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जांच कब तक हो जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ख्याल से जांच कर रहे हैं। ज्योंही सारी तकमील हो जायगी, वह जांच पूरी हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : इस औषधालय का भवन किसके अधिकार में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो औषधालय चलाने वाले हैं उनके अधिकार में है।

श्री भैरोंसिंह : वह औषधालय किनके द्वारा चलाया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने रिज़म्पशन के बाद की सूचना दे दी थी। कुछ लोग इसको ट्रस्ट का होने का क्लेम कर रहे हैं, इसलिए जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : जांच किस बात की की जा रही है ? क्या यह सही है कि आजकल यह भवन श्री लखनलालजी वैद्य के अधिकार में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस भवन पर अधिकार प्राप्त करने में सरकारी सहयोग मिला था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी सहयोग कोई नहीं मिला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपने सारे प्रश्न का उत्तर दिया तब आपने कहा कि ठिकाने की तरफ से मनोहरपुर का औषधालय चल रहा था और जमीन का पट्टा किसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आदमी को नहीं दिया गया, तो क्या इन सारी बातों से यह साबित नहीं होता कि यह ठिकाने की तरफ से चालू हुआ था, तो फिर आगे एन्क्वायरी करने की क्या जरूरत है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करने से सारी बातें मालूम होंगी और जांच करने वाले अधिकारी इन्हीं सारी बातों पर अपना फैसला देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : रिज़म्प्शन के बाद जांच कब शुरू हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शायद सन् १९५७ में शुरू हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि सन् १९५४ में रिज़म्पूशन हुआ और सरकार के ध्यान में औषधालय से संबंधित बातें सन् १९५७ में आईं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिज़म्प्शन के बाद ठिकाने ने इसकी सूचना सरकार को नहीं दी थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आयुर्वेदिक विभाग, जिन्होंने औषधालय को अपने अधिकार में लिया, उसने सरकार को यह जानकारी नहीं दी कि ठिकाने का औषधालय श्री लखनलालजी वैद्य ने अनाधिकार रूप से अधिकार में कर रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आयुर्वेदिक विभाग ने किसको क्या जानकारी दी, इसकी सूचना अभी मेरे पास में नहीं है । जागीर रिज़म्पूशन के बाद जागीर कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह इस बात का निर्णय करे कि अमुक संपत्ति सरकार में शुमार की जानी चाहिए और उसको कब्जे में लिया जाना चाहिए । इसकी जांच की जा रही है और जो जांच का नतीजा निकलेगा उस पर फैसला हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह जांच की है कि उक्त औषधालय को ठिकाने ने पर्सनल प्रोपर्टी में दर्ज नहीं करा रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच की जा रही है और जांच की जब तक तकमील न हो जाय, तब तक कोई बात पीसमील में नहीं की जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जागीर रिज़म्पूशन एक्ट में यह है कि पर्सनल प्रोपर्टी की लिस्ट दी जाय, उसके अलावा सारी चीजों के ऊपर राज्य का अधिकार होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानून का सवाल है । जागीर रिज़म्पूशन एक्ट में क्या है, यह आप देखलें ।

-तहसील भवन, सूरपुरा

७९१. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(अ) सूरपुरा की पुरानी तहसील की बिल्डिंग किस विभाग की देख रेख में है ?

(ब) क्या सरकार को मालूम है कि इस भवन का अधिकांश हिस्सा गिर चुका है ?

(स) क्या सरकार उपरोक्त भवन संबंधित पंचायत को स्कूल के लिये सुपुर्द करने को तैयार है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (अ) सूरपुरा तहसील बिल्डिंग, निर्माण विभाग की देख रेख में है ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ब) यह सत्य नहीं है। सूरपुरा तहसील बिल्डिंग ठीक है, परन्तु क्वार्टर्स अच्छी हालत में नहीं हैं।

(स) जी नहीं। इस भवन को पंचायत व राजस्व विभाग को सुपुर्द किया जा रहा है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बिना देख-भाल के बिल्डिंग की बहुत सी ईंटें ग्रामीण लोग उठा कर ले गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आउट हाउसेज़ के बारे में यह सत्य हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

पुरुषार्थियों को दिया गया ऋण

७६२. श्री लक्ष्मीचन्द (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या मंत्री, पुनःस्थापन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में नगरों में रहने वाले कितने विस्थापितों को सन् १९५०-५१ से अब तक प्रति वर्ष कितना रुपया ऋण के तौर पर सरकार द्वारा दिया गया ?

(२) उपरोक्त ऋण में से अब तक कितना देय हो चुका है तथा उसमें से कितना वसूल हो चुका है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) नगर में बसने वाले विस्थापितों को दो प्रकार के ऋण राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं :

(अ) साधारण शहरी : ये ऋण व्यक्तिगत विस्थापितों को वाणिज्य एवं उद्योग व शिक्षा के सम्बन्ध में तथा सिलाई की मशीनों के लिये दिये गये। इस पेटे १९५०-५१ से १९५७-५८ तक ८०,७७,०,३८ रु० १२ आ०, १०९१९ व्यक्तियों को दिये गये।

(ब) निर्माण कार्य के ऋण : ये ऋण सहकारी समितियों, नगरपालिकाओं व व्यक्तिगत विस्थापितों को मकान व दुकान बनाने के लिए दिये गये। इस पेटे १९५०-५१ से १९५७-५८ तक १,२७,२५,६५८ रु० ४ आ० दिये गये।

उपरोक्त दोनों ऋणों के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) देय की रकम ३१-१-५८ तक इस प्रकार है:
मूलधन ८५,१३,६०१ रु० ८ आ०
ब्याज १६,३१,४११ रु० १० आ० ३ पा०
वसूल की गई रकम ३१-१-५८ तक इस प्रकार है:
मूलधन ३३,६१,७५५ रु० ६ आ०
और ब्याज ५,००,२६१ रु० १३ आ०

उपरोक्त दोनों राशियों की विवरण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन

७६३. श्री नारायणसिंह (मसूदा) : Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) Has a Committee been constituted to reorganise administrative units in Rajasthan ?

(b) If so, what is its personnel ?

(c) What are the directive principles given to it ?

(d) If not, has the idea been dropped and why ?

Page No.12

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(a) yes please.

(b) The Committee has the following personnel :

1. Chief Secretary ... Chairman.
2. Chairman, Board of Revenue ... Member.
3. Additional Chief Secretary ... Member.
4. Home Secretary ... Member.
5. Finance Secretary ... Member.
6. Deputy Secretary, Planning ... Secretary.

(c) No districts are to be abolished. The Committee has been directed to suggest adjustments in the boundaries of existing districts to ensure even-ness of work-loads.

(d) The question does not arise.

श्री श्रीभानसिंह : When this Committee was appointed ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (अश्रव्य)

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : There was some time-limit.

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Time was extended from time to time.

श्री श्रीभानसिंह : When the Committee had applied last for extension of the time and when the extension was given ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि अजमेर के रिऑर्गेनाइज़ेशन की कमी से समय बढ़ाया। उसके बाद में यह इसके अन्दर प्रश्न उठने लगा कि बलवन्तराय कमेटी और दूसरों से यह विचाराधीन प्रश्न हो गया है कि ब्लॉक और तहसील का टर्मिनस एक प्रकार से जुरिस्डिक्शन बन गया है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट के मामले में भी ऐसी बात चल रही थी। उसके बाद में अल्टीमेटली डिसीज़न लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट को नहीं तोड़ा जाय और जितना बिना तोड़कर एडजस्टमेंट किया जा सके वह होना चाहिये। इसकी वजह से कमेटी की ही डिमान्ड का नहीं, गवर्नमेन्ट भी समय-समय पर परिवर्तन करने के कारण से समय देती रही।

श्री चन्दनमल वेद : अब समय कब तक का बढ़ा दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं की गई है।

भाखड़ा क्षेत्र के गांवों में शामलात हेतु छोड़ी गई जमीन

७६४. **श्री धर्मपाल पंवार (नोहर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) भाखरा प्रोजेक्ट एरिया में गांवों के विकास हेतु किस आधार पर कितनी भूमि शामलात की छोड़ी जाती है ?

(ब) क्या सरकार के ध्यान में है कि नोहर, भादरा, हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ आदि तहसीलों में भूमि नहीं छोड़े जाने की समस्या बनी हुई है ?

(स) क्या यह सच है कि शामलात छुड़ाने के लिए बहुत से गांवों के प्रार्थना पत्र सरकार के पास आ रहे हैं ?

(श्री धर्मपाल पंवार)

(ड) क्या सरकार ऐसे प्रार्थना पत्रों पर अविलम्ब कार्यवाही करने के लिए कोई कदम उठाएगी ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (अ) कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। गांव के लोगों की सहमति से उनकी आवश्यकता के अनुसार जमीन छोड़ी जाती है।

(ब) इन तहसीलों में शामलात देह का कोई रकबा नहीं है। यह गांव रैयतदारी के हैं, जिनमें काश्तकारों को खातेदारी हकूक हासिल हैं और सिवाय जोहड वगैरह के कोई रकबा सरकारी नहीं है। जौहड़ वगैरा का जो रकबा है उसमें से गांव वालों की आवश्यकतानुसार रकबा कायम रक्खा जाकर बाकी जो रकबा रहेगा वह नहर बारह मासी होने पर काश्त के लिए एलॉट कर दिया जावेगा।

(स) जी नहीं।

(ड) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री धर्मपाल पंवार : वह तो नई जगह आबादी है लेकिन जो पुराने गांव हैं और जहां बिल्कुल ही शामलात की जगह नहीं है, उसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री सम्पतराम : जिन गांवों में जगह नहीं है वहां डिप्टी डाइरेक्टर कोलोनाइज़ेशन जाकर इस बारे की जांच करेंगे और गांवों की शिकायत के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट देंगे तत्पश्चात् अन्तिम निर्णय किया जायगा।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या इसके विषय में प्रार्थना-पत्र आये हैं सरकार के पास ?

श्री संपतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें

७६५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के अभाव में कुछ बुकसेलर्स ने जाली पाठ्य पुस्तकें कुंजियों सहित छपवा कर बिक्री की हैं ? यदि हां, तो किन किन ने ?

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे बुकसेलर्स एवं छापाखानों की तलाशी लेकर ऐसी पुस्तकें जब्त की हैं ? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि बाजार में ऐसी पुस्तकों के विक्रय होने की सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई परन्तु उनके विरुद्ध समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां, विद्या पुस्तक भण्डार, होप सर्कस, अलवर ने।

(ख) जी हां, मामले की जांच जारी है।

(ग) सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी को सूचित किया गया, जिसके फलस्वरूप २४ किताबें जब्त की गई तथा जांच जारी है।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कब प्राप्त हुई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : १-११-५७ को गिरधारीलाल यादव ने पुलिस में रिपोर्ट की कि इस प्रकार की किताबें वहां पर बेची जा रही हैं और उसके आगे कार्यवाही शुरू हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में सूचना वहां के कई छात्रों ने स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी दी थी और दी थी तो कौनसी तारीख को और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तारीखों के बारे में अभी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि शिक्षा विभाग की ओर पुलिस को इस संबंध में कोई सूचना नहीं भेजी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा कि मैंने निवेदन किया १-११-५७ को पुलिस इन्सपेक्टर को सूचना दी है।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने तलाशी ली थी, तब किस प्रकार की और कितनी पुस्तकें गिरफ्तार हुई थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि २४ पुस्तकों को जब्ती में लाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार की जानकारी दूसरे क्षेत्रों में, सारे राजस्थान में की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां की शिकायत आती है वहां की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या बीकानेर से कोई शिकायत आई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

बांकली बंधे के अन्तर्गत काश्त काबिल जमीन

७६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पाली तहसील के गांव हंजावा में बांकली बंधे के पेटे में कुल कितनी जमीन काबिले काश्त है और वह किनके पास है ? कृपया सूची दीजिए।

उप राजस्व मंत्री (श्री संपराम): पाली तहसील के गांव हंजावा में बांकली बंधे के पेटे में कुल ७९३। (सातसौ त्रानवे बीघा पांच बिस्वा) जमीन काश्त की है, जिनके पास यह जमीन है उन काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : वह सूची मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री संपतराम : मालूम पड़ता है आपने लेने का प्रयत्न नहीं किया होगा।

श्री मूलचन्द डागा : बगैर सूची के प्रश्न कैसे पूछें ?

श्री अध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा : हां साहब पूछा, लेकिन वहां पर सूची नहीं है।

खादी प्रतिष्ठान बोर्ड, बीकानेर

७६७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने खादी प्रतिष्ठान बोर्ड बीकानेर को आज तक कितना कर्ज दिया व उनसे कितना वसूल हुआ है ?

(ख) इस समय बोर्ड की आर्थिक स्थिति क्या है ?

उप वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर को निम्न रकमें दी गई हैं (१४-२-५८ तक):

	ऋण	सहायता	योग
(१) अम्बर योजना	४४०००	१९७००	६३७००
(२) आटा चक्की		३९२०	३९२०
	४४०००	२३६२०	६७६२०

इस रकम से ऋण की ड्यु-किश्तों के अनुसार १२०० रुपए वसूल किये गये हैं।

(२) खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान की आर्थिक स्थिति अच्छी है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसमें से कुछ रुपए इधर-उधर भी हो गए हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सन् ५७-५८ का बेलेन्सशीट खादी संस्थान की ओर से सब्मिट किया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गत वर्ष का है। इस वर्ष ५७-५८ का चालू वर्ष है उसका स्टेटमेन्ट साल के आखीर में आएगा। ५६-५७ के साल का हिसाब ऑडिट हुआ था, उसमें करीब १२००० रुपयों का लाभ हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप किस आधार पर कहते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसकी गये वर्ष की स्थिति से मालूम हो सकता है जब कि १२००० रुपये का मुनाफा हुआ था और इस साल भी उसका काम ठीक चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न था कि आप ५६ की बात कह रहे हैं, सन् ५६ में १२००० रुपए का लाभ रहा, इस एक वर्ष में गड़बड़ नहीं हुई, यह कैसे कह सकते हैं; जबकि आपके पास कोई फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, बेलेन्स शीट, रिपोर्ट आदि नहीं है तो आप प्रज़ेन्ट स्टेट ऑफ अफेअर्स के बारे में कैसे कह सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि पहले की स्थिति को देखते हुए और आज कल काम किस प्रकार चल रहा है, इन सबको देखते हुए यह अंदाजा लगाया जाता है, कि ठीक तरह से काम चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काम ठीक तरह से चल रहा है, यह किस आधार पर कह रहे हैं, किस अंदाज पर कह रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अंदाज से नहीं बल्कि पहले की प्रगति को देख कर कह रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५६ के बाद की कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि यह साल गुजरने के बाद रिपोर्ट आयगी।

बृहत् या लघु उद्योग-सिरोही

७९८. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Commerce and Industries be pleased to state :

Is the Government contemplating to start any major or minor industry in Sirohi district under the second five year plan to meet the unemployment problem ?

उद्योग मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): While no major or minor Industries are contemplated to be started by the Government in Sirohi District, a couple of production-cum-training centres; namely Blacksmithy centre at Sirohi and Carpentary centre at Mt. Abu have been started by the Government to impart technical training. An Industrial Workshop has also been sanctioned to be started at Sirohi. All this will go a long way in providing employment to the people of the District. Associated Cement Companies Ltd. have obtained a licence for a cement factory at Abu Road. The construction of factory may start by the end of plan period.

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार को मालूम है कि सिरोही के पास टमाटर बहुत होते हैं, वहां पर टमाटर सॉस बनाकर बोतलों में भरने की फेक्ट्री खोलने की योजना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कार्य करना चाहें, उनके लिए रुकावट नहीं है ।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा (जालौर) : क्या प्रश्नकर्ता को भी उसमें एम्पलोय किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

पुनर्गृहीत जागीरें

७६६. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आज की तारीख तक कितनी जागीरें खालसा हुई हैं ?

(ख) कितनी जागीरों का कब्जा सरकार ने प्राप्त कर लिया है और प्राप्त की गई जागीरों के सम्बन्ध में कितने जागीरदारों की ओर से उनकी निजी सम्पति (पर्सनल प्रोपर्टी) की सूची प्रस्तुत की गई है ?

(ग) क्या जिन जागीरदारों की व्यक्तिगत संपत्ति की सूची प्रस्तुत नहीं हुई है, उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया गया है ?

(घ) क्या किन्हीं जागीरदारों ने पूर्व में बनाऊ बाड़े, मकान हवेलियां आदि मुन्तकिल किये हैं ?

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) तारीख ३१-१-५८ तक ६१७० जागीरें खालसा हुई हैं ।

(ख) इन सब जागीरों का कब्जा ले लिया है । इनमें से केवल ४१० जागीरदारों की ओर से निजी संपत्ति की सूची जागीर कमिश्नर के कार्यालय में प्राप्त हुई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण एक्ट की धारा २६ (क) के अनुसार १-१-४६ के पश्चात् इस प्रकार जायदाद का जागीरदारों द्वारा मुन्तकिल करने पर जागीर विभाग जांच की कार्यवाही करता है । जांच से यदि यह सिद्ध हो जाता है कि जागीरदार ने जागीर एक्ट के आने की संभावना से ऐसी कार्यवाही की है तो ऐसी मुन्तकिली के मुवाअजे के लिए अस्वीकार करने का जागीर एक्ट में विधान है, यदि मुन्तकिली जागीर के सामान्य प्रबन्ध में की गई है तो उन पर मुआवजा दिया जाता है ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या आपने अब तक इसकी जांच की कार्यवाही की है या ऐसे केसेज़ आपके सामने आये हैं, जिनमें वास्तव में इस तरह के बाड़े और जमीनें मुन्तकिल की हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा था, "जी हां"।

श्री मनोहर कोठारी : किन लोगों ने खरीदी ? क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह की गैर कानूनी जमीन खरीदने वाले सरकारी ऑफिसर्स नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अलग प्रश्न पूछिये कि किसी पर्टिकुलर जागीदार ने किस किस को जमीन मुन्तकिल की है, तब बता सकता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : आपने फरमाया कि कुछ जागीदारों ने जमीन बेची है, सेवाड़ जागीदार ने लालकोठी की जमीन बेची है, वह किस किस को बेची है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेवाड़ वालों ने बेची है, किन किन को बेची यह प्रश्न अलग से पूछिये।

श्री मनोहर कोठारी : जमीन मुन्तकिल की उस संबंध में क्या कार्यवाही राज्य सरकार ने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में नजरसानी की कार्यवाही चल रही है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सही है कि स्टेट ग्रान्टीज़ प्रोपर्टी को सेल नहीं कर सकते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानून का प्रश्न है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या आप जानकारी करेंगे कि जिन लोगों ने सेल ट्रान्सफर किया है, वह यदि गलत है तो रिज़म्प्शन की कार्यवाही की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीर कमिश्नर को रूल २६ (क) के अंतर्गत अधिकार है कि इन्क्वायरी करके एक्शन ले सकते हैं।

विकास खंड-शाहबाद

८००. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)**: क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि शाहबाद विकास खंड द्वारा सन् १९५७ में निर्मित बांसयूनी, अलासागर तथा आड़ापानी की तीनों पुलियाएं टूट चुकी हैं ?

(२) क्या सरकार ने इन कार्यों के विध्वंस हो जाने के कारणों की कभी जांच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : विकास खंड, शाहबाद द्वारा निर्मित बांसयूनी, अलासागर तथा आड़ापानी के पुलियों में से बांसयूनी का पुलिया सही सलामत है। दोनों ओर की सड़कों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाने से कुछ क्षति हुई है। पुलिया से ऊपर से पानी को रोकने के लिये इन्तजाम किया गया है।

(२) जांच कराई जा रही है।

(३) रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जांच किससे कराई जा रही है ?

श्री संपतराम : एग्ज़ीक्युटिव इंजीनियर से।

श्री दयाकृष्ण विजय : जांच करने का आदेश कब दिया गया ?

श्री संपतराम : यह तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पुलियों के निर्माण कराने के पूर्व टेकिनकल एग्ज़ामिनेशन कराया गया था ?

श्री संपतराम : जी हां।

भाखरा क्षेत्र में भूमि की नीलामी

८०१. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र में सरकार भूमिहीन किसानों को पहले भूमि न देकर सरकारी भूमि नीलाम करने जा रही है ? यदि हां, तो कितने बीघे नीलाम कर रही है और क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी नहीं।

भूमिहीन किसानों को पहिले भूमि न दी जाकर कोई भूमि नीलाम नहीं की जा रही है। अलबत्ता करीब १६,००० एकड़ जमीन नीलाम के लिये रिज़र्व है जो नीलाम की जायगी, परन्तु इस रिज़र्व की हुई भूमि को नीलाम करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री श्योपतसिंह : ऐतराज क्यों नहीं होना चाहिये ? आप एक तरफ तो कह रहे हैं नीलाम नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं नीलाम करने में ऐतराज नहीं करना चाहिये।

श्री संपतराम : रिज़र्व की १६,००० एकड़ जमीन नीलाम कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह : आपकी कौन सी बात मानी जाय ? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नीलाम नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं नीलाम कर रहे हैं ?

श्री संपतराम : करीब १००० एकड़ जमीन emergency के लिये थी और ६००० एकड़ जमीन गाडोलिया लोहारों के लिये थी, उनके न लेने पर उक्त जमीन को नीलाम किया जा रहा है।

श्री श्योपतसिंह : आप बहुत दूर चले गये, इधर तो कह रहे हैं १००० एकड़ नीलाम कर रहे हैं और उधर कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन सी बात सही मानी जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : नीलाम की जमीन मुन्तकिल नहीं की है। जो लैंडलेस टिनेन्ट्स के लिये रिज़र्व नहीं है उसका सवाल है, उसका लैंडलेस टिनेन्ट्स के लिये रिज़र्व जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : सारी जमीन लैंडलेस टिनेन्ट्स को देनी चाहिये !

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स मुलाहिज़ा करेंगे तो पता चलेगा कि कितना सही है और कितनी गलती की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लैंडलेस को जो जमीन दी जाने वाली है और उसके लिए जो प्रार्थना-पत्र आये हैं, उन प्रार्थना-पत्रों से वह जमीन कम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने प्रार्थना-पत्र आये हैं उन सब की जांच हो रही है, उनमें से कितने मंजूर होंगे, कितने खारिज होंगे। यह नहीं कहा जा सकता है कि जमीन कम है या ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रार्थना-पत्र जिस संख्या में आए हैं, उसे देखते हुए जितनी जमीन रखी गई है, वह कम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रार्थनापत्रों की संख्या से पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नियमों के मुताबिक कितनों की जमीन लेने का अधिकार आता है या नहीं आता है इसकी जांच हो रही है। वैसे ३१ हजार प्रार्थना-पत्र आए हैं।

श्री श्योपतसिंह : सरकार इस भूमि का वितरण किस प्रोग्राम के अनुसार करना चाहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रोग्राम का जिक्र यहां बार बार किया गया है और उसके लिए रूल्स भी बना दिए गए हैं।

श्री गिरधारीलाल : क्या इस प्रकार की भूमि वितरण पद्धति से भूमि-हीनों की समस्या उलझेगी, यह सरकार के ध्यान में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल : क्या सरकार भूमि भूमिहीनों को मुफ्त बांटने का इरादा रखती है ?

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री भीमसेन : कितनी जमीन लैंड लैस के लिए रखी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५० एकड़।

श्री भीमसेन : कुल जमीन कितनी है और उसका किस तरह एलॉटमेंट होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक डिटेल्स का सवाल है मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। दुबारा आप पूछे तो बता सकता हूँ कि कितनी जमीन है, किस तरह उसका एलॉटमेंट होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या यह उचित नहीं होगा कि भूमिहीनों को पहले भूमि देकर, जो भूमि बचे, उसको नीलाम किया जाए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमि एलॉट करने के बाद ही नीलाम किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या भूमिहीनों की जमीन एलॉट करने से पहले सरकार ने जांच की है कि कितनी संख्या भूमिहीनों की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमने भूमिहीनों से दरख्वास्त ले ली है, उनकी जांच हो रही है और सरकार के पास अब आंकड़े मौजूद हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, उनसे दरख्वास्त ले ली है।

श्री भैरोंसिंह : रिज़र्वेशन किस आधार पर हुआ है ? एलॉट करने का प्रश्न नहीं है भूमिहीनों के भूम का रिज़र्वेशन हुआ है, वह किस आधार पर किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इस आधार पर हुआ है कि जो सरकार के रूल्स हैं उस आधार पर रिज़र्वेशन हुआ है कि कितनी जमीन है, कितने रुपए की है, नीलाम से कितना वसूल करना है।

श्री भीमसेन : नीलाम से सरकार को कितना वसूल करना है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि भूमिहीनों को सरकार किस आधार पर जमीन देना चाहती है ? दूसरा सवाल आता नहीं है। पहले इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : भाखरा की जमीन के सम्बन्ध में रूल्स में प्रोवीज़न है कि पहले किसको जमीन दी जायगी। भूमिहीनों को पहले जमीन दी जाने के लिए रूल्स बनाए हैं, वे मौजूद हैं। जैसा मैंने अर्ज किया ५० हजार एकड़ जमीन एलॉट करनी है और उसके लिए दरख्वास्तें आ गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : ५० हजार एकड़ की संख्या किस आधार पर निश्चित की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमिहीनों की तादाद का अन्दाज लगा कर की है।

श्री अध्यक्ष : The question has been replied.

जो जनरल बातें थीं, वे बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।

एक माननीय सदस्य : याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : याद नहीं है तो कैसे बतायें ?

श्री नाथूराम।

आदिवासी क्षेत्र (बांसवाड़ा) का विकास

८०२. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र एवं पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास; क्या सरकार यह महसूस करती है कि आदिवास विकास के लिए जो अवधि निर्धारित है, उसे दृष्टि में रखते हुए बहुत धीरे हो रहा है ?

(२) क्या समाज कल्याण विभाग की ओर से बांसवाड़ा जिला के लिए जो जीप दी गई है उसका सही उपयोग हो रहा है और उस पर ३१-१-५८ तक कितना खर्चा हुआ है ?

(३) बांसवाड़ा जिला में उपरोक्त विभाग की ओर से दस रेडियो सेट दिये गये हैं, उनका कहां-कहां उपयोग हो रहा है और इनके लिए नई बैट्रियां कुल कितनी दी गई हैं ?

(४) समाज कल्याण विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिला में कितनी प्रौढ़शालाएं संचालित हैं और आज तक उनकी क्या प्रगति है ?

(५) बागीडोरा तहसील में चांदरवाड़ा, मूखिया, छाजा आदि स्थानों का संबंधित अधिकारी ने कितनी बार दौरा किया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(६) चांदरवाड़ा होस्टल का आज तक कितना पैसा देना बकाया है और क्यों ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। राष्ट्रपतिजी के आदेश द्वारा जिला बांसवाड़ा के अधिकांश भाग को आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आदिवासी क्षेत्र का विकास धीरे धीरे नहीं वरन् तीव्र गति से हो रहा है।

(२) समाज कल्याण विभाग की ओर से बांसवाड़ा जिला के लिये कोई जीप नहीं दी गई, अतः सही उपयोग न होने का व खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) बांसवाड़ा जिला में कोई रेडियो वितरण नहीं किये गये अलबत्ता विभाग के द्वारा संचालित प्रौढ़शालाओं में रेडियो लगाये

Page No.21

(श्री भीखाभाई)

गये हैं जिनके लिए ६ नई बैट्रियां भेज दी गई हैं।

(४) बांसवाडा जिले में २६ प्रौढ़शालाएं व समाज शिक्षण केन्द्र चल रहे हैं जिनकी आज तक अच्छी प्रगति का विवरण है।

(५) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्य महोदय किस सम्बन्धित अधिकारी के दौरे की सूचना चाहते हैं।

(६) चांदरवाड़ा होस्टल का कोई रुपया बकाया नहीं है।

श्री भीमसेन : बांसवाड़ा जिले में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की क्या स्थिति है ?

श्री भीखाभाई : शिड्यूल कास्ट की जन संख्या के आंकड़े मालूम नहीं है। जहां तक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है अनुसूचित जन-जाती क्षेत्रों में राष्ट्रपतिजी की आज्ञा से इन्टेसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम किये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या रेडियो सेट्स के लिए बैटरीज़ जो एक बार दी गई थीं उनके खराब होने के बाद बैटरी दुबारा दी गई हैं ?

श्री भीखाभाई : जो ६ बैटरीयां दी गई हैं, वे खराब होजाने के बाद दी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : दुबारा दी गई हैं ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम। पहले प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेंगे।

श्री नाथूराम : श्री प्यारेलाल जी साहब ने कितनी बार चांदरवाड़ा, मुखिया, छाजा आदि स्थानों का दौरा किया है ?

श्री भीखाभाई : जो आपने जानकारी चाही है, उसमें किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया है। जो प्रश्न आपने पूछा है, उसकी जानकारी हासिल करके दे सकूंगा।

श्री नाथूराम : बांसवाड़ा के गांवों के लिए जो रुपया रखा गया था, वह लेप्स हुआ है, वह किसकी गलती से लेप्स हुआ है ?

श्री भीखाभाई : लेप्स होने का प्रश्न नहीं है। आपने जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : रेडियो सेट्स जो बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र के लिए दिये गये हैं, किन आधार पर दिये गये हैं ? उदयपुर जिले के लिए क्यों नहीं दिये गये हैं ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : This is another question.

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा के अलावा रेडियो सेट्स और किन जिलों को दिये गये हैं ?

श्री भीखाभाई : डूंगरपुर और उदयपुर भी शामिल हैं।

प्रश्न संख्या ८०३

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स, भूतपूर्व बीकानेर राज्य के कर्मचारियों का फिक्सेशन

८०४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-

(श्री मुरलीधर व्यास)

सिटी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व बीकानेर राज्य के कोर्ट ऑफ वार्ड्स विभाग में दो प्रकार के सरकारी एवं जागीरी कर्मचारी थे ?

(ख) यदि हां, तो इस विभाग को इन्टीग्रेशन होने के बाद जो सरकारी कर्मचारी थे, उनका फिक्सेशन कौन सी तारीख से किया गया ?

(ग) यदि २३-३-५२ से किया गया है तो क्यों जब कि दूसरे तमाम सरकारी कर्मचारियों, का फिक्सेशन तारीख १-४-५० से किया गया है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) २४-३-५२ से।

(ग) फिक्सेशन २४-३-१९५२ से किया गया है। इन कर्मचारियों के साथ भेदनीति नहीं बरती गई; तारीख १-४-१९५० से उन्हीं कार्यालयों के कर्मचारियों का फिक्सेशन किया गया है जिनका एकीकरण १-४-१९५० से अथवा उससे पहले से हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है इनका २४-३-५२ से फिक्सेशन किया गया है और सरकारी कर्मचारियों का फिक्सेशन ५० से किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मुलाजिमान हैं, उनका फिक्सेशन २४-३-५२ से किया गया है

श्री अध्यक्ष : ये पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नहीं है।

इसकी जानकारी करके, मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

विन्धियन लाइम स्टोन

८०५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चूना बनाने के पत्थर को मेजर मिनरल्स में शुमार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या माइनर मिनरल्स कन्सेशन रूल्स चूना बनाने के पत्थर के लिये लागू होते हैं ?

(ख) यदि प्रश्न (क) का जवाब "ना" हो तो क्या कारण है कि जोधपुर डिवीज़न के लिये विनधियन लाइम स्टोन के लिये स्पेशल रूल्स बनाये गये हैं और क्या वे रूल्स माईनर मिनरल्स कन्सेशन रूल्स की तारीफ में ही आते हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जी हां। दोनों में जलाकर चूना बनाने की हालत में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम लागू होते हैं।

(ख) जोधपुर डिवीज़न के लिये विनधियन लाइम स्टोन रूल्स उस समय बनाये गये थे जब कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, १९५५ नहीं बने थे। अब ये नियम १९५५के बाद चालू नहीं है।

श्री श्री तेजाराम गहलोत : क्या मिनरल्स कन्सेशन रूल्स के तहत जितने माइन एरियाज़ आते हैं, उनको जो स्टोन का कोटा

Page No.23

(श्री तेजाराम)

दिया जाता है, वह लाइम स्टोन का दिया जा सकता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो लाइम स्टोन दिया जाता है, वह मिनरल्स कन्सेशन नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार दिया जाता है; वे भी दर्ज हैं इसलिए सवाल नहीं उठता।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न यह है कि मिनरल एरिया है, उनके लिए लाइम स्टोन का कोटा फिक्स नहीं रखा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्यों कि रूल्स में दर्ज नहीं है, ऐसी सूरत में सरकार फिक्स कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

जिला गंगानगर के पटवारियों को दी जानेवाली टी. ए. व डी. ए. इत्यादि की रकम

८०६. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि जिला गंगानगर में पटवारियों की टी. ए. व डी. ए. व स्टेशनरी के लिए जो निर्धारित रकम है वह नहीं दी जा रही है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में पटवारियों द्वारा पेश किये गये बिल कई कई साल से विचारार्थ पड़े हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) रकम दी जा रही है।

(ख) जो बिल साल भर में आते हैं उन्हें पास किया जाता है और पास होने के बाद उनका पेमेन्ट किया जाता है; मगर जो बिल एक साल के बाद पेश किये जाते हैं उनका नियमानुसार, बाद मन्जूरी कमिश्नर के, पेमेंट कर दिया जाता है।

(ग) बजट में रकम न होने के कारण।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सच है कि पटवारियों की टी. ए. व डी. ए. की रकम दो साल तक पड़ी रही है और वे बिल पास नहीं हुए हैं।

श्री सम्पतराम : हो सकता है, बिल लेट आये हों।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सत्य है कि जिन पटवारियों के टी. ए. व डी. ए. बिल पास नहीं होते हैं, उसका एक कारण यह है कि जो निर्धारित रकम है वह बड़े अधिकारियों के टी. ए. बिल में खर्च हो जाती है और उनके लिए नहीं बचती है ?

श्री सम्पतराम : ऐसा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है कि टी. ए. बिल दो साल तक पड़े क्यों रहते हैं ?

श्री सम्पतराम : सवाल यह है कि जो बिल समय पर आते हैं, उनको पास करके पेमेन्ट करने की व्यवस्था की जाती है। अगर टाइम गुजरने के बाद आते हैं, तो उसका प्रोसीज़र लम्बा होता है, इसलिए कुछ टाइम लगना स्वाभाविक है।

श्री मुरलीधर व्यास : दो साल तक लम्बा प्रोसीज़र हो सकता है ?

श्री सम्पतराम : यह कौन कहता है कि दो साल तक हो सकता है।

Page No.24

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कहें कि प्रोसीज़र इतना लम्बा होता है, जिसमें दो साल का टाइम लग जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : आप किस पटवारी के लिए सूचना चाहते हैं, वह बता दें। राजस्थान में ६ हजार पटवारी हैं। जहां तक जनरल बात है उसके लिए कहा कि जो बिल टाइम के बाद पेश होते हैं, उनमें प्रोसीज़र की डिले होती है। अब अगर खास पटवारी के लिए पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए पूछ लीजिये; इससे हमें जवाब देने में आसानी रहेगी।

श्री चन्दनमल वेद : क्या यह सही है कि जिला गंगानगर के सब पटवारियों का पेमेन्ट नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलत है। अगर टाइम में पेश नहीं हुए तो पेमेन्ट जल्दी नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जिन जिन के बिल पास नहीं हुए हैं, उन सब ने समय पर बिल नहीं पेश किये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो एक सूचना दी है, मानने न मानने का सवाल नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामचन्द्र।

हरिजन छात्रावास, झालावाड़

८०७. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झालावाड़ में हरिजन छात्रावास कब खोला गया ?

(ख) इस छात्रावास में कितने छात्र भरती किए गए और प्रतिमास छात्रों की उपस्थिति कितनी कितनी रही ? उपस्थिति की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) इस छात्रावास के लिए अब तक कितना धन खर्च किया गया तथा इसमें से केवल कर्मचारियों का वेतन खर्च इत्यादि के रूप में कितना कितना किया गया ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(क) झालावाड़ में कोई हरिजन छात्रावास नहीं खोला गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र : क्या वहां दूसरे नाम से छात्रावास है।

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री रामचन्द्र : किस नाम से ?

श्री भीखाभाई : विमुक्त जातियों के लिए।

श्री रामचन्द्र : क्या इस छात्रावास को हरिजन छात्रावास बनाने की सरकार की नीति है ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री रामचन्द्र : कब तक ?

श्री भीखाभाई : विचार किया जा रहा है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इस छात्रावास में हरिजन बच्चे रखे जाते हैं कि नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Page No.25

श्री श्रीभानसिंह : Is it the policy of the Government to separate the scheduled caste and the general caste people ?

श्री भीखाभाई : It is not so, but for the upliftment of the scheduled castes and scheduled tribes some schemes have already been launched and according to that new hostels for the scheduled castes and scheduled tribes have been started.

श्री श्रीभानसिंह : Have the scheduled caste people objected to living with the general caste people so that the Government is making separate hostels for them ?

श्री भीखाभाई : It is not the question of separating the hostel from the general public at large, but the question is in order to give proper attention to weaker sections of the people.

श्री चन्दनमल वेद : जो फैसिलिटीज़ हरिजन छात्रों को अलग रख कर दी जाती हैं वे उनको दूसरे जनरल छात्रों के साथ रख कर नहीं दी जा सकती क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : बहुत स्पष्ट है कि जनरल होस्टल में शिड्यूल्ड कास्ट के या हरिजन स्टुडेन्ट्स को जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, वे जनरल स्टुडेन्ट्स को नहीं दी जा सकतीं ।

श्री चन्दनमल वेद : मेरा प्रश्न यह है कि जनरल स्टुडेन्ट्स के साथ रख कर हरिजन स्टुडेन्ट्स को सुविधाएं नहीं दी जा सकतीं क्या ?

श्री भीखाभाई : इसकी भी दूसरी जगह आजमाइश की जा रही है ।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government aware that such discrimination leades to discontenment amongst the students ?

श्री भीखाभाई : It is not discrimination. It is given under the Constitution.

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

प्रश्न संख्या ८८८

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम ।

टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत दिये जाने वाले खातेदारी अधिकार

८०९. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि आदिवासी क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की टिनेन्सी एक्ट से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार टिनेन्सी एक्ट की उक्त धाराओं में अवधि की वृद्धि करने का विचार रखती है ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के सामने आया है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधि-

(श्री सम्पतराम)

नियम, १९५५ की धारा १९ में सभी खुदकाश्त या ऐसी भूमि, जो उपवन भूमि नहीं है, के उस शिकमी आसामी को जिसके आधिपत्य में इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय उसे किराये पर या शिकमी किराये पर दी हुई थी, कुछ शर्तों के पालन करने पर, जो इस धारा में निहित हैं, खातेदारी अधिकारों तथा सुधारों के अधिकार प्राप्ति के लिये निर्धारित प्रसंग में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। यह बात दूसरी है कि आदिवासी क्षेत्रों में अधिकार प्राप्ति के लिए आवेदन नहीं किया हो।

(ख) जी हां। सरकार ने आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की अविध एक वर्ष के लिये और बढ़ाने का निश्चय किया है। आवश्यक बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) जी हां। यह प्रश्न भारतीय योजना आयोग मंत्री तथा राजस्व मंत्री, राजस्थान सरकार के बीच में दिसम्बर, १९५७ में हुए विचार–विमर्श के समय उठा था।

श्री नाथूराम : किस-किस तहसील से इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री सम्पतराम : किसी खास तहसील का सवाल नहीं है, पर ऐसे प्रार्थना-पत्र बहुत सी जगह से आये थे।

श्री भीमसेन : क्या यह सही कि....

श्री अध्यक्ष : उन्हें पूछने दें। वे पूछ रहे हैं।

श्री नाथूराम : अवधि कब तक बढ़ा दी गई है ?

श्री सम्पतराम : इस सदन में थोड़े दिनों पहले एक बिल पेश किया गया था, जिससे एक साल की अवधि बढ़ाई गई है।

श्री भीमसेन : १५ वीं धारा के तहत खातेदारी राइट्स स्वतः मिल जाते हैं फिर प्रार्थना-पत्र के लिये अवधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री सम्पतराम : लेकिन यह सवाल दफा १९ के तहत खातेदारी प्राप्त करने का है।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं ? उनको खातेदारी राइट्स दिलाने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है ?

श्री सम्पतराम : कानून की निगाह में सबको खातेदारी हक समान रूप से प्राप्त करने का हक है।

श्री नाथूराम : ये लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, फिर प्रार्थना-पत्र कहां से लिखेंगे ?

श्री सम्पतराम : ऐसे लोगों को ख्याल में रख कर ही एक साल की मियाद बढ़ाई गई है।

श्री भीमसेन : माननीय अध्यक्ष, इसमें धारा १९ का कोई जिक्र नहीं है। मेरा प्रश्न है कि धारा १५ के अनुसार प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं, सरकार को खुद कार्यवाही करके खातेदारी राइट्स दर्ज करने चाहिये।

श्री सम्पतराम : हां, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही नहीं है कि काश्तकारों के सरकार ने खातेदारी राइटस दर्ज नहीं किये हैं ?

श्री सम्पतराम : यह सही नहि है।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

ग्रामोद्योग हेतु दिया गया ऋण

८१०. **श्री रिद्धिचन्द पालीवाल** (गंगापुर) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्रामोद्योग के नाम से १ अप्रेल, सन् १९५६ से अब तक किस किस संस्था को या व्यक्ति को कितने कितने रुपए की सहायता या ऋण दिया गया ?

(२) क्या ऋण प्राप्तकर्ता से ६ माही रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ?

(३) इस ऋण या सहायता का सदुपयोग हो रहा है उसे देखने के लिए क्या क्या व्यवस्था है ?

उप वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) अप्रेल, १९५६ से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संस्था व समितियों को दिये गये ऋण व सहायता की विवरण सूची संलग्न है।

(२) ऋण व सहायता देते समय मासिक रिपोर्ट भेजने की शर्त पूरी कराई जाती है। अतः ६ माही रिपोर्ट विवरण तालिका सूची के अनुसार लगभग आ जाती है।

(३) समितियों का हिसाब सहकारी विभाग द्वारा और संस्थाओं का हिसाब चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा चैक होता है और बोर्ड द्वारा भी नियन्त्रण रखा जाता है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए······

श्री भैरोंसिंह : किसी संस्था की तरफ से सरकार के पास शिकायत आई है कि धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

१२.८ म० प०

राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव श्री रामेश्वरदयाल का आया है जो इस प्रकार है :

"I propose that business of the House be adjourned to day for discussing the reaction caused by the recommendations of the Rajsthan Capital Enquiry committee as contained in its report, 1958."

यह प्रश्न न तो किसी निश्चित घटना के बारे में है और न ही इतना जरूरी है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में एक अल्पकालीन प्रश्न भी आया है, जिसका उत्तर समय पर दिया जायगा, जिससे माननीय सदस्य को जानकारी प्राप्त हो जायगी। इसलिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

१२.९ म० प०

उदयपुर (शेखावाटी) में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव है श्री लच्छूराम का, जो इस प्रकार है :

"हिन्दू मुस्लिम तनातनी के सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

उदयपुर (शेखावटी) में दिनांक ५–३–५८ से चल रही आम हड़ताल, १५ आदमियों की गिरफ्तारी और इन परिस्थितियों से उत्पन्न जन-जीवन की कठिनाइयों पर विचार करने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे।"

इसी प्रकार के दो प्रस्ताव और आये हैं, श्री अनोपसिंह और श्री भैरोंसिंह द्वारा इसके बारे में.........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज अभी होम मिनिस्टर साहब यहां नहीं पधारे हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी करके परसों या परले रोज इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे देंगे, जिससे सारी जानकारी सदन को हो जायगी।

मैं समझता हूं कि इस एडजोर्नमेंट मोशन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना इम्पोर्टेन्ट है कि वहां लाठी चार्ज हुआ है और इस सदन के सदस्य श्री जगदीशप्रसाद माथुर उसमें आहत हुए हैं। मुख्य मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में अभी जानकारी देनी चाहिये कि उदयपुर में किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और किस प्रकार वहां तनातनी बढ़ रही है। परसों या परले रोज जानकारी इस बारे में देने का रखा है, इससे लोगों के दिलों में और कई प्रकार की बातें और मुगालता पैदा होने की आशंका है और सरकारी अधिकारियों के रवैये के कारण वहां जो इस प्रकार की तनातनी बढ़ी है वह बढ़ती ही रहेगी।

इसलिये यदि मुख्य मन्त्रीजी के पास इस समय सूचना नहीं है तो वे एक-दो घंटे के बाद में पूरी जानकारी सदन को दे दें।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा वे खुद इस विषय में बहुत चिन्तित हैं और ज्यों ही उनको जानकारी हो जायगी वे सदन को जानकारी दे देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : १५ दिन से इस प्रकार की चीज़ चल रही है तो आज इस तरह समय मांगना ठीक नहीं। समय काफी हो चुका है इस बात को, इसकी जानकारी पहले से ही होनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री उपस्थित नहीं हैं तो क्या यह माना जाए कि इसका उत्तर माननीय चीफ मिनिस्टर नहीं दे सकते ! जैसा अभी माननीय चीफ मिनिस्टर ने कहा; मैं समझता हूँ कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के पास अब तक सारी इन्फोर्मेशन आ जानी चाहिये। जो इन्फोर्मेशन हमको मिल चुकी हैं, हम ऐसा मान नहीं सकते कि वह चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं मिली हो। अगर उनके पास पूरी इन्फोर्मेशन नहीं आई है तो वे टेलीफोन से झुंझुनू और नवलगढ़ से मंगा सकते हैं और जानकारी सदन को दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है और पूरी जानकारी के बिना सदन को सूचित करना उचित नहीं। कल होम मिनिस्टर यहां होंगे या नहीं होंगे, तो दूसरे मिनिस्टर उसका उत्तर देंगे। कल दे दी जायगी। कल जो घटना हुई उसके बारे में डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है जिसे सदन के सामने रख सकें।

श्री भैरोंसिंह : टेलीफोन उनके पास

(श्री भैरोंसिंह)

है, वे जानकारी हासिल करके आज सदन को सूचित कर सकते है।

श्री अध्यक्ष : वे जानकारी देने से इन्कार नहीं कर रहे हैं। बजाय आज के कल आ जाए।

श्री भैरोंसिंह : वे जानकारी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वे जानकारी जल्दी प्राप्त कर लेंगे।

१२. १२ म० प०

पचपदरा शहर में जल कठिनाई संबंधी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द ने भेजा है, "कि पचपदरा सीटी में पानी मोल भी न मिलने के कारण नागरिकों की कठिनाइयों पर विचार करने हेतु सदन की कार्यवाही स्थागित की जावे।"

यह प्रस्ताव इतना जरूरी नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थागित की जाकर, इस पर विचार किया जावे। स्वास्थ्य मन्त्री महोदय इसके बारे में २८-३-५८ को जानकारी देंगे।

१२.१४ म०प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से, उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थिति रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

श्री संपतराम जैन : दिनांक १०-३-५८ से २७-३-५८ तक।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिनांक १६-३-५८ से २०-३-५८ तक।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२.१५ म० प०

राजधानी जांच समिति सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि अभी केपिटल इन्क्वायरी कमेटी के बारे में कहा गया है उस संबन्ध में मैं यह चाहूँगा कि क्या इस सदन में केपिटल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के संबन्ध में सदन में एक दिन का समय निर्धारित किया जावेगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इसके बारे में जल्दी ही सदन के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

श्री गिरधारीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आप हाउस में चर्चा न करें।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब २२-३-५८ को आने वाला था मगर उस दिन छुट्टी हो गई।

१२.१६ म० प०

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री गिरधारीलाल का स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव भेजा गया था। जिस विषय में आज माननीय गृह मंत्री की ओर से वक्तव्य देना था, लेकिन वे आज नहीं आ सके इसलिये वह कल रखा जावेगा।

१२.१७ म० प०

मांग संख्या १५—शिक्षा

(पूर्वक्रम से)

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या १५ पर बहस चल रही है। इस पर अभी तक कटौती के प्रस्ताव ११७ आ चुके हैं। इस बारे में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आज पूरे दिन तक इस पर बहस होगी, व कल इसका उत्तर सरकार की ओर से दिया जावेगा। समय का बंटवारा भी करना उचित समझा गया और वह इस प्रकार है :

सरकारी पक्ष को २॥ घंटे दिये गये और विरोधी पक्ष को २॥ घंटे दिये गये; प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को १ घंटा, रामराज्य को ४५ मिनिट; जन संघ को ४५ मिनिट।

और ऐसा भी है कि इस समय के अन्दर भी १५ मिनट से ज्यादा कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या दल के अलावा दूसरे व्यक्तियों को बोलने के लिये समय नहीं दिया जावेगा?

श्री अध्यक्ष : ऐसे कौन से सदस्य हैं, जिनके कट मोशन्स हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने भी अपना कट मोशन रखा है।

श्री अध्यक्ष : १० मिनिट आपको दिये जावेंगे।

जो पार्टी के नेता हैं वे बोलने वालों की लिस्ट हमारे पास भेज दें।

श्री गिरधारीलाल : क्या सभी व्यक्ति नहीं बोल सकते? समय तो बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष : समय तो बढ़ा दिया है। पिछली सिटिंग में भी यह मांग ले ली गई थी और कल इसका उत्तर दिया जावेगा। इससे ज्यादा समय बढ़ाना संभव नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनको थोड़ा ही समय बोलने के लिये दिया जाए, मगर दिया जाना चाहिये?

श्री अध्यक्ष : जो मैंने व्यवस्था बताई है उसके माफिक सदन की कार्यवाही की जावेगी। जितने कटौती के, जिन जिन के प्रस्ताव हैं, ऐसा मान लिया जावे कि मूव कर दिये गये हैं। जो माननीय सदस्य बोलें, वे सीधा अपना भाषण शुरू करें।

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग पर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें मैं राज्य सरकार की शिक्षा की नीति पर विचार करना मुनासिब समझता हूँ।

Page No.31

(श्री रामचन्द्र)

अध्यक्ष महोदय, जब से वित्त मन्त्री महोदय ने इस सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत किया है तब से इस सदन के अन्दर और बाहर ऐसा वातावरण फैल गया है कि जब कभी कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य से बात-चीत करते हैं तो हर एक बात को, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, रुपये-पैसे और बजट के आधार पर बातें करते हैं और इस सदन में भी जब वे किसी विषय पर विचार करने के लिए खड़े होते हैं तो वह विषय चाहे कैसा ही हो, वे उसका मूल्यांकन रुपये पैसों में करते हैं। अभी चार रोज पहले पुलिस की मांग प्रस्तुत करते समय इस सदन के माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार पर वाद-विवाद किया, तब भी अपने वाद-विवाद का आधार उन्होंने रुपये पैसे का ही रखा। उस समय माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि इस विभाग को कायम करने से राज्य सरकार ने हम लोगों पर रुपये पैसे का एक बड़ा भारी भार रख दिया है। गर्ज कि हर एक सदस्य हर एक चीज़ की जांच रुपयों पैसों में ही करते हैं। सिंचाई की मांग को रुपये में आंका और सड़कों की मांग को भी रुपयों में आंका गया और हर एक विषय का मूल्यांकन रुपयों में ही किया जाता है। हालाकि करप्शन और भ्रष्टाचार के विभाग का रुपयों पैसों से इतना ज्यादा सम्बन्ध नहीं जितना उसका नैतिकता से है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि इस सदन के माननीय सदस्यों में से किसी ने उठकर यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जब सरकार हमारी नैतिक शिक्षा को मजबूत बनाने का प्रयत्न करे। हम देखते हैं कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मात्र साधन यह है कि हमारी मनोवृत्ति और उन लोगों की मनोवृत्ति, जो कि भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, रुपये से हट कर नैतिकता की तरफ जाय और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की शिक्षा में, नैतिकता का ऐलीमेन्ट ज्यादा रखने का प्रयत्न करें ताकि हमारे बालक उस शिक्षा को प्राप्त करके, अपना नैतिक जीवन बनाने का प्रयत्न करें। आज हमारी शिक्षा में यही एक कमी है जिसकी वजह से हम गर्त की ओर जा रहे हैं और अगर यही हालत रही तो समझ में नहीं आता कि हमारा भविष्य कैसा होगा?

पिछली बार ही नहीं किन्तु कई बार इस सदन में माननीय सदस्यों ने राजस्थान कॉलेज के ऊपर भी बहस करते समय उसकी बुराइयों का बेसिस भी रुपया पैसा ही रखा है। बहुतों ने यह उज्र पेश किया कि राजस्थान कॉलेज खोलने से सरकार का रुपया व्यर्थ नष्ट हो रहा है। थोड़े लड़कों की पढ़ाई के लिए बहुत ऊंची तनख्वाह के प्रोफेसर्स रखे जाते हैं और इसमें थोड़े लड़कों को लाभ होता है और सरकार का रुपया ज्यादा खर्च हो जाता है। छात्रावास के लिए भी बोलते हुए यही कहा कि थोड़े विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए एक बड़ी मंजिल किराये पर ले रखी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा स्तर ऐसा आ गया है कि कोई भी मसला हो, चाहे वह मसला शिक्षा से सम्बन्धित हो, चाहे उस मसले का सम्बन्ध किसी अन्य विषय से हो, उसका वेल्युएशन हमेशा रुपये पैसे में किया जाता है। हम यह नहीं देखते कि शिक्षा के क्षेत्र में रुपये-पैसे के अलावा बहुत सी अन्य बातें हैं जिनका हमारे बालकों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कॉलेज बनाने से राज्य सरकार ने जितना रुपया खर्च किया है, मैं चाहता हूं कि इस पर और अधिक रुपया खर्च किया जावे,

(श्री रामचन्द्र)

लेकिन साथ ही साथ यह भी चाहता हूं कि सरकार देखे कि उस कॉलेज के खोलने से लड़कों के मस्तिष्क पर हीनता का जो असर पड़ रहा है उसको मिटाने के लिये सरकार प्रयत्न नहीं करती है तो मुझे डर है कि आगे जाकर यही असर विद्यार्थियों के विकास के मार्ग में रुकावट का कारण बन जावेगा। विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स का प्रभाव पड़ जाना, विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात बैठ जाना कि हम राजस्थान कॉलेज के विद्यार्थियों के मुकाबले कम बुद्धि के हैं और हम राजस्थान कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों में इस प्रकार की हीनता और दब्बूपन की भावना बच्चों के दिमाग में बैठ जाना बुरा है और उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। उसको मिटाने के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रकार के कॉलेजों का अलग से निर्माण न करें, आप यह चाहें कि राजस्थान के बालकों के लिए अच्छी शिक्षा हो, तो मैं कहूँगा कि उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, चाहे वे फर्स्ट डिवीजन के हों, चाहे सेकन्ड डिवीजन के और चाहे वे थर्ड डिवीजन के हों, उन सबके लिये एक ही कॉलेज हो। आप उनको एक ही कॉलेज में रखिये और फिर उनको, सेक्शन्स बनाते समय अलग-अलग छांट लीजिये। उनके सेक्शन्स अलग-अलग बना लीजिये। फर्स्ट डिवीजन के बच्चों का एक ग्रुप, सेकन्ड डिवीजन के बच्चों का दूसरा ग्रुप और थर्ड डिवीजन के बच्चों का एक अलग ग्रुप बना लीजिये। अध्यापक महोदयों को चाहिए कि जो विद्यार्थी सेकन्ड डिवीजन में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका विकास इस प्रकार हो कि वे शनैः शनैः फर्स्ट डिवीजन के ग्रुप के साथ रख दिया जाये और इसी प्रकार थर्ड डिवीजन में पास होने वाले विद्यार्थियों को सेकन्ड डिवीजन और फिर फर्स्ट डिवीजन के ग्रुप के साथ रख दिया जाये। राजस्थान कॉलेज के खोलने के बनिस्बत यदि यह व्यवस्था की जाती तो उतना खर्चा भी नहीं पड़ता जैसा कि आज करना पड़ रहा है और लड़कों के मस्तिष्क में हीनता की भावना जैसी पैदा हो रही है वह भी नहीं होती। सरकार ने इस प्रकार से अलग से यह कॉलेज खोल कर एक बड़ी भारी भूल की है। मैं चाहता हूं कि जो भूल हुई सो हुई, लेकिन इस भूल को मिटाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सभी विद्यार्थी एक साथ रखे जावें और उनका विभाजन करके उनको एक हीनता का सर्टीफिकेट न दें, क्योंकि इससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अभी कुछ दिन हुए पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा इसी सदन में कई बार हुई। माननीय सदस्यों ने इस पर वाद-विवाद करते हुये, इस बात पर जोर दिया कि सरकार का पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है, लड़कों को किताबें नहीं मिल रही हैं, लेकिन किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि सरकार की इस राष्ट्रीयकरण की नीति के कारण अध्यापकों के मस्तिष्क का विकास रुक गया है। राष्ट्रीयकरण के पहले हर एक अध्यापक को यह अधिकार था कि वे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अच्छी-अच्छी पुस्तकों का निर्माण करें और सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके उनको स्कूलों और कॉलेजों में जारी कराते जिससे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचता। लेकिन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से अब यह हो गया

(श्री रामचन्द्र)

है कि टीचर के मस्तिष्क के विकास नाम की कोई चीज नहीं रही। सरकार ने राज्य के १०-१२ ही अध्यापकों को यह समझ लिया है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखने योग्य हैं और दूसरे अध्यापक इस कार्य के योग्य नहीं हैं। इसलिए अध्यापकों का एक प्रकार से जो मस्तिष्क का विकास हो रहा था वह रुक गया है और हमारे अध्यापकों के मस्तिष्क के विकास को रोकने का जो दुष्परिणाम निकला है, वह हमेशा कायम रहेगा और वे पुस्तक निर्माण में सहयोग नहीं दे सकेंगे। इसलिए राष्ट्रीयकरण के मामले में सरकार कैसी ही व्यवस्था क्यों न करे लेकिन ऐसी रुकावट नहीं रखनी चाहिए कि अमुक-अमुक अध्यापक ही पुस्तक रचना के अधिकारी हैं। इसके लिए एक उदार नीति बरतने की आवश्यकता है। यहां पर भी राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा की तीन स्टेजेज़ रखी गई हैं। एक प्राइमरी स्टेज़, दूसरी हायर सेकेन्डरी या माध्यमिक शिक्षा की स्टेज और तीसरी युनिवर्सिटी स्टेज। मैं मंत्री महोदय को और सदन के आदरणीय महानुभावों से यह प्रार्थना करूंगा कि जिनको शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी है वे कृपा करके तीनों सेक्शन्स के स्लेबस को लेकर देखें और यह जांच करने की कृपा करें कि ये तीनों स्लेबस आपस में मिले हुए हैं अथवा नहीं? हम यह देखते है कि प्राइमरी सेक्शन के लिये जो स्लेबस निर्धारित किया गया है, उसकी चेन हायर सेकन्डरी तक नहीं है। इसके बीच में दरार है, जब आठवीं कक्षा का विद्यार्थी नवीं कक्षा में जाता है, वह उस कक्षा में चलने के लिये अपने को अयोग्य पाता है। जब माता पिता देखते हैं कि वह नवीं कक्षा में नहीं चल सकता है तो लाजमी तौर परउनको ट्युशन करानी पड़ती है। यह है हमारी शिक्षा की हालत। माध्यमिक शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी युनिवर्सिटी की शिक्षा की ओर जाता है तो फिर उसको दरार नजर आती है। स्लेबस में कन्टीन्युटी नहीं है और इसको ठीक बदलना चाहिए। स्लेबस तो ऐसा होना चाहिए कि वह सिलसिलेवार प्राइमरी से माध्यमिक और माध्यमिक से युनिवर्सिटी स्टेज तक हमारे विद्यार्थियों के विकास के साथ साथ चला जाय। यह हमारे शिक्षा क्षेत्र में बड़ी भारी कमी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि ये मैंने जो बातें हाउस के सम्मुख रखीं हैं, उनका तथ्य जानने के लिए आपको स्लेबस की पुस्तक से पता नहीं लगेगा, इसके लिए टीचर्स की एक कमेटी मुकर्रर कीजिये और जो बातें मैंने रखी हैं, वह उस कमेटी द्वारा जांच कराई जावे ताकि सदन को पता लगे कि एक मास्टर ने जो बात कही है, वह कितनी सही है। मैं अपने तज्जुर्बे के आधार पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके स्लेबस में मुझे जो कमी नज़र आई वह मैंने सदन के सामने निवेदन कर दी। पाठ्यक्रम जो सरकार द्वारा बनाया गया है उसमें मुझे जो खामियां नजर आई उसका दिग्दर्शन मैंने कराया है आपको इन खामियों को दूर किया जाना चाहिये ताकि हमारे बालकों की शिक्षा अच्छे तरीके से हो सके।

अध्यक्ष महोदय, विश्व विद्यालय की शिक्षा सबसे ऊंची शिक्षा मानी जाती है। आज देश के निर्माण तथा विकास के लिये इस शिक्षा को अधिक से अधिक उन्नत और विस्तृत बनाना प्रत्येक राज्य सरकार का धर्म

(श्री रामचन्द्र)

है । विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पता लगाये कि हमारे यहां क्या क्या विकास के साधन हैं, राज्य में जो भी साधन उपलब्ध हों उनको पता लगाकर, उनको काम में लाना यह उसका जिम्मा है । यूनिवर्सिटी स्टेज पर हमारे यहां जो शिक्षा दी जाती है उसमें शिक्षा का क्रम तो ठीक है लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । इसके विकास के लिये जितनी सहायता मिलनी चाहिये और इसके विकास के लिये जितनी चेयर्स खुलनी चाहिये, वह नहीं खुली हैं । राजस्थान खनिज पदार्थों का भंडार हैं, राजस्थान में वे खनिज पदार्थ मौजूद है जो दुनियां के अन्य भागों मे नहीं पाये जाते है । इन खनिजों का तब पता चल सकता है जब कि इन खनिज पदार्थों का पूरी तौर से अन्वेषण कराया जाये । मैं सदन के सामने तथ्य रखूंगा कि हमारे यहां खनिज पदार्थों का अटूट भंडार है । हमारे यहां जो अरावली का पहाड़ है, वह सब से पुराना पहाड़ है, यह उस जमाने का पहाड़ है जब हिमालय भी नहीं बना था, गंगा की घाटी भी नहीं थी । यह पहाड़ महाद्वीप का एक भाग है, जो खनिज पदार्थों का भंडार है । आम तौर पर जितने भी पुराने पहाड़ होते हैं उनमें एटॉमिक एनर्जी वाले एलीमेन्टस पाये जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं । खनिज पदार्थों के बारे में वस्तु-स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक रुपया खर्च करना चाहिए और इसके लिये यूनिवर्सिटी में चेयर भी स्थापित की जाये ताकि रिसर्च कार्य किया जा सके और राजस्थान सरकार को अपने खनिज पदार्थों से बहुत लाभ मिल सके ।

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय अधूरा रह जायगा । किसी बहस के ख्याल से नहीं बोल रहा हूं बल्कि एक सलाह के रूप में मैंने अपने सुझाव सदन के सम्मुख रखे हैं । मुझे पांच मिनट का और समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट ।

श्री रामचंद्र : जो आज्ञा । मैं यह अर्ज कर रहा था हमने शिक्षा के तीन भाग किये हैं । विश्व विद्यालय की शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा । प्राइमरी शिक्षा तो बहुत जरूरी है इसके लिये यह जरूरी है कि बालक जिस वातावरण में रहता है, उसी वातावरण के अनुसार उसके लिए पुस्तकें लिखी जानी चाहिये, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है । आज जो भी पुस्तकें शिक्षा विभाग निर्धारित करती है उसके अनुसार हमारे गांवों में शिक्षा नहीं हो सकती है । आज इस प्रकार जो किताबें थोपने की प्रवृत्ति जारी है, वह गलत है । बच्चों के मस्तिष्क पर किसी किताब विशेष का थोपना बहुत गलत है । इसके लिए तो होना यह चाहिये कि उनके वातावरण के अनुसार ही जैसा कि उस क्षेत्र का स्टेंडर्ड है, उसके अनुसार स्लेबस बनना चाहिये ताकि वहां के बच्चों का विकास हो सके और उनको अधिक लाभ मिल सके ।

माध्यमिक शिक्षा का अनुभव तो इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों को है । माध्यमिक शिक्षा की आज क्या दशा है, उसके विषय में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । आज इस शिक्षा की व्यवस्था छिन्न-भिन्न है । टीचर्स नहीं हैं या टीचर्स हैं तो समय पर वे पहुंच नहीं पाते या महीनों तक गायब रहते हैं । इससे बच्चों की शिक्षा सुव्यवस्थित रूपसे नहीं हो रही है; इस क्षेत्र में जो

(श्री रामचन्द्र)

त्रुटी पाई जाती है, उसको दूर करने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिये ।

आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी के सामने छात्रों में अनुशासन की कमी का है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में इसके जिम्मेदार कौन हैं ? मेरा ऐसा मत है कि राज्य सरकार, छात्रों के अभिभावक, माता-पिता और अध्यापक भी इसके जिम्मेदार हैं । अध्यापकों का जो कर्तव्य है वह लोग आज पूरा नहीं कर रहे हैं । होता क्या है कि अध्यापक लोग कक्षाओं में गैर हाज़िर ज्यादा होते हैं वा देर से पहुंचते हैं, इससे होता क्या है लड़कों को जब समय मिल जाता है और विद्यार्थी देखते हैं कि क्लास तो खाली है तो उनके मस्तिष्क में ऊटपटांग बातें सूझती हैं । डिसीप्लीन के खराब होने का खास कारण यही है ।

इसके अलावा माता-पिता भी इस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते । माता-पिता भी बच्चों के बिगड़ने में पूरा साथ देते हैं । हमारे बालक आज के एटोमिक वेपन्स हैं, एटोमिक एनर्जी हैं । जिस प्रकार एटोमिक एनर्जी को अच्छे से अच्छे काम में भी ला सकते हैं और बुरे से बुरे काम में ला सकते हैं, जो विद्यार्थी आज एटोमिक एनर्जी और वेपन्स की तौर पर हैं, आप उस एनर्जी से पॉवर हाउस बनाकर उसका प्रयोग देश को रोशन करने में कर सकते हैं, इसी तरह से बच्चों का प्रयोग आप अच्छे से अच्छे कामों में कर सकते हैं । इसलिए मैं माता-पिता से भी कहूंगा कि आप बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए, आप भारतीय वातावरण के अनुकूल अपने बच्चों को बनाने की चेष्टा करें, उनको पार्टियों में शामिल न होने दें । पार्टियों में क्या कुछ होता है, ये तो पार्टी वाले जानते हैं, बच्चे उन बातों को नहीं जानते । उनका तो नुकसान जो होना होता है वह हो ही जाता है । इन्हीं सब बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरा मतलब यह नहीं की शिक्षा में जो खर्च किया जा रहा है, उसमें कमी की जाय । मैं तो यह चाहता हूं कि जितना रुपया आपने मांगा है उससे अगर दुगना भी शिक्षा में खर्च किया जाय तो हमें सहर्ष मन्जूरी देनी चाहिये । इसी में देश का भला है और देश के निर्माण में सहयोग देने वाले हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबन्ध में मेरा कटौती का प्रस्ताव है, वह राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में है । आज सदन में पहला ही दिन है, जब कि राष्ट्रीयकरण के बारे में यह कहा गया कि यह बड़ी भारी भूल हुई, यह भी ट्रेज़री बेन्चेज़ की ओर से । अब इसी सम्बन्ध में पहले वाद-विवाद हुआ तो उसका उत्तर देते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उसको एक बड़ी भारी चुनौती है । जनसंघ की ओर से प्रस्ताव रखा गया था कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण रद्द होना चाहिये । उस समय बोलते हुए मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि राष्ट्रीयकरण का विरोध करने वाले केवल एक ही सदस्य हैं लेकिन आज मुझे खुशी है कि राष्ट्रीयकरण के विरोध में बोलने वाले ट्रेज़री बेन्चेज़ के कई माननीय सदस्य खड़े हुए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बताया गया था कि हम सस्ती, सुलभ और सुन्दर पुस्तकें बालकों को देंगे । मैं मानता हूं कि इसके पीछे अगर कोई उद्देश्य हो सकता है तो यही हो सकता है, पर वास्तव में यह बात कहने भर की थी । इसके पीछे राजस्थान सरकार अपने आर्थिक साधनों को बढ़ाने को अधिक उत्सुक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

थी । इसके द्वारा वह पुस्तक लेखकों, स्वतन्त्र प्रकाशकों और मुद्रकों के साधन छीन कर अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाना चाहती है । मैं इस कार्य को एक ऐसा कार्य मानता हूं कि मानो उड़ते हुए पंछी को कोई पिंजड़े में बन्द कर दे । सरिता को मानो बान्ध बनाकर रोक दे, उसे स्वच्छन्द विचरण न करने दे । इसी प्रकार हम अपने बच्चों को, जो भावी नागरिक हैं देश के, जो देश के भावी निर्माण कार्य को अपने सबल कन्धों पर उठाने वाले हैं, उनके विचारों को सीमित कर देना चाहते हैं, उनके सोचने के दायरे को सीमित कर देना चाहते हैं । आज जब हम अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि-कोण पर समस्त विश्व के विचारों को लेकर चलने की बात करते हैं तब दूसरी तरफ इन बातों को देखकर ऐसा लगता है कि यह कांग्रेसी सरकार, यह राजस्थान की सरकार हमारे बालकों को तकली, चर्खा, खादी और मौलाना आज़ाद तक ही सीमित दायरे में सोचने की बात करती है । हो सकता है, अपनी पार्टी के एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये उन बच्चों की विचारधारा को आप एक जगह केन्द्रित कर दें, पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रान्त और देश के ये भावी नागरिक सही माने में सच्चे नागरिक बनें, हमारी पुरातन संस्कृति, कला और शिक्षा को उन्नतिशील बनाएं और उनको आदर्श मानकर एक आदर्श बनें तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम उनको प्रश्रय अवश्य दें, पर नियन्त्रण उन पर न रक्खें । उनको पुरातन संस्कृति की पृष्ठभूमि में अपने विचारों को बनाने दें । मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा ऐसी चीज है, जो राज्या-श्रय मानती है, पर नियन्त्रण नहीं । राज्य के नियन्त्रण से उसका स्वच्छन्द, स्वतन्त्र विकास रुक जाता है । इसलिये माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीयकरण एक बहुत बड़ी भारी भूल है ।

अब सरकार ने यह भी कहा कि हम बहुत सुन्दर पुस्तकें देने वाले हैं । वह भी कैसी सुन्दर है, इसका उदाहरण मैं बताता हूं । मैंने कक्षा एक की पुस्तक देखी । उसमें कुछ सुन्दर चित्र दिये गये हैं, लेकिन जब मैंने उन चित्रों को बनाने वाले कलाकारों और चित्रकारों से पूछा तो हमें बताया गया कि जो चित्र हमने बनाये थे, वे उसी रूप में इसमें नहीं लिये गये और फिर हमें यह भी नहीं बताया गया कि इस साइज़ के चित्र इन पुस्तकों के लिए चाहिएं । अच्छे अच्छे ख्याति प्राप्त वे चित्रकार थे । उनसे यह नहीं कहा गया कि किस साइज़ के चाहियें, किस लिए चाहियें । वे फिर कहने लगे कि हमारे सामने कुछ चित्र दे दिये गये और कह दिया गया कि ऐसे चित्र चाहियें । फिर वे भी बनाकर इतने अच्छे दिये थे कि जिनकी बाहर से आने वालों ने प्रशंसा की थी । पर इनके जो ब्लॉक बने हैं और जिन्होंने उन्हें छपाने का काम किया है, जिन्होंने गद्दारी की है । मैं समझता हूं कि जिन पर ब्लॉक बनाने का काम रखा गया उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया । जो ब्लॉक बनाये गये, वे आपस में लेपिंग करते हैं, रंगों में ऐसी स्पष्टता नहीं जिस प्रकार स्पष्टता होनी चाहिये और इस प्रकार वे चित्र इतने खराब बनाये गये हैं कि यह समझना मुश्किल है कि ये इन्हीं चित्रकारों के बनाये हुए हैं । तो इस प्रकार सारा काम लीपा पोती से किया गया है । फिर उन चित्रों में किसको कहां से काटना चाहिये कहां से नहीं, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया । परिणाम यह हुआ कि इन चित्रों का सारा महत्व ही समाप्त हो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

गया। तो यह सारा काम इस तरह से किया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि समय और मौसम की खराबी थी इसका भी इनमें प्रभाव पड़ा। हो सकता है; पर मैं बताना चाहूंगा कि जहां छपाई का काम होता है वह बारह महीने होता है, मौसम का कोई असर ऐसा नहीं होता।

इसके साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि उन पुस्तकों में प्रूफ की गलतियां भी कितनी हैं। जहां 'हिन्दुओं' लिखना चाहिये वहां 'हिन्दियों' लिखा गया है।

इसी तरह कक्षा चार की पुस्तक है, पद्य दे रक्खे हैं उसमें, उसमें भी यह दिया हुआ है। इसी प्रकार बताना चाहूंगा कि सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है, कक्षा सात में उसमें अकबर का पाठ दिया हुआ है, बाबर का है और हुमायूं का भी है। अब उनके चित्रों की बात बताता हूं, उसमें बाबर और हुमायूं के चित्र दिये हैं। एक ही ब्लॉक दोनों जगह दे दिया गया है। दोनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वेद : यही तो तारीफ का काम है।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय : यही तो तारीफ का काम मैं बताना चाहता हूं आपको। तो इसके साथ ही मैं मुद्रण की बात बताता हूं। इसमें राजस्थान के मुद्रकों की पूरी तरह से अवहेलना की गई। बाहर से टेन्डर मंगवाये, उनको ऊंची रेटों पर छपाने को ये पुस्तकें दी गईं, यहां वालों को कम रेटों पर भी वे पुस्तकें यहां छपने को नहीं दी। मेरे पास उनके कॉन्ट्रेक्ट्स की कॉपी भी है। सरकार इसके लिये कहती है कि इस प्रकार हमारे पास पन्द्रह दिन में छपकर आ जावेगी। पर आज पन्द्रह दिन तो क्या, पूरा साल भर होने आया, वे पुस्तकें आज दिन तक भी छपकर मार्केट में नहीं आई। आज भी मार्केट में ये पुस्तकें नहीं मिलती। मैं आज ही पुस्तक विक्रेताओं से मिला, उनसे पूछा कि यहां पर जो राष्ट्रीयकरण की पुस्तकें हैं क्या वे उपलब्ध हैं? उन्होंने यही नहीं बताया कि उपलब्ध नहीं हैं पर यह लिख कर भी दिया। उनका लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है कि हमारे पास कक्षा १ से कक्षा पांच तक की कोई भी राष्ट्रीयकरण की पुस्तक नहीं है और कक्षा ६ व सात की भी वे पुस्तकें जो राष्ट्रीयकरण की गई हैं वे भी उपलब्ध नहीं हैं। यह आज सब से बड़े कलंक की बात है इस राजस्थान सरकार के इस विभाग के लिये। इस सरकार के लिये भी यह कलंक की बात है कि बिना आगे पीछे सोचे और बिना पूरी तैयारियों के अदूरदर्शितापूर्वक इस तरह से इन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह एक ऐसा मसला है जिस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। हमने विद्यार्थियों का एक साल खोया है और उनके साथ बड़ा भारी अपराध किया है। आज इस कृत्य को देखते हुए मुझे आश्चर्य है कि आज भी यह सरकार बेशर्मी से इन कुर्सियों से चिपकी पड़ी है। उन्हें इस जघन्य अपराध को देखते हुए अपनी इन कुर्सियों को रिक्त कर देना चाहिए। जो बालकों का एक साल इस तरह से निर्दयता से बरबाद कर दे और पुस्तकों का प्रबन्ध नहीं कर पाये, उस सरकार को अपनी जगह पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं कहना चाहूँगा इतना ही नहीं है, यह एक बेईमानियों से भरी हुई लम्बी कहानी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बन गई है। आज ही प्रश्न आया कि ये पुस्तकें चोरी से बाज़ार में बिक रही हैं। इसके सुबूत में मैं एक पुस्तक बताऊंगा जो मेरे पास है और जो मैं आज ही बाज़ार से खरीद कर लाया हूँ। गणित की वह पुस्तक है, उस पर कोई सरकार की मोहर नहीं है। बिना मोहर की वह पुस्तक है। यह एक ही हो, ऐसा नहीं है, हजारों की संख्या में चोरी से छप कर बाजार में आ रही हैं और चोरी से बिक रही हैं।

यह शृंखला यहीं समाप्त नहीं होती और आगे चलती है। कुछ इन्सपेक्टरों द्वारा कुछ पुस्तकें, किसी एक क्षेत्र के लिये सीमित कर दी गई हैं। वे किसी एक क्षेत्र के लिये निर्धारित पुस्तकें भी आज वहां से गायब हैं और दूसरे क्षेत्रों में बिक रही हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा जैसे सांचोर क्षेत्र की पुस्तकें हैं, वे बीकानेर में बिक रही हैं। कुछ बीकानेर जिले के लिये निर्धारित पुस्तकें जैसलमेर में बिक रही हैं, कोटपुतली और शाहपुरा में बिक रही हैं। आज सांचोर के क्षेत्र के विद्यार्थियों को पुस्तकें मिलती नहीं और वे पुस्तकें दूसरे बुकसेलरों द्वारा बीकानेर में बिक रही हैं, एक जगह की पुस्तकें दूसरी जगह बिक रही हैं। यह है हाल यहां का। ये इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं जो हमारे इस शासन की प्रबन्ध-शक्ति का मजाक उड़ा रही हैं, ये इस राष्ट्रीयकरण की नीति की धज्जियां बिखेर रही हैं। आज सरकार अगर समर्थ है तो इन भयंकर गलतियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करे। राष्ट्रीयकरण करके जो भयंकर भूल सरकार ने की है उसे दूर करे और बालकों के स्वतन्त्र विकास का सीधा रास्ता खोल दे ताकि आने वाली यह पीढ़ी स्वतन्त्र रूप से अपना अध्ययन कर सके। आप उनको यह मत बताइये कि आज जो आप उनको पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं उनके पीछे कितना भ्रष्टाचार पनप रहा है और उनमें कितनी खराबियां और निकम्मापन भरा हुआ है। आज उन पुस्तकों की कीमतें भी देखते हैं तो इसमें भी आपकी यह बात साबित नहीं होती कि आप कोई उनको सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं। आपने राष्ट्रीयकरण करते समय तीन मुद्दे कहे थे। सुन्दर, सस्ती और सुलभ आपकी पुस्तकें होंगी। पर ये तीनों ही मुद्दे आपके फेल रहे। इसके बजाय हम देखते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला सो अलग। पुस्तकें सुन्दर नहीं थीं, सस्ती भी नहीं रहीं और सुलभ का तो नाम ही नहीं ले सकते। इससे बालकों की इस साल बहुत भारी हानि हुई है।

आज इन पुस्तकों के मैटर के बारे में भी थोड़ा उल्लेख कर देता हूं। अकबर बादशाह और ऐसे ही कितनी बार हुमायूं आदि का इन पुस्तकों में हमें विस्तृत इतिहास मिलता है; पर जिन महान् पुरुषों का चरित्र हमें बताना चाहिए था, उनका पूरा अभाव मिलता है। सामाजिक विज्ञान कक्षा ७ में हम देखते हैं कि राणा प्रताप, शिवाजी आदि के लिये बहुत थोड़े, दो चार, शब्द लिखे गये हैं; जब कि अकबर, हुमायूं और बाबर के लिये पूरे पाठ हैं। मैं इस पर पूछना चाहता हूँ कि क्या यही हमारा आदर्श बिन्दु है। क्या हम यही शिक्षा अपने भावी पीढ़ी को देना चाहते हैं। और इन्हीं आधारों पर उन्हें खड़ा करना चाहते हैं? एक ओर तो यह रेजीमेन्टेशन ऑफ थोट इस राष्ट्रीयकरण से मिलेगा ही पर दूसरी ओर जो देना चाहते हैं, उसके अन्दर वे अगर यही सोचते रहे कि हम इतने गिरे हुए और निकम्मे हैं तो यह चीज हमारे इस देश को और अधिक रसातल में ले जावेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इति-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हास की सच्ची घटनाओं को फिर से दोहराया जावे। पर इस पुनीत और महान् कार्य की ओर किसी का ध्यान नहीं है। हम अंग्रेजों द्वारा लिखे गये इन तरह के इतिहास को, उनके रिपीटेशन को इस तरह से छोटे छोटे रूपों में इन बच्चों को पढ़ाते हैं और मुगल-काल की बातों को कुछ इस तरह से तोड़-मरोड़ कर दिखाते हैं कि हम निकम्मे थे। यदि आपको अकबर की ही कथा लिखनी थी तो मीनाबाजार की कथा लिखनी थी। अलाउद्दीन खिलजी का पाठ बताना था तो पद्मिनी के जौहर की बात भी उन्हें बताते कि हम क्या थे। हमारी नैतिक पूंजी और बल क्या था, हमारी बहादुरी कैसी थी, पता लगता इनको। ये हमारे गौरव के पृष्ठ इन कोमल किसलय बच्चों के दिलों में भरते, पर आपने तो कुछ और ही किया है। ये पुस्तकें भी आपने ऐसे लोगों से लिखवाई हैं जो अंग्रेजों की गुलामी की शिक्षा के परम्परागत अंश थे। आप आज के शिक्षा शास्त्रियों को जो माने हुए ऐतिहासिज्ञ हैं उनको बिठाते; उनसे पूछते कि क्या उस अंग्रेजों की देन के इतिहास के रूप को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है। मैं यह भी बताऊं कि उन अध्यापकों को भी शिकायत है जिनको ये पुस्तकें लिखने के लिए बुलाया गया। उनको भी पैसा पूरा नहीं दिया गया; उनका भी शोषण किया गया। सरकारी अध्यापकों को छुट्टियों में बुला लिया गया। जब कि दूसरे लोगों ने गजेटेड छुट्टियों का लाभ उठाया, वहां उनको बुलाकर पुस्तकें लिखने में लगाया गया और उसके लिए उनको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया। उनको उनकी छुट्टियों में काम करने का एवजाना भी कुछ नहीं दिया गया।

एक बात और बताना चाहता हूं। आप राष्ट्रीयकरण करके जिन प्रकाशकों और मुद्रकों का धन्धा छीनने जा रहे थे, तो उनको कुछ सान्त्वना देनी थी, उनके साथ सहानुभूति बतानी चाहिए थी, होना तो यह चाहिए था कि उनको आप किसी न किसी रूप में कम्पेन्शेट करते। पर हमने यह कभी नहीं सोचा; न्याय अन्याय की कोई बात नहीं सोची। तो इस दृष्टि से भी मैं कहना चाहूँगा कि यह राष्ट्रीयकरण एक प्रकार की बला है। एक तरफ इससे हम बच्चों को एक सँकुचित दायरे में चर्खा-तकली तक सीमित करने वाले हैं, दूसरी तरफ सब के प्रति अन्याय करने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की बला को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटमोशन विभागीय अनियमितताओं के विषय में रखा है। अध्यक्ष महोदय, नागरिकों की प्रगति और उनको उठाने के लिए मैं समझता हूँ कि अर्थ और शिक्षा ही एक मूलभूत आधार है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इस विभाग में जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उनके कारण जिस लक्ष्य तक हम पहुँचना चाहते हैं संभवतः हम वहां तक पहुँचने में असमर्थ हो सकते हैं, इसलिए यह कटमोशन मैंने सदन में प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का कुछ आपके सामने दिग्दर्शन कराऊंगा। रायपुर, करेड़ा, गंगापुर, कोशीतला इत्यादी कुछ कस्बे ऐसे हैं कि जहां पर शिक्षा के लिए जो भवन बनने चाहिए, वे कहीं अधूरे पड़े हुए हैं कहीं भवनों की मांग है तो उनके लिए सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है, जब कि मैं बार बार, हर वक्त यहां सदन में निवेदन करता हूँ कि किसी भी विभाग के बारे में, इसी विभाग का नहीं, परन्तु प्रत्येक विभाग के लिए सरकार के सामने हर वक्त कहता रहता हूँ कि हर मामले मे

Page No.40

(श्री शिवचरणदास)

हर विभाग में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। जो कस्बे अभी मैंने आपके सामने निवेदन किए हैं, उनमें जैसे रायपुर है, वहां हाई स्कूल की कुछ बिल्डिंग बनी है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी कई दफा कहा करते हैं कि वहां हाईस्कूल बना दिया है और हमने उस कस्बे की काफी प्रगति की है, हमारा काफी उस कस्बे की तरफ ध्यान है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज भी कई वर्षों से, करीब दो साल पहले कुछ काम हुआ है, उसके बाद से वह आज अधूरा पड़ा हुआ है। जब कि दूसरी कई तहसीलों और शहरों में काफी तौर से उसके ऊपर पैसा लगाया जाता है, लेकिन देहातों की तरफ हमारी सरकार ने इस शिक्षा के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ध्यान भी अगर कहीं दिया है तो थोड़ा काम चला दिया है, कहीं मकान अधूरे बना दिए हैं, कहीं मास्टर पूरे नहीं भेजे हैं और कोई मास्टर भेजे हैं तो उनको ऐसी सुविधाएं नहीं हैं कि जिससे वे अपनी पूरी दिलचस्पी के साथ कहीं कुछ काम करें। या कई एक ऐसी जगह हैं जहां कि दो-दो मास्टरों की आवश्यकता है तो कहीं एक ही मास्टर भेजा गया है। इस तरह से जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, उनके कारण से मुझे ऐसा लगा है, अध्यक्ष महोदय, कि हम जिस लक्ष्य को, जिस शिक्षा को हम सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं, उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते।

इसी तरह से करेड़ा स्कूल, अध्यक्ष महोदय, वहां के निवासियों ने करीब-करीब पन्द्रह हजार रुपया लगाकर उसका भवन बनाया है। तब जाकर काफी प्रयत्न और कोशिशों के बाद सरकार ने इमदाद दी है, लेकिन आज करीब करीब पूरा होने के बाद भी वहां का स्कूल अधूरा पड़ा हुआ है। वह केवल इसलिए कि वहां पर उसके अन्दर फर्श तैयार नहीं हुआ है और आज वहां लड़के, जब कि १५-२० हजार रुपया खर्च हो चुका है फिर भी, एक मंदिर में बैठे हैं। इसकी तरफ कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन वह ध्यान नहीं देती।

गंगापुर का एक बहुत बड़ा कस्बा है यह एक विचित्र कस्बा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे वे बातें याद आती हैं जब कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी चुनाव के वक्त में वहां पर प्रचार के लिए तशरीफ ले गये थे, उस वक्त इस कस्बे को खास तौर से चेलेन्ज दिया गया था कि याद रखो, ऐसी बातों से किस तरह से कस्बे की प्रगति कर सकते हो। तो ठीक उन्होंने इस चीज को पूरा करके बताया। आज वहां पानी का अभाव है। खेती तो बड़ी दुश्वार है, लेकिन पीने के पानी के लिए भी एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है। वहां के लोगों के नहाने का प्रश्न ही नहीं है; इसी तरह से इस शिक्षा के अन्दर भी वहां के स्कूलों के लिए पूरे मकान नहीं हैं और जिसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो कान में तेल डाले हुए सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है।

इसी तरह कोशीतला है। यह भी एक बहुत बड़ा कस्बा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक अधूरा स्कूल आज ५ साल से पड़ा हुआ है। उसके लिए कई बार सरकार से निवेदन किया गया, लेकिन उस पर कोई ध्यान हमारी सरकार ने नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके आगे मैं आपसे निवेदन करूं कि इस विभाग की बहुत बड़ी एक विचित्र कहानी है। वह यह है कि अपने यहां तो मैंने यह देखा है कि इसमें सरकार की तरफ से राजनैतिक स्टन्ट के रूप में एक गुट्ट हमारी तहसील में फैला रखा है जिसको कि

(श्री शिवचरणदास)

हमारे क्षेत्र में बढ़ाने की चिन्ता नहीं है। करेड़ा में ऐसे ऐसे मास्टर हैं कि जिनका १०,१० साल से तबादला नहीं किया गया है। वे चाहे ड्यूटी पूरी देते हों या न देते हों, किन्तु आज जैसी कि लोगों की शिकायत है कि एक एक समय में, एक एक जगह मास्टरों का तीन तीन मर्तबा तबादला कर दिया जाता है, वहां पर सरकार ने १० साल से मास्टरों का तबादला नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि उस तहसील में दाता ग्रुप नाम का ऐसा ग्रुप बना हुआ है कि संभवतः ऐसा भान होता है कि सरकार की तरफ से वह सी.आई.डी. का एक संघ है, जो हर वक्त कांग्रेस का प्रचार करता रहता है और वहां पर मास्टरों को पढ़ाने का अवकाश नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वे कई दिनों तक गैरहाजिर रहते हैं, एक दिन नहीं अनेकों दिन तक उपस्थित नहीं रहते हैं और उनके लिए जब सरकार का मैंने स्वयं ध्यान दिलाया और प्रश्न भी मैंने पूछा, लेकिन काफी अर्सा होगया उस प्रश्न का उत्तर भी मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और संबंधित महकमे का भी मैंने इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की, किन्तु उनका इस तरफ ध्यान नहीं गया। इसीलिए देहाती स्कूलों के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं अक्सर निवेदन करता रहता हूं। वह है कि जहां शहरों के अन्दर जितना पैसा इस शिक्षा पर खर्च किया जाता है, बुनियादी तौर से जो देहातों पर खर्च होना चाहिए, उस ढंग से उन देहातों के अन्दर उस पैसे का उपयोग नहीं करते। इसलिए हमारे देहाती लोगों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं रहता। एक देहात के आदमी के लिए यह स्वप्न की सी चीज है कि वह कभी आशा लगाते हुए भी यह उम्मीद नहीं करता कि मेरी सन्तान आज कहीं कलेक्टर बन सकती है और आगे जाकर मिनिस्टर बनेगी। यह आशा आज की मौजूदा स्थिति में जो स्कूलें चल रही हैं उसको देखने से प्रत्येक देहात के लोग इस धारणा को लगाये हुए बैठे हैं और इस तरफ सरकार का कई बार ध्यान दिलाया गया किन्तु सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी भीलवाड़े में जब छात्रों का आन्दोलन हुआ था, उसमें कई एक छात्रों को जब कि कायदे के अनुसार उनको पहले नोटिस मिलना चाहिए था कि इस कारण से परीक्षा में नहीं बिठाये जा सकते है, परीक्षा में नहीं बैठने दिया। कई एक छात्रों को बिना नोटिस के परीक्षा में नहीं बैठाया जा रहा है। आज उनके भाग्य को अधंकार में डाला जा रहा है और जब सरकार से रिक्वेस्ट की गई उन लोगों की तरफ से तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

इसी क्षेत्र में जो जागीरों के स्कूल हैं, वहां के मास्टर हैं जिनका कि १०-१० साल से फिक्सेशन नहीं हुआ है। ऐसी ऐसी नजीरें, अध्यक्ष महोदय, देखने में आती हैं।

तो मैं इतना ही निवेदन करके सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह की जो अनियमितताएं इस विभाग में बरती जा रही हैं उस तरफ ध्यान दे और इस शिकायत को मिटाने की कोशिश करे।

१ म० प०

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करूं कि कोटतपुली में एक मिडिल स्कूल है और वह मिडिल स्कूल ठिकाने की वक्त बनी थी और एक हाई स्कूल है, वह भी ठिकाने की वक्त की है, जब कि नीम के थाने में और बैराठ आदि तहसील में ५, ६ हाई स्कूलें मौजूद हैं, लेकिन कोटपुतली में

(श्री शिवचरणदास)

केवल जागीर के वक्त की एक हाई स्कूल है; वहां के लोगों की पूरी मांग होते हुए भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यही नहीं पाटन एक बहुत बड़ा कस्बा है जहां करीब १०००,१२०० आदमियों की बस्ती है वहां केवल एक मिडिल स्कूल है, उसके पास ही नागलाछाजा में १० घरों की आबादी का छोटासा गांव है, वहां पर हाई स्कूल खोली गई है, लेकिन पाटन में नहीं खोली गई है। इस तरह की अनियमितता बरती जा रही है। मैं समझता हूं सरकार इस पर ध्यान देगी; इस ओर ध्यान दिलाने के लिये ही मैंने यह कट मोशन पेश किया है।

श्री भैरोंसिंह : सब कट मोशन्स एक साथ ही ले लूं या बीच में कांग्रेस वाले बोल लें, उसके बाद में बोलूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है वह सरकार की आलोचना के लिए नहीं रखा है। मैंने यह प्रस्ताव सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाने के लिए रखा है है कि सरकार क्या क्या अच्छे कदम उठा रही है और जो कदम उठा रही है क्या उनसे प्रगति रुकी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो बहुत से साथी बोले हैं कि राजस्थान में जो स्कूलें खोली जा रही हैं, उनसे जनता में बड़ी भारी बेचैनी फैली हुई है। बहुत मेहनत करके जो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा यह कार्य होता चला आ रहा है, अब जो कदम उठाया जा रहा है, वह वाकई सराहनीय है, लेकिन इसमें अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए। इसके लिए एक बोर्ड बैठाकर वाकई में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और जो फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं उनको भर्ती करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत से कहते हैं कि ऐसे डिवीज़न वालों को भी नहीं लिया गया।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में जितनी धन-राशि खर्च की जाती है उसमें दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन देखना यह है कि कहां ज्यादा खर्च होता है और कहां कम खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के अन्दर जहां बहुत प्रगति हुई है, वहां बहुत भवन-निर्माण हुए हैं कहीं सेकन्ड्री हाई स्कूल्स खुली हैं, कई कॉलेजेज़ खुली हैं और कई हाई स्कूल्स बनाई जा रही हैं और कहीं ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों ने बिल्डिंग्ज़ सौंपी हैं वे गिरती जा रही हैं और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ओर तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर पीछे की बिल्डिंग्ज़ खराब होती जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि हमने १६ जून, ५४ को हमारे यहां से ३ मिडिल स्कूल्स, १०-१२ छोटी स्कूल्स और एक हाई स्कूल सम्भलाई थी। अब उनका आज दिन तक पी. डब्ल्यू. डी. और एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में झगड़ा चल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेन्ट यह कहता है कि हमने नहीं सम्भाला है और पी० डब्ल्यू. डी. वाले कहते हैं कि एजुकेशन वालों ने हमको नहीं सम्भलाया। कभी मन्त्रीजी वहां पधारें तो देखेंगे कि वहां पर बच्चों के बैठने के लिए पूरी जगह नहीं है, मकान की पट्टियें

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

टूट गई हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। मैं असिस्टेन्ट इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० (बी० एन्ड आर०) टोंक से मिल आया हूं, हमने कहीं २५००० की इमारत सम्भलाई थी और कहीं २० हजार की और कहीं १५ हजार की इमारतें सम्भलाई थीं, लेकिन उनकी मरम्मत की ओर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दूसरी ओर कहीं कहीं पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज बनाई जा रही हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान है, तो मेरा निवेदन करना यह है कि सरकार को जो पुरानी बिल्डिंग्ज हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उनको नेस्त नाबूद करके नई इमारतें बनाई जा रही हैं यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेवलपमेन्ट कमेटी के अन्दर भी मैंने इन स्कूलों के लिए निवेदन किया था और कमेटी से कहा था कि यदि इन इमारतों की मरम्मत सरकार नहीं करती, तो डेवलपमेन्ट कमेटी से कराई जाय। डेवलपमेंट कमेटी का रूल यह है कि आधा पैसा प्रजा खर्च करती है और आधा डेवलपमेन्ट कमेटी से दिया जाता है। इसके लिए मैंने उस क्षेत्र में जाकर लोगों से कहा कि मैंने तो तमाम बिल्डिंग्ज़ सरकार को सौंप दी हैं, लेकिन अब वे गिर रही हैं, उनकी मरम्मत होना जरूरी है। इसलिए आधा खर्चा तुम दो तो आधा खर्चा सरकार दे देगी। वहां पर एक प्रकार का भ्रम है, लोग कहते हैं कि यह क्या राज्य हुआ, पहले तो आप मरम्मत करवाते थे और नई इमारतें बनवाते थे अब गांव वाले आधा खर्चा कहां से लावें? कहीं पर अतिवृष्टि होती है और कहीं पर अनावृष्टि होती है जिसके कारण अनाज पूरा पैदा नहीं होता है, वहां पर न तो कोई इन्डस्ट्री है और न कोई व्यापार है और आदमियों का निर्वाह भी कठिनता से होता है, उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे वगैर पढ़ाई के इधर उधर डोलते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन इमारतों के बारे में पी० डब्ल्यू० डी० और एजुकेशन के बारे में जो झगड़ा चल रहा है, उसको निपटा कर इनकी मरम्मत या तो सरकार करावे या पी० डब्ल्यू० डी० से करवाये।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूं कि मेरे यहां हाई स्कूल भवन की तैयारी कर रहे हैं। ४ कमरे तैयार हो गये हैं, २५००० के लिये आपने सेंक्शन देदी है। लेकिन अब जाकर काम शुरू हुआ है ३ कमरों का। ४ कमरे प्रजा ने और हमने बनाये और ३ अब बनेंगे। २ कमरों की और कमी रहती है, इस ओर भी सरकार ध्यान दे।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथ जो अनियमितता बरती जा रही है वह नहीं बरती जाय। ५७–५८ में उनियारा हाई स्कूल में कॉमर्स के लिये करीब ८००० रु. की ग्रान्ट हुई। लेकिन कुछ दिनों पहले उनियारा के हैड मास्टर के पास लिखा हुआ आया कि अब यह ग्रान्ट टोंक कॉलेज को देदी है। यह क्या हुआ? सरकार वहां पर हाई स्कूल खोलना चाहती है, वहां पर छात्रों की संख्या भी ४०० है मैंने जो भवन बताया उसमें प्राइमरी स्कूल है, जब तक इमारत नहीं बने तब तक के लिये मैंने भवन बताया है। उस जगह के लिये सेंक्शन हुए रुपये भी दूसरी जगह, टोंक को, दे दिये।

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हमारे क्षेत्र में ऐसी अनियमितता क्यों बरती जा रही है ? मैं आशा करता हूं कि आयन्दा के लिये सरकार ऐसा न करेगी। दूसरी बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सरकार को एक ऐसे क्षेत्र की सर्वे करानी चाहिये कि जो धन-राशि खर्च की जाती है वाकई उसकी वहां आवश्यकता है या नहीं। जहां अत्यन्त आवश्यकता हो, जहां शिक्षा के प्रचार की बहुत जरूरत हो, वहां पर सरकार धन-राशि खर्च करे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कभी कभी आप पधारा करें और हमें आभारी किया करें। आप कभी भी पधारे नहीं। आप वहां पधारें और देखें कि वाकई जरूरत है या नहीं। जब पहले आप पधारे थे, तब रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से पधारे थे, अब आप चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पधारें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग पर मेरे दो कट मोशन्स हैं। पहला कट मोशन यह है कि सांचोर तहसील में न तो हायर सेकन्डरी स्कूल का निर्माण किया गया है न इसके लिए कोई भवन है और न ही सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, सांचोर तहसील में १५० गांव हैं और इस तहसील की जन-संख्या ७५ हजार है। इस तहसील के निवासियों के लिए शिक्षा का कोई साधन सरकार ने रखा है ? अध्यक्ष महोदय, इस तहसील भर के अन्दर सिवाय एक मिडिल स्कूल के, जो सन् १९३० में बनी थी, और कोई स्कूल रन नहीं कर रही है। इस स्कूल की एक एक क्लास में ४०-४० लड़के हैं। इस समय आठवीं क्लास में ४० लड़के पढ़ रहे हैं। इस मिडिल स्कूल में चौथी से लेकर आठवीं क्लास तक रन कर रही हैं और इस स्कूल में २०० लड़के हाजिर रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तहसील के काफी लड़के, जिनके पास शिक्षा की किसी प्रकार की सहूलियत नहीं, है शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण, शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्योंकि आस-पास उचित शिक्षा के साधन प्राप्त नहीं हैं, इस तहसील से बाहर नहीं जा सकते। इस तहसील की, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जन संख्या ७५ हजार है और यहां की पब्लिक इतनी गरीब है कि जो खर्चे को बर्दाश्त करके बाहर शिक्षा के साधन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। इस क्षेत्र के ४० मील के अन्दर कोई हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं है। यहां की जनता को शिक्षा के लिए भीमा जाना पड़ता है जो कि ४२ मील दूर है, मालवाड़ा जाना पड़ता है जो ४० मील दूर पड़ता है। इस तहसील में जो एक मिडिल स्कूल है उसको हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने के लिए सरकार से कई दफा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति को नजर में रखते हुए सरकार कोई हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने का विचार नहीं रखती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस बजट में १९ लाख का मुनाफा दिखाया गया है, अगर अब स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा, तो भविष्य में सुधरने की क्या उम्मीद रखें ? अध्यक्ष महोदय, कई जगह स्कूल खोले जाते हैं, वहां प्रश्न यह उठता है कि जनता पैसा देती है। मैं निवेदन करूं कि जहां जनता धन देने के काबिल नहीं है, वहां सरकार का फर्ज हो जाता है कि वहां पढ़ाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा प्राप्त कराने

(श्री लक्ष्मीचन्द)

के लिए स्कूल, हायर सेकन्डरी स्कूल का निर्माण करें। सरकार शहर में स्कूल खोलती है, लेकिन उसके लिए जनता द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, सरकार पैसा खर्च करती है। हर किस्म की फेसिलिटीज़ सरकार शहर में देती है। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता ग्रामीण है, उसको ऊंचा उठाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिये और इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जब शहर के लिए पैसा उपलब्ध हो जाता है तो ग्रामीण जनता के लिए क्यों नहीं उपलब्ध होता है ? अध्यक्ष महोदय, जितने टैक्स लगते हैं वे ज्यादातर ग्रामीण जनता पर लगते हैं और जितना पैसा रिकूवर होता है वह ग्रामीण जनता से होता है। लेकिन जहां उनकी स्थिति को सुधारने का सवाल आता है, जहां उनको ऊंचा उठाने का सवाल आता है, वहां सरकार कहती है कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस मुत्तल्लिक ६-१-५७ को मैंने एक डी. ओ. मुख्य मन्त्री जी को लिखा था कि सांचोर में हायर सेकन्डरी स्कूल का निर्माण किया जाय। हमारा दुर्भाग्य है कि शायद वह डी. ओ. मुख्य मन्त्री जी तक पहुँचा नहीं या शायद मुख्य मन्त्री जी को जवाब देने की फुर्सत नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, न मालूम क्यों, इस तहसील के साथ सरकार की नीति खिलवाड़ करने की हो रही है।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा यह है कि जहां हमारे सौभाग्य से या सरकार की महरबानी से थोड़े बहुत प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं, वे जुलाई से बन्द पड़े हैं। कारौला की प्राइमरी स्कूल १ जुलाई, १६५७ से बन्द पड़ी है, वहां पर टीचर नहीं भेजे गये। सारवाड़ा में भी जुलाई से स्कूल बन्द पड़ा है, दूठवा में भी जुलाई से स्कूल बंद पड़ा है। डवाल में बन्द पड़ा है, वहां टीचर का पोस्टिंग किया गया, लेकिन वे पहुंचे नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये स्कूल बन्द पड़े हैं, लेकिन जो सरकार की नीति है, वह ग्रामीण जनता के साथ खिलवाड़ करने की नीति है। वे स्कूल बन्द पड़े हैं, इससे ग्रामीण जनता के साथ सरकार की सहानुभूतिपूर्ण नीति साबित नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, जो यह मुनाफा दिखाया गया है उसके लिए शायद हमारे मुख्य मन्त्री जी स्वीकार करेंगे कि १० हायर सेकन्डरी स्कूल खोले जा रहे हैं। १० हायर सेकन्डरी स्कूल का प्रोवीजन किया है, इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर एक हायर सेकन्डरी स्कूल सांचोर में खोलें तो सरकार की तरफ से यह हमें सबूत प्राप्त होगा कि सरकार हमें आगे बढ़ाने के लिये, उन्नति करने के लिए कार्य कर रही है और जनता के साथ सहानुभूति प्रगट कर रही है, मगर इसकी हमें कम उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार एक तहसील के साथ सरकार खिलवाड़ करती जा रही है, यह कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। सरकार कहती है कि हम शिक्षा के संबंध में उन्नति कर रहे हैं, लेकिन यह शिक्षा की उन्नति केवल कागजों में हुई है, कांच में जनता को दिखाने के लिए हुई है, लेकिन जनता के दिल और दिमाग में उन्नति की भावना प्रगट नहीं हुई है। मैं यह नहीं कहता कि आपने उदयपुर में क्यों स्कूल खोले हैं, लूनी में क्यों खोले हैं, मारवाड़ में क्यों खोले हैं, मगर सांचोर के साथ में क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह ।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं, वे धौलपुर में कुछ शिक्षा सम्बन्धी अभाव हैं, उनके बारे में हैं । सबसे पहला मेरा कटौती प्रस्ताव धौलपुर में डिग्री कॉलेज स्थापित करने के सम्बन्ध में है । माननीय अध्यक्ष, धौलपुर शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है और वहां के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए या तो आगरा या भरतपुर जा सकते हैं । धौलपुर के अन्दर एक हाई स्कूल और एक हायर सेकन्डरी स्कूल है, लेकिन वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है । इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि कम से कम धौलपुर में एक डिग्री कॉलेज स्थापित कर दे । उससे गरीब विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है । जहां तक भवन का प्रश्न है, धौलपुर में उसके लिए पर्याप्त स्थान है, केसरबाग इसके उपयोग में आ सकता है । मेरा निवेदन है कि धौलपुर में एक डिग्री कॉलेज किसी न किसी प्रकार स्थापित किया जाय ।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है कि धौलपुर में उप शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय स्थापित किया जाय । माननीय अध्यक्ष, जितने भी भूतपूर्व राज्य हैं, वे कोई न कोई कार्यालय अपने यहां के लिए मांगते हैं । यह ठीक है कि जब बाप की जायदाद का बंटवारा होता है, तो चाहे छोटा बेटा हो, या बड़ा बेटा हो, कुछ न कुछ उसे जायदाद से प्राप्त होता है । धौलपुर राज्य में एक प्रकार से छोटा हिस्सा है, यह राज्य भी संधिगत राज्य होने के कारण अधिकारी है कि वहां एक दो कार्यालय दिये जांय । इस कारण से हम यह मांग करते हैं कि उप शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय वहां स्थापित करें, अगर यह स्वीकार करते हैं तो अत्युत्तम होगा ।

माननीय अध्यक्ष, मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है, वह धौलपुर शहर में मिडिल स्कूल स्थापित करने के सम्बन्ध में है । इस सम्बन्ध में हमारी मांग थी कि धौलपुर शहर में एक मिडिल स्कूल है और वह शहर के एक हिस्से में है । धौलपुर शहर के दो हिस्से हैं, पुराना शहर होने के कारण वहां उस स्कूल में छोटे–छोटे विद्यार्थी काफी दूर से आते हैं । उन विद्यार्थियों को धूप और बरसात में काफी कष्ट उठाना पड़ता है और एक्सीडेन्ट होने का भी भय रहता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि एक मिडिल स्कूल और स्थापित कर दिया जाय तो अच्छा होगा ।

मेरा चौथा कटौती प्रस्ताव है और वह यह है कि जो गर्ल्स हाई स्कूल है, उसको हायर सेकन्डरी स्कूल बनाया जाय । माननीय अध्यक्ष, अगर किसी के दो बच्चे होते हैं, तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत होती है । अगर इस गर्ल्स हाई स्कूल को हायर सेकन्डरी में परिवर्तित कर दिया जाय तो दोनों बच्चे उसमें पढ़ेंगे और उन्हें दिक्कत नहीं होगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो गर्ल्स स्कूल है उसे हायर सेकन्डरी स्कूल कर दिया जाय ।

मेरा जो पांचवा कटौती प्रस्ताव है, धौलपुर का एक ग्राम नबाब वसई है, यह धौलपुर का सबसे बड़ा गांव है, इसकी आबादी पांच हजार की है । इस गांव के पास तीन चार मिडिल स्कूल हैं, इस वजह से यहां हायर सेकन्डरी स्कूल बनाया जाय तो निश्चित है कि यह हायर सेकन्डरी स्कूल रन कर सकता है और उसमें काफी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए उपयुक्त स्थान भी है,

(श्री बहादुरसिंह)

नवाब साहब की बिल्डिंग वगैरह हैं और वहां के लोग भवन की सुविधा देने को तैयार हैं।

मेरा जो छटा कटौती प्रस्ताव है, वह है, महाराना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कृषि की क्लास स्टार्ट कर दी जाय। यह विद्यालय धौलपुर में ऐसी जगह स्थापित है, जहां एक बाग है, जो नरसिंहा बाग कहलाता है और उसके चारों तरफ कृषि योग्य भूमि है। इसके अलावा तीन चार कूए हैं, जहां से कि पूरे धौलपुर को वाटर सप्लाई कर रहें हैं। इस प्रकार पानी और बिजली की सुविधा है, भूमि है, इसलिये कृषि की क्लास जरूर स्थापित की जाय, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं हमारी इस प्रकार साधिकार और वाजिब मांगें हैं, तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से, जो कि शिक्षा मन्त्री भी हैं, प्रार्थना करूंगा कि धौलपुर पर विशेष कृपा करते हुये, इन मांगों को एक साथ स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष, शिक्षा की डिमान्ड पर मेरे दो कट-मोशन्स हैं। मेरे पहले कट मोशन का आशय यह है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ाई जांय। माननीय अध्यक्ष, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आज यह है कि हम किसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, व अन्य कम तनख्वाह पाने वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ावें। क्योंकि इसके लिये पैसे की आवश्यकता होती है पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज के इस मंहगाई के युग में यह दलील देकर कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, यह दलील उचित नहीं होती। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, उनकी तनख्वाह में, दूसरे मामलों में जो अधिक खर्चा होता है, उसको कम करके वृद्धि करनी चाहिये। आज राज्य में बहुत सी फिजूल खर्चियां होती हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा रुपया देते हैं जो चन्द घंटे काम करते हैं और ऐसे लोगों को जो कि बारह-बारह घंटे खून का पसीना करके, मेहनत करते हैं, उनको तनख्वाह कम देते हैं। यह भेद-भाव रहेगा तब तक हम दावा नहीं कर सकते कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जनता के सामने आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम कल्याणकारी राज्य या समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। यदि हम समाजवादी समाज की स्थाकरना चाहते हैं तो यह सबसे पहले करना पड़ेगा कि समाजवादी समाज में सब प्रकार का शोषण बन्द होता है। पर आज जो शोषण हो रहा है, कम तनख्वाह, ज्यादा तनख्वाह, यह बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसको खत्म करना पड़ेगा। यह खत्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां आप कुछ कहते हैं, नारा कुछ और लगाते हैं और वास्तव में उस सिद्धान्त को जिसका कि नाम लेते हैं उसको नहीं मानते।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, इस प्रकार की दलीलें राजस्थान की जनता के सामने जो कि अशिक्षित है, समाजवाद का अर्थ नहीं समझती, उसके सामने यह बातें कहते हैं, जनता अनपढ़ है, इसलिए इन

(श्री गिरधारीलाल)

बातों को मान लेती है, पर मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप भेदभाव लोगों के अन्दर नहीं रख सकते। एक न एक दिन आपको यह भेदभाव मिटाना ही होगा और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका अन्जाम अच्छा नहीं होगा। एक सिद्धान्त है कि जब तक मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल जाता तब तक उसका ध्यान दूसरी चीजों की ओर नहीं जाता है। हम देश की भावी पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे नागरिक बनें, विद्वान और बुद्धिमान बनें, हम इन्जीनियर, डॉक्टर और सब प्रकार के लोग चाहते हैं और इस प्रकार आगे बढ़ना चाहते हैं। आज की पीढ़ी देश को आगे बढ़ाने में इतनी अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकती जितनी कि आगे आने वाली भावी पीढ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आखिर में भावी पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी स्कूलों के मास्टरों पर ही रहती है और खास तौर से प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों पर यह सारी जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि उस उम्र में बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि उसे चाहें उधर ढाल सकते हैं। अगर इन मास्टरों का पेट ही पूरी तरह से नहीं भरता है तो वे लोग इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा सकते। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना यह कटौती का पहला प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

दूसरा जो मेरा कटौता का प्रस्ताव है, वह यह है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाय।

पुराने समय में ऐसा था जब हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ था। एक जमाना आया कि हमारी शिक्षा का स्तर गिर गया। फिर आज़ादी मिलने के बाद आज तक हमारी शिक्षा में कमी रही है। दुनियां बहुत आगे बढ़ रही है, उसके साथ आज हम नहीं चल सकते। इसमें हमारी गरीबी तो कारण है ही पर हमारी शिक्षा इसमें एक बड़ा भारी कारण है। हमारे यहां शिक्षा की कमी के कारण ही आज हम इतने पिछड़े हुए हैं। हमारे प्रान्त के कुछ बड़े लोगों ने यहां की अधिक श्रेणी के लोगों को जिनको कि नीच श्रेणी के लोग कहते हैं, उनको बहुत समय से शिक्षा से वंचित रखा है, इसकी पूर्ति सरकार को करनी है। माननीय अध्यक्ष, मैंने अभी कुछ शब्द कहे थे कि जब तक लोग भूखे रहेंगे, तब तक बच्चों को पढ़ाने की ओर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए हमें सबसे पहले भूख को खत्म करना है; मकान और रोटी की समस्या को हल करना होगा। जब तक यहां के लोग साधन सम्पन्न नहीं हो जाते, जब तक इस क्षेत्र में लोगों का साथ नहीं देंगे तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि लोगों की गरीबी को भी हमें साथ साथ मिटाना है, पर इसके साथ सबसे अधिक ध्यान हमें शिक्षा की ओर देना चाहिये। गरीबी के कारण लोग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। सरकार को चाहिये कि उन बच्चों को आगे पढ़ाये। मैट्रिक, मिडिल तक लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आगे नहीं पढ़ा सकते, इसका कारण यह है कि शिक्षा बड़ी महंगी है, ५० रुपये माहवार पाने वाला पुलिस का सिपाही अपने बच्चों को इन्जीनियर या डॉक्टर नहीं बना सकता और इसका नतीजा यह होता है कि जिनके पास पैसा है वे ही अपने बच्चों को इन्जीनियर या डॉक्टर बना सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क करनी चाहिये। माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क करने के लिए मैं अपना यह कट मोशन प्रस्तुत करता हूँ। मानीयन

Page No.49

(श्री गिरधारीलाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इस प्रस्ताव पर ध्यान देगी।

(श्री चन्दनमल वेद के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पहला जो मेरा कटौती प्रस्ताव है, उसका उत्तर यह आयेगा कि पाली जो कि राजस्थान का एक औद्योगिक और व्यापारिक नगर है, जहां शानदार स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, जहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं क्योंकि जो बांगड हाई स्कूल है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) कितने हजार ?

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) कुल डेढ़ हजार स्टूडेन्ट्स हैं, जो वहां शिक्षा पाते हैं। एक प्राइमरी स्कूल है, कन्या पाठशाला है और एक बांगड हाई स्कूल है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रश्न किया वह उत्तर प्रतीत होता है। मेरे कटौती के प्रस्ताव का उत्तर यही होगा कि पाली जैसे शहर में हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में परिवर्तित कर दिया जायगा। इस विश्वास के साथ मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि दूसरे स्थानों से तुलना करूं कि फलां फलां जगह हायर सेकण्डरी स्कूल्स हैं। पाली जहां नल योजना है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, सब प्रकार की सुविधाएं वहां हैं, स्कूल की अच्छी बिल्डिंग हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि कि पाली में हायर सेकण्डरी एजुकेशन के लिये ज्यादा कुछ नहीं कहता है। मैंने यह कटौती का प्रस्ताव केवल मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाने के लिये रखा है। लेकिन जो मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है, मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार शिक्षा का प्रसार कर रही है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उन कारखानों की क्या हालत होगी, उन टकसालों की क्या हालत होगी जहां से सिक्के निकलेंगे और जब वे सिक्के जिन्दगी में आवेंगे तो वे खरे सिक्के नहीं कहलाए जा सकेंगे। मुझे दुःख है इस बात का कि क्या हम चाहते हैं कि शिक्षा के विकास के लिये छोटी मोटी पाठशालाएं कारखानों के रूप में खोल दें, जिनका संचालक सही नहीं है ? यह तो शिक्षा की बात है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक कारखाने का मालिक भी यह कभी नहीं चाहता कि उसका सामान हैन्डल करने वाला वह व्यक्ति हो जो उसको हैन्डल करना नहीं जानता हो। वे यही चाहते हैं कि उनकी मशीनों को एक काबिल और होशियार व्यक्ति ही हैन्डल करे। लेकिन आप छोटे छोटे बालकों के साथ, जो राजस्थान के भावी निर्माण करने वाले होंगे, उनके साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं उनमें कभी भी कोई अच्छा और अभिमानी व्यक्ति यह नहीं पसन्द करेगा कि उनके लड़के इन प्राथमिक पाठशालाओं में जावें। इन पाठशालाओं की क्या गति और क्या हालत है, शायद आप इस सम्बन्ध में आंकड़े बताना चाहेंगे और वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री यही फरमावेंगे और बड़े साहस के साथ कहेंगे कि राजस्थान में, राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इतने स्कूल खोले हैं। मैं यह कहूंगा कि स्कूल वे फाटक हैं जिनमें जानवरों को डाले जाते हैं और उस समय के लिये वह बच्चों

(श्री मूलचन्द डागा)

के लिए फाटक हैं और उनके माता पिता जो ग्रामीण हैं, समझते हैं कि उनके बच्चे कुछ घन्टों के लिये उन फाटकों में बन्द कर दिये जावेंगे। क्या यह हालत नहीं है, ग्रामीण स्कूलों की ? वहां का अध्यापक है वह बनिया है, वह माली नहीं है जो इन सुकुमार बच्चों के दिमाग रूपी पौधे को विकसित करे। वह माली नहीं है जो कली को खिला सकता है। वह मास्टर (मास्टरी को) अपनी जीवन लीला को समाप्त करने और अपने पेट को पालने का साधन समझता है और इसीलिये तो सभी कहते हैं, 'बेचारा शिक्षक' ! शिक्षा विभाग में वही आता है, जिसको कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलती है। जो खुद अन-ट्रेन्ड है वो बालकों के कोमल पौधे को पनपाना नहीं जानता। कोमल पौधा कट जावेगा। यदि आप यह चाहते हैं कि इन बच्चों को केवल साक्षर ज्ञान ही कराया जावे तो आप क्षमा करें, आपका जो एडल्ट एजुकेशन चलाया जाता है, वही चलता रहे। जिन स्कूलों में आपके यहां अच्छी तरह से बालकों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, छोटे-छोटे बालकों के साथ जिनका कोमल दिमाग है, उनका भाग्य निर्माण उन अध्यापकों के हाथ से करना चाहते हैं जो खुद अन-ट्रेन्ड हैं। हम समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोक राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य हो-और बच्चों का भविष्य उन शिक्षकों के हाथ में देने जा रहे हैं जो खुद मुर्दा हैं, जिन शिक्षकों में जान नहीं, जो अनुभवी नहीं हैं, जिनकी जिन्दगी में कोई नई चीज नहीं, क्या आप उनसे यह विश्वास और आशा करते हैं कि जिनके दिमाग में कोई नई चीज़ नहीं, वे बच्चों में किस प्रकार से जीवन दे सकते हैं ? संस्कृति और शिक्षा का ध्येय यही है कि मनुष्य को सुन्दर और सुखी बनाएं। क्या जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं वह इस माने में सही उतरेगी ? आज इन बालकों को शिक्षा देने के लिये अनट्रेन्ड टीचर्स, आप ग्रामीण जनता में भेजते हैं। क्या वे उन लोगों को शिक्षा दे सकते हैं ? मैं समझता हूं कि कॉलेज में पढ़ाने वालों की आवश्यकता है लेकिन उनसे ज्यादा आवश्यकता है इन बच्चों को पढ़ाने की प्रारंभिक स्कूलों में। उनको शिक्षा देने के संबन्ध में आपको ध्यान देना चाहिये। शिक्षकों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये, ज्यादा स्कूलें खोलेंगे वहां पर वही शिक्षक होगा। जो भूखा है, वह आर्थिक स्थितियों से तंग आकर मास्टर बनता है। जिसको कहीं भी नौकरी किसी भी विभाग में नहीं मिलती, वह तंग आकर मास्टर बनता है और वहां पर बच्चों की वही हालत होती है, जो भेड़ों की होती है; जिस प्रकार गड़रिया भेड़ों को हांकता है उसी प्रकार वह अध्यापक भी बच्चों को हांकता है और कोई नई चीज़ नहीं होती। यह बात सरकार के कतई ध्यान में नहीं है। अगर हिन्दुस्तान में और हमारे यहां इसी प्रकार से बुनियादी शिक्षा प्रारंभिक पाटशालाओं में चलती रही तो आगे आने वाली पीढ़ियां बताएंगी कि किस प्रकार से हमारे बालकों और राष्ट्र का हित होगा और हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आज आप अपने बच्चों को सेन्ट जेवियर्स स्कूल में रखना चाहते हैं। मगर ग्रामीण लोगों के बच्चे धूल से भरे हुए होते हैं। आप उन ग्रामीण लोगों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार करते हैं, क्यों किया जाता है ? उनके लिये बैठने को जगह नहीं। क्या डाइरेक्टर और क्या दूसरे लोग और सदन के माननीय सदस्य वे सभी जानते हैं कि हम बच्चों के साथ जो राष्ट्र की भावी जनता हैं, उनके साथ

(श्री मूलचन्द डागा)

खिलवाड़ कर रहे हैं । हम उनको विकास की तरफ ले जाने के बजाय उनके लिये जुल्म और अन्याय कर रहे हैं । क्योंकि वहां पर वे बच्चे सही शिक्षा नहीं पा रहे हैं । हम नहीं चाहते कि शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़े, हम नहीं चाहते कि शिक्षकों की संख्या बढ़े, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो शिक्षण हो वह सही तरीके से हो । शिक्षण इस प्रकार से हो कि जिससे बालकों का विकास हो सके । उनमें अनुशासन उन लोगों में पैदा कर सकें । क्या आप अपने सीने पर हाथ रख कर और दिल और दिमाग से पूछ कर कह सकते हैं कि जो राजस्थान की वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वह उचित है । हम दुनियां में बताने के लिये, यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान ने शिक्षा में बहुत प्रसार किया है, लेकिन यदि आप शिक्षा की तरफ ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि वास्तव में जिस प्रकार की शिक्षा बालकों को मिलनी चाहिये, नहीं मिलती है । यदि आपको कुछ करना है तो आपको प्राथमिक पाठशालाओं की समस्या को हल करना चाहिये, जिन गांवों में आपने प्राइमरी स्कूल खोले हैं, वहां पर एक स्कूल है और एक ही मास्टर है। वहां पर मास्टर कई महीनों की छुट्टियें लेकर चला जाता है और उसके साथ-साथ बालकों को भी कई महीनों तक छुट्टियें मिल जाती हैं और बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल होता है, यह देखने की बात है ।

इसके अलावा मास्टर भी वह होते हैं जो बिल्कुल थर्ड ग्रेड के होते हैं । जो थर्ड डिवीज़न में आता है; वह मास्टर बनता है । जो व्यक्ति फर्स्ट क्लास होता है, वह तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहता है । वह तो ऊंची कुर्सियों पर आसीन होना चाहता है; लेकिन जो बेचारा थर्ड डिविज़न में आता है, उस, जिन्दगी में आशाओं से टूटे हुए आदमी को, जिसने अपनी जिन्दगी में सफलता प्राप्त नहीं की है, उसको आप शिक्षक बनाते हैं? जो राजस्थान के किसी महकमें में नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिये यही एक रास्ता खुला है कि वह शिक्षक बन सके और बेचारा वह जानता है कि मैं जिन्दगी में ठुकराया हुआ व्यक्ति हूँ । तो फिर आप ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हैं कि इन शिक्षकों से अच्छे विधान सभाई पैदा होंगे, हमारे शासन का निर्माण करने वाले होंगे । राजस्थान की प्राइमरी स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों में जो हम बातें देख रहे हैं उन पर हमें विचार करना चाहिये । इसमें आपका कितना ही खर्च बढ़े लेकिन वे मास्टर होने चाहिए, वे शिक्षक होने चाहियें, वे आदर्श व्यक्ति होने चाहियें जिन्होंने त्याग और तपस्या की हो, जो आध्यात्मिक धरातल में ऊंचे रहे हों । यदि ऐसे अध्यापक होंगे तो राजस्थान की जनता गर्व के साथ यह कह सकेगी कि हमारे यहां अच्छी शिक्षा दी जा रही है । शिक्षा का केवल मतलब पाठ पढ़ाना ही नहीं है, लेकिन उनके दिमाग को विकसित करना है । सिखाने का तरीका होना चाहिये । बालक मशीन नहीं है । आजकल मशीनों को भी जोड़ और बाकी करना सिखाया जाता है । आप बालकों को मशीन की तरह नहीं बनाना चाहते । विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि वह बाकी और जोड़ मशीन से कर लेता है । लेकिन हमें बालकों को जोड़ बाकी करने की मशीन नहीं बनाना है, हमें तो उनके मानसिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिये । क्या जो इस समय शिक्षा दी जा रही है, उससे जो शिक्षा के माननीय लोग हैं वे इससे सतुष्ट होंगे कि इन बालकों का भाग्य उन अध्यापकों

(श्री मूलचन्द डागा)

के हाथ में सौंपना चाहिये जिन्होंने अपनी जिन्दगी में असफलता प्राप्त की है ? अध्यक्ष महोदय, उनको अच्छी स्थिति मिलती नहीं, वे गांव में रह कर जिन्दगी को बरबाद करते हैं और बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह राजस्थान की सही तस्वीर है उसको हमें देखना होगा। जो टूटे भवन हैं उनसे हम यह चाहते हैं कि हम निर्माण करें। हमें उन बच्चों की हालत को सुधारना है। उसके लिये हमें ध्यान रखना चाहिये।

(घंटी)

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के विकास में, हमें प्रारंभिक पाठशालाओं के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनकी नींव को पक्का करना होगा और उसके लिये अध्यापकों की इमारतें हैं, उनको बनाना चाहिये। इनके बगैर हम अच्छी इमारत किस तरह से बनाएंगे ?

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वेद।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात है कि.....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं यह चाहता हूं कि.......

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति रख कर बैठ जाइये।

श्री चन्दनमल वेद : अध्यक्ष महोदय, नेशनेलाइज़्ड टैक्स्ट बुक्स नहीं मिल रही है, उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : On a point of order, Please,

जब तक स्वतन्त्र उम्मीदवारों को टाइम फिक्स अप नहीं किया जावेगा........

श्री अध्यक्ष : Order Please ! टाइम फिक्स कर दिया गया है। आप डिस्टर्ब न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं यह चाहता था कि......

श्री अध्यक्ष : आप डिस्टर्ब न करें, कोई पॉइन्ट ओफ ओर्डर नहीं। ओर्डर प्लीज़। श्री चन्दनलाल वेद अपना भाषण जारी रखें।

श्री चन्दनमल वेद (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय मैं, नेशनेलाइज़्ड टैक्स बुक्स नहीं मिल रही हैं उसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यहां आने से पहले मैं दो ढ़ाई घण्टे तक बाजार में घूमा और करीब करीब सारे पुस्तक विक्रेताओं के पास गया, लेकिन यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि छोटे-छोटे बच्चों के इम्तिहान नज़दीक आ रहे हैं, केवल १५, २० दिन ही उनके इम्तिहान के शेष रह गये हैं और अब तक उनको नेशनेलाइज़्ड टैक्स्ट बुक्स नहीं मिल रहे हैं। यह केवल यहां की ही बात नहीं है। मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी से मेरे मतदाताओं ने, मेरे मित्रों ने मुझे बार बार लिखा है कि सरदारशहर, चुरू जिले में आज तक बच्चों को नेशनेलाइज़्ड की हुई टैक्स बुक्स नहीं मिल रही हैं और यदि जयपुर में मिलती हों तो कृपया शीघ्र ही भिजवाइये। पत्र और सूचनाएं मेरे पास आती रही हैं और मैं बाजार में जाता रहता हूं, मुझे इस बात को देख कर बड़ा दुख होता है कि आज तक भी राष्ट्रीयकरण की हुई पुस्तकें नहीं मिल रही हैं। बच्चों के सालाना इम्तिहान बीस दिन बाद होने वाले हैं और

(श्री चन्दनमल वेद)

नेशनेलाइज़्ड टैक्स बुक्स उनको नहीं मिल रही हैं जब कि पुस्तकों के लिए सदन में काफी तारीफ की गई है कि सुन्दर छपाई है, कागज़ बड़ा अच्छा है, विलायत से मंगाया हुआ कागज़ है। मुझे एक कहावत याद आ गई है। बेटा बड़ा सुन्दर है, आंख कचौली सी है लेकिन ज़रा सा मरा हुआ है। पुस्तकों का कागज बड़ा सुन्दर है, छपाई भी बड़ी सुन्दर है, अच्छी है, लेकिन मिलती नहीं और सब ठीक है।

एक माननीय सदस्य : यह तो भाषण देने की कला है।

१.४१ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री चन्दनमल वेद : (जारी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो किताबें पिछले जून में मिल जानी चाहिए थीं, मार्च का महीना भी इस साल का समाप्त होने आया लेकिन वे नहीं मिल रही हैं। तो यह तो विचार करने की बात है कि हालत कहां से कहां तक हो गई है। मैंने इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों से बातचीत की है, लोगों से इस विषय में जानकारी प्राप्त की है और चुरू जिले के विद्यार्थियों से तो बातचीत करने पर मुझे यह मालूम हुआ कि जब विद्यार्थी कहते हैं मास्टरों से कि अप्रेल में इम्तिहान होने जा रहे हैं और पुस्तकें अब तक नहीं मिल रही हैं तो क्या होगा, इस पर मास्टर साहब कहते हैं कि आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए. जयपुर से जल्दी ही हुक्म आने वाला है, जल्दी प्रमोशन हो जावेगा। कितने बड़े दुख की यह बात है! यह कहां तक होने वाला है या नहीं, यह मैं नहीं जानता।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में यह कहा जाता रहा है कि मौसम खराब होने के कारण, फॉरिन एक्स्चेन्ज न मिलने के कारण, कागज़ नहीं मिला। इस कारण से पुस्तकें उपलब्ध होने में देरी हुई है। लेकिन यह राजस्थान का मौसम कब तक खराब रहा या अभी भी खराब है? मुझे मालूम नहीं होता कि कभी यह मौसम ठीक होगा और यदि ठीक नहीं होने वाला है क्योंकि राजस्थान का मौसम किसी व्यक्ति विशेष के शिक्षा मन्त्री होने से खराब रहता हो, वे जब तक शिक्षा मन्त्री हों तब तक, राजस्थान का मौसम खराब रहे और न हो तो ठीक हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में ध्यान दें तो विचार करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, जब शिक्षा के अनुदान पर बहस हो रही थी तो जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन अपनी इन्डीसैन्सी के कारण, अपनी नेग्लीजेन्स के कारण और अपनी केयरलेसनेस के कारण जो अच्छी चीज़ है उसको बुरी कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण अच्छी चीज है, हमारे समाजवादी समाज का आधार इस पर रखा गया है, लेकिन लापरवाही के कारण, इन्डीसैन्सी के कारण, नेग्लीजेन्स के कारण जो अच्छी चीज़ है, उसको बुरी कर रहे हैं। किसी काम को बुरे तरीके से करने के अच्छी चीज़ यही है कि उसको किया ही नहीं जाय। इससे लोगों के दिमाग में एक चीज़ यह हो गई कि राष्ट्रीयकरण बुरा है। कुछ लोग यह भी सोचने लगे हैं कि राष्ट्रीयकरण का यह मौजूं समय नहीं। इसके मूल में कारण क्या है? इसके मूल में कारण यह है कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण में इतनी गड़-बड़ियां की हैं, इतनी नेग्लीजेन्स की हैं, इतनी इन्डीसैन्सी की है कि लोगों को यह बात

(श्री चन्दनमल वेद)

उठाने का मौका मिला और यदि इसको ठीक तरह से हैंडल करते, ठीक समय पर छाप कर पुस्तकें बच्चों को दे देते तो ऐसी आवाज नहीं आती । मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा, जिनका इम्तिहान अप्रेल में होने वाला है और जिनके हाथों में आज तक पुस्तकें नहीं पहुँची हैं ? उनका क्या हाल होनेवाला है ? माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, इस समय यहां नहीं हैं, यदि होते तो मैं अधिक जोर से इस बात को उनके सम्मुख रख सकता था और उनसे पूछ सकता था कि यदि बाजार में उनके कहने के अनुसार किताबें मिलती हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करता कि आप मेरे साथ चलें और जयपुर के किसी भी पुस्तक विक्रेता के यहां चलें जहां से कि पुस्तकें, पांचवीं कक्षा की पुस्तकें, दिला दें। यदि पुस्तक मिल जाती हैं तो मैं इस बात को मान लेता कि मैं जो कह रहा हूँ वह सही नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमाम बाजार में पुस्तक विक्रेताओं से पूछ कर आया हूँ, दो-ढाई घन्टे इसके लिए फिरा हूं, लेकिन मुझे कहीं भी पांचवीं की पुस्तक नहीं मिली है। चूरू जिले के दोस्तों के सन्देश आये हुए हैं कि आज तक उनके यहां भी किताब नहीं मिली हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रश्न पैदा होता है कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा जिनका इम्तिहान अप्रेल में होने वाला है ? प्रजातन्त्र के युग में यदि इतनी बड़ी गलती, नेग्लीजेन्स, केयरलेसनेस और दूसरा शिक्षा मन्त्री दिखाता तो उसको स्तीफा देना पड़ता, लेकिन राजस्थान है, मार्च तक किताबें बच्चों को नहीं मिलें और अगले मार्च तक भी नहीं मिलें तो शिक्षा मन्त्री को डरने की जरूरत नहीं है। इतनी केयरलेसनेस के लिए, इतनी नेग्लीजेन्स के लिए और इतनी इनडीफ़ेन्सी के लिए शिक्षा मन्त्री को कम से कम सदन में उठकर अफसोस प्रगट करना चाहिए। इस प्रकार की हालत से तो नेशनेलाइज़ेशन को धक्का पहुँचेगा। जिस कॉज़ से नेशनलाइज़ेशन होता है, टेक्स्ट-बुक्स समय पर नहीं मिलती हैं तो जो नेशनलाइज़ेशन का कॉज़ है, उसको धक्का पहुंचा है और इस प्रकार से विद्यार्थियों का बड़ा भारी अहित किया है और देश का अहित किया है केयरलेसनेस के कारण, नेग्लीजेन्स के कारण, इन्डीफ़ेन्सी के कारण जो अहित हुआ है, सचमुच में इसके लिए बड़ा दुख है। मुझे इतना ही कहना है और मैं इतना कह कर अपना कटमोशन मूव करता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्षजी,............

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के ऊपर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं जिन पर अलग-अलग से अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि हमारे ग्रामीण स्कूलों में जो टीचर भेजे जाते हैं, अध्यापक जो लगाये जाते हैं, उनको रहने की, बेसिक आधार भूत सुविधायें जो उनको मिलनी चाहिएं, बेसिक फैसिलीटीज़ जो उनको मिलनी चाहिएं, उनका अभाव होने के कारण शिक्षा का जो प्रसार है, शिक्षा का विस्तार जिस तरह से होना चाहिए, हमारा आइडिया है कि इस तरह के स्कूल बना कर शिक्षा का निर्माण करें और गांवों में शिक्षा का प्रसार हो, वे सारी बातें इस एक बात पर खत्म हो जाती हैं कि वहां पर जो अध्यापक लगाये जाते हैं, उनको वहां पर कोई सुविधा नहीं मिलती है । यह आपको

(श्री अनूपसिंह)

मानना पड़ेगा कि कोई आदमी काम करता है, जिस पर हम जिम्मेवारी डालते हैं, उसको रहने की, खाने पीने की सुविधा, रात दिन के लिए जो निर्वाह की चीजें हैं उनको उपलब्ध करें और तब ही उम्मीद कर सकते हैं कि जो काम जिस हिसाब से मिलना चाहिए, वह पूरा कर सके और योजना बद्ध कर सके । मैं सब से बड़ी बात जो आपको अर्ज करूंगा वह है गांवों में जो स्कूल्स चलाने के लिये शिक्षक भेजे जाते हैं, उनके बारे में है । उनके लिये मेरे ख्याल से, सरकार की ओर से किसी प्रकार ख्याल नहीं किया जाता, न उनके रहने की व्यवस्था होती है न उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है जो आधारभूत चीजे हैं जीवन निर्वाह के लिये, उनका भी ख्याल नहीं किया जाता। पहले तो तनख्वाह कम, दूसरी उनको रहने की जगह नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं और जो भी सुविधा एक शिक्षक को होनी चाहिये, वह उपलब्ध नहीं, तो वैसी हालत में वह शिक्षक अपना काम किस प्रकार सुचारू रूप से कर सकता है ? अगर शिक्षक के लिये आवश्यक जो जीवन निर्वाह के लिये चाहिये, वह मिल जाता है तो अपने कार्य में पूरी रुचि ले सकता है । जहां हम किसी को जिम्मेवारी देते हैं वहां हमें फेसीलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होंगी । काम तो कुछ करें नहीं और खाली जिम्मेदारी ही दें, इससे भला होने वाला नहीं इसलिये मैं अर्ज करूंगा, अक्सर देखा जाता है कि वहां के अध्यापकों को जो आधारभूत चीजों की जरूरत है, वह जब उनको नहीं। मिलती हैं, तो वह अपने कार्य के प्रति अरुचि लेने लग जाते हैं, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर घर चले जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, तफरी में चले जाते हैं, इससे होता क्या है कि स्कूल का वातावरण बिगड़ जाता है, न लड़कों में उत्साह रहता है और न माता-पिता में उत्साह रहता है कि ऐसे स्कूलों में अपने लड़कों को भेजें। जहां मास्टर बाराबर रहता नहीं, छुट्टी पर चला जाता है, वैसी हालत में कौन अपने बच्चों को भेज सकता है ? आज जब कि हम यह चाहते हैं ग्रामीण लोग भी अपने बच्चों को पढ़ायें और उनकी उन्नति हो तो यह उसी हालत में हो सकता है जब कि अध्यापक का रहने का समुचित प्रबन्ध हो और जो भी सुविधा एक शिक्षक को मिलनी चाहिये, वह मिले, तभी वहां स्कूलें ठीक प्रकार से चल सकती है। अब अक्सर देखा यह जाता है कि मास्टरों के चले जाने के बाद स्कूलें बन्द हो जाती हैं और जब इस प्रकार की शिकायतें होती हैं तो उनके खिलाफ इन्क्वायरी होती है और इन्क्वायरी में अक्सर यह होता है, ग्रामीण लोगों को झूठ-सच बोलना पड़ता है । अगर इन्क्वायरी ठीक ढंग से हुई तो उसका नतीजा यह होता है कि मास्टर को नौकरी से पृथक कर दिया जाता है, इससे होता क्या है कि वहां के लड़कों का जो जीवन है, जो आगे बढ़ने की उनकी प्रवृत्ति है, वह बन्द हो जाती है । उम्र बड़ी हो जाने के बाद वापिस पढ़ना उनके लिये मुश्किल हो जाता है । इस बात को अधिक न रखते हुए मैं इतना निवेदन करूंगा की जहां शिक्षा को समृद्धिशाली और शक्तिशाली बनाने का विचार है, वहां हमें योजनानुसार कार्य करना होगा तभी शिक्षा समृद्धिशाली और शक्तिशाली बन सकेगी और इसीलिये शिक्षा को आवश्यक और योजनाबद्ध हिसाब से आगे चलाना होगा । केवल स्कूलें खोलने से मैं समझता हूं, शिक्षा की प्रगति नहीं होगी। यह हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट आपकी योजना के हिसाब से स्कूलें खोलता है और मैं यह भी मानता हूं कि इस क्षेत्र में कुछ काम भी हुआ है, लेकिन हमने क्वालिटी का

(श्री अनूपसिंह)

ख्याल नहीं किया क्वान्टिटी अवश्य बढ़ी है। लेकिन क्वान्टिटी के बढ़ने से आइडिया पूरा नहीं होता और शिक्षा की प्रगति भी नहीं हो सकती।

दूसरा प्रस्ताव है स्कूलों के लिये, जो बाड़मेर एरिया में अलग-अलग जगहों के लिये है। समदड़ी में हाई स्कूल की बिल्डिंग जनता ने बनायी, वह इस ख्याल से कि जनता स्कूल बिल्डिंग बना देती है तो सरकार और कुछ जरूरत होगी वह पूरा करेगी। इस आश्वासन पर वहां हाई स्कूल की बिल्डिंग बनायी गई, लेकिन आज तक मिडिल स्कूल ही वहां पर है। ऐसा ख्याल है कि अगले बजट में इस स्कूल को भी हायर सेकन्डरी बना दिया जायगा। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा मन्त्री इस बात के लिये तैयार हैं कि उसको हायर सेकन्डरी स्कूल बना दिया जाय। जहां पर कि जनता ने स्कूल बनाया है जहां जनता ने बिल्डिंग बनाकर सहयोग दिया है, स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या भी काफी है और जो बातें चाहिये वह पूरी हैं, वहां ऐसी सब बातें हैं कि वहां अगर हायर सेकन्डरी स्कूल खोल दिया जाता है- तो किसी तरह से अनुचित नहीं होगा। मन्त्री महोदय खुद देखकर आये हैं और वे जानते हैं कि सहयोग देकर जनता ने अपने पैसे से स्कूल बिल्डिंग बनायी है और मैं ऐसा मानता हूं कि वैसी बिल्डिंग उस सारे इलाके में नहीं है और आस पास के डिस्ट्रिक्ट में भी वैसी बिल्डिंग नहीं है। जहां जनता ने इतना सहयोग, दिया आप भी जनता के सहयोग का आदर करें और वहां जो मिडिल स्कूल है उसे हाई स्कूल में बदल दीजिये। आज हम देखते यह भी हैं कि जहां बिल्डिंग नहीं, लड़कों की पर्याप्त संख्या नहीं, वहां तो स्कूलें खोल दी जाती हैं लेकिन जहां बिल्डिंग वगैरह सब मौजूद है, वहां नहीं खोली जाती। मैं तुलनात्मक चीजें आपके सामने नहीं रखना चाहता और मैं यह भी नहीं कहता कि वहां पर स्कूल नहीं खोलना चाहिये और मेरे एरिया में ही खोलने चाहिये। मैं चाहता हूं कि शिक्षा की प्रगति हो और उसका फायदा सभी जगह को मिले। अगर जनता ने सहयोग दिया है, वहां जनता की भावनाओं का आदर जरूर होना चाहिये।

बालोतरा एक बहुत बड़ा कस्बा है, जहां की आबादी दस हजार की है. मैंने कई बार इस चीज़ को याद दिलाया, लेकिन इस ओर ख्याल नहीं किया गया, मैंने निवेदन किया, वहां जो हाई स्कूल है उसको मल्टीपर्पज़ में बदल देते हैं, तो आपको क्या नुकसान होता है ? आस-पास में बड़ी स्कूल नहीं है, मल्टीपर्पज़ शिक्षा के लिये कोई आसपास में प्रबन्ध नहीं, ऐसी हालत में जहां कि जनता सहयोग देने के लिये तैयार है, जैसा कि मैंने एक बार अर्ज किया, वहां की स्कूल बिल्डिंग में जो पास की जमीन है उसको बेच कर उसका पैसा उसके एडीशन्स, ऑलटरेशन में लगा सकते हैं, यदि इस पर विचार किया जाय तो आगे चलकर फलदायक हो सकता है।

तीसरा प्रस्ताव है जहां कि स्कूल बिल्डिंग का हाल जनता ने सरकार को दिया है। गलती उसमें यह हुई है कि उस हॉल में जिस प्रकार गर्डर लगानी चाहिये, वह नहीं लगी। क्योंकि वहां पर कोई इन्जीनियर नहीं थे। किसी भले आदमी से पूछ कर ठेकेदार को ठेका देकर वह गर्डर उसमें लगायी गयी। अक्सर हम देखते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर भी इस प्रकार की गलती कर देते हैं, तो टेक्निकल एडवाइज़ की कमी के कारण

(श्री अनूपसिंह)

अगर जनता ने किसी प्रकार की गलती कर दी है तो सरकार को चाहिए कि वह ठीक कर दे । अगर जनता को उस समय सलाह दे दी जाती कि इस प्रकार गर्डर नहीं लग सकता तो दूसरा गर्डर भी जनता लगा सकती थी । इस प्रकार से जो गर्डर लगायी गयी है, वह एक प्रकार से खतरनाक बन गई, उसके अन्दर बच्चों को पढ़ाने के काम में लेना एक तरह असम्भव सा हो गया है । आज वह हॉल खाली पड़ा है, वह जनता के काम में भी आ सकता है, सांस्कृतिक समारोह या अन्य किसी प्रकार के प्रोग्राम में, वह हॉल काम में आ सकता है, आज वह हाल बन्द पड़ा है । इस लिये मेरा निवेदन यह है कि आप इस हॉल की मरम्मत करने का काम अपने हाथ में लें, जहां जनता ने इतना सहयोग दिया है आप उस सहयोग का आदर करें । मनी स्वीजिंग की पॉलिसी के रूप में आपको इसका स्वरूप नहीं देना चाहिये । आप जनता का सहयोग चाहते हैं तो आपको भी जनता के सहयोग का आदर करना होगा, तभी आप भी जनता के सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इतना ही निवेदन कर मैं अपने कटौती प्रस्ताव को पेश करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

२ म० प०

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने अपना एक कटौती प्रस्ताव जो हमारे राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा इस समय चल रही है और उस शिक्षा को बुनियादी शिक्षा में बदलने की जो सरकार की नीति है, उसमें सरकार कहां तक सफल हुई है, इस पर अपने विचार रखने के लिये, रखा है ।

मैं ऐसा मानता हूं कि आज यदि मुल्क में सब से बड़ी कोई आवश्यकता है तो वह यह है कि हमारे देश में बुनियादी शिक्षा अनिवार्य हो और इसके लिये सरकार बहुत ही जल्दी कोई कदम उठा कर इस कार्य को पूरा करे । इसका सब से बड़ा कारण यह है कि आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है बेकारी की समस्या । लोगों को काम दिलाने की समस्या है और इसके साथ ही साथ देश के हमारे विकास की और उत्पादन वृद्धि की समस्या है, ये समस्यायें कैसे हल हों इसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि बहुत पहले से ही जब देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी जी इस चीज को मानते थे और चाहते थे कि हमारे देश में बुनियादी तालीम का अधिक से अधिक प्रसार हो और सारे देश में एक बार सारे और काम बन्द करके भी हमको इस बुनियादी शिक्षा को स्थान देना चाहिये, तभी देश का विकास हो सकेगा । तो यह गांधीजी की मान्यता थी । आज इस बात को, जहां तक हिन्दुस्तान की शिक्षा नीति से, हम देखें वहां तक यह मैं मान लेता हूं कि यही नीति है, इसी बात को हमने मान लिया और इसी आधार पर सारी बातों में परिवर्तन भी पाया जा रहा है और इसमें विकास भी किया जा रहा है । पर वह अभी तक कोरे कागज़ों तक ही सीमित है । कहीं कहीं थोड़ी प्रगति हमारे देश में हुई है, पर जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है, हम अभी बहुत पीछे हैं, और पीछे ही हैं । यह नहीं, इसके साथ ही साथ जिस ढंग से वह होनी चाहिये, उसके पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति करते हुए जो होनी चाहिये उस मामले में तो मैं अगर यह भी कहूं कि वह नहीं के बराबर है, तो यह असत्य नहीं होगा ।

आज यू. पी. में जहां १० हजार स्कूलें हैं, जिनमें से कुल ३५ चालीस हजार प्राइमरी स्कूलों

(श्री मुरलीधर व्यास)

में से, बुनियादी तालीम की स्कूलों में परिवर्तित कर दी गई हैं। वहां हमारी संख्या नगण्य सी है। आठ हजार प्राइमरी स्कूलें राजस्थान में हैं और मैं समझता हूँ कि उनमें आपके कथनानुसार सात सौ, आठ सौ का बेसिक स्कूलों में परिवर्तन भी किया गया है। पर यह देखना है कि प्राइमरी स्कूलें क्या हैं, उनकी हालत क्या है, उनमें क्या सुधार करने के लिए उन्हें बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया है। दोनों में भेद भी है या नहीं और उस भेद के आधार पर वे स्कूलें चलती हैं या नहीं या केवल कागजों में ही बदली हैं। जैसे एक सदस्य ने कहा कि यहां तो परिवर्तन की रिपोर्ट मिलती है सदन में और गांव में जाते हैं तो वहां के शिक्षकों और शिक्षिकाओं को भी यह पता नहीं कि इस स्कूल को बुनियादी तालीम की स्कूल में बदल दिया गया है; मैंने स्वयं ने जैसलमेर में गत वर्ष दो ऐसी स्कूलों को देखा, एक प्रोपर जैसलमेर में और दूसरे, एक गांव में जो बीस मील की दूरी पर है, वहां से। दोनों स्कूलों को देखने का मुझे अचानक मौका मिला, पर जैसी प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा पहले थी वैसी ही आज भी चल रही है, उसमें कोई अन्तर नहीं आया। उसमें एक परिवर्तन यह जरूर कर दिया गया है कि एक शिक्षक भेज दिया गया है। पर और साधन अभी तक न मिलने से व्यवस्था वैसी की वैसी ही है। तो यह सबसे बड़ी कमी आज है।

प्राइमरी स्कूलों की स्थिति तो अत्यन्त दयनीय है और हो सकता है स्कूलें जरूर हों पर जैसा सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे इलाके में चार स्कूलें हैं, पर वे कागजों में ही हैं। जुलाई से आज तक कोई शिक्षक नहीं है। तो आखिर इस प्रकार कागजों के आंकड़ों में ही ८ हजार स्कूलें हैं और उसको लेकर ही अगर सरकार यह बताना चाहती है कि उसने यह उन्नति की है तो यह सदन के साथ साथ इस प्रदेश की डेढ़ करोड़ जनता के साथ अन्याय होगा। मैं आंकड़ों के आधार पर एक बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में अगर आठ हजार प्राइमरी स्कूलें चलती हैं तो एक स्कूल में ५० छात्र भी अगर पढ़ते हों तो ४ लाख छात्र पढ़ने चाहिये और ६ से ११ साल की उम्र तक के बालक अगर छांटे जावें तो राजस्थान भर में कितने लड़के होंगे, हम आजादी के आधार पर मान लें कि ६ साल की उम्र तक के कितने होंगे तो वे आपको बड़ी मुश्किल से ३० लाख के करीब मिलेंगे और आप उन तीस लाख में से ४ लाख को इस वक्त शिक्षा दे रहे हैं। मैंने ये पचास की जन गणना के आंकड़े दिये हैं। अब अगर पर्सेन्टेज़ इसका लगावें तो १२, १३ पर्सेन्ट के करीब आता है, पर हमारे स्टेटिस्टिक्स मे ८. ६७ ही दिया हुआ है और अब आगे सही माने में ये प्राथमिक स्कूलें इसी प्रकार से चलती रहीं तो आज पर्सेन्टेज हमारा बढ़ जाता और दस प्रतिशत, बारह प्रतिशत नहीं रह जाता बल्कि आपके हिसाब से यह २५ प्रतिशत हो सकता है।

तो इस हालत में आंकड़े हमारे सही ढंग के हों, स्टेटिस्टिक्स हमारी ठीक हों। आखिर एक स्कूल में कितने पढ़ते हैं, उनकी तरक्की किस तरह हो रही है, आदि सारी बातें स्पष्ट तौर से हमारे सामने सरकार को रखना चाहिये, हो सकता है स्कूलें आपने खोल भी रक्खी हों और उसी हिसाब से आपने मास्टरों की व्यवस्था भी कर रक्खी हो। पर आज सबसे बड़ी कमी यह भी है कि स्कूलों में मास्टर बैठे हैं, पर बच्चे एक भी नहीं दिखाई देते कहीं। तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसका कारण क्या है ? यही है कि देहातों में बच्चों के माता-पिता उनको अपने खेती के घर के व अन्य इसी प्रकार के कामों में भेजना अधिक अच्छा समझते हैं बनिस्पत स्कूलों में भेजने के । यह आम मनोवृत्ति है, तो इसके लिये हमें सोचना पड़ेगा और बुनियाद में अगर कहीं खराबी है, तो उसे दूर करना पड़ेगा या तो इसके लिये आप को शिक्षा अनिवार्य करनी पड़ेगी पर आप यह नहीं कर सकते, एक तरफ तो आप यही कहते हैं । पर इतना तो कम से कम मान लें कि यह तो अनिवार्य कर सकते हैं कि जहां स्कूलें हैं, वहां आसपास वाले गांवों के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूलों में पढ़ना पड़ेगा । ताकि जहां स्कूलें हैं, वहां बच्चे पढ़ें और उनका लाभ हमें मिल सके । नहीं तो हो क्या रहा है स्कूलें जरूर खोली हैं, पर बच्चे नही आते । तो आज हम जिस शिक्षा में अधिक से अधिक धन लगाना चाहते हैं, उसका उपयोग नहीं होता । तो अगर आपको हमारे देश के बच्चों का विकास करना है और इस प्रकार एक बहुत बड़ा ध्येय प्राप्त करना है, तो आज जो बच्चे स्कूलें होते हुए भी वहां नहीं जाते और टीचर्स बेकार बैठे रहते हैं, वहां के लिए तो शिक्षा अनिवार्य करनी ही होगी, तब तो पर्सेन्टेज आपका बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा ।

इसके साथ ही साथ आप जिस जगह प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने जा रहे हैं, वहां आपको निश्चित नीति बनाना पड़ेगी । वहां आपको ट्रेन्ड टीचर्स और साधन दोनों भेजने पड़ेंगे और सही माने में, यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं, कि जिस तरह के ट्रेन्ड टीचर्स हमें बेसिक शिक्षा के लिये चाहिये वैसे शिक्षकों की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है । यू. पी. वालों ने सबसे पहले यह किया कि इस तरह के टीचर्स तैयार करने के लिये स्कूलें खोलीं और इसके बाद जब उनके पास काफी अच्छी तादाद में ऐसे टीचर्स तैयार हो गये तो फिर उनको सब जगह भेज दिया, पर हमने ऐसा नहीं किया । तो आज भी अगर हम यह सोचते हैं कि ठीक ढंग से बेसिक स्कूलें चलावें तो राजस्थान में चार हजार पंचायतें हैं । उनमें एक-एक पंचायत में भी अगर हम यह तै कर लें कि हम एक-एक पंचायत में एक-एक बेसिक स्कूल अच्छी तरह से चलावेंगे और वहां अध्यापक अच्छे ट्रेन्ड रक्खेंगे, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और ठोस रूप से कुछ कर सकते हैं । चार हजार शिक्षकों को एक साथ ट्रेनिंग देने की आप व्यवस्था करें । हिन्दुस्तान में अच्छी-अच्छी स्कूलें हैं, जहां भेज कर भी अगर आप इन अध्यापकों को तैयार करें तो इसमें आपको खर्चा अधिक नहीं होगा । एक भी छात्र या अध्यापक को ५०) मासिक भी दें और कहें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जावेगी तो मैं समझता हूं कि आपको २४ लाख रुपये का खर्चा करना होगा । इतना खर्च करके भी अगर चार हजार शिक्षक अच्छे आप तैयार कर लेंगे तो नतीजा यह होगा कि वे चार हजार योग्य शिक्षक जब हमारी बुनियादी तालीम का विकास करने में जुटेंगे तो निश्चित रूप में वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और यह तो तालीम अपने पैरों पर अपने आप खड़ा होने की है, वह जब हमने दे दी, तो वहां से निकलने के बाद बच्चे अपने जिस क्षेत्र में जावें अपने काम को अपने हाथ से करने लग जावें तो यह हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी । बेकारी की समस्या भी हमारी बहुत हद तक दूर हो जावेगी और एक नये युग का श्री गणेश हम कर सकेंगे ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि महात्मा गांधी ने सन् ३७ के अन्दर, जिस समय पहला मंत्री मंडल बना था और सारे हिन्दुस्तान के अन्दर बने थे, उस समय उन्होंने बुनियादी तालीम की शिक्षा के लिए कहा था और लिखा था। उस स्कीम के नियम सारे हिन्दुस्तान में प्रसारित किये गये थे और मध्य प्रदेश के अन्दर यह शिक्षा चलाई भी गई थी, उसका एक तरीका था। उसका तरीका गांधीजी ने सबसे पहले, काम को करने से पहले यह कायम किया था कि हिन्दुस्तान के अच्छे-अच्छे लोगों को बुलाकर उस स्कीम को बनाया था और स्कीम बनाने के बाद ट्रेन्ड शिक्षक तैयार किये थे और तैयार करने के बाद में उस स्कीम को चलाया था। उसमें काफी सफलता मिली थी। श्री जाकिर हुसैन उसके सेक्रेटरी थे और आज भी बुनियादी तालीम कमेटी के वे मंत्री हैं। तो उस समय वह चीज़ चली थी, उसका एक तरीका था। उन्होंने क्या किया था कि हर गांव में जहां पर कि स्कूल खोलते थे वहां पर २०, २५ एकड़ जमीन दिलवाते थे और वहां पर छात्रों के द्वारा स्कूल का निर्माण करवाते थे ताकि छात्र उस जमीन पर काम कर सकें और इतना ही नहीं गान्धीजी ने तो यहां तक रखा अपनी बुनियादी तालीम के अन्दर कि हमें ट्रेन्ड शिक्षा की नहीं चाहिए, लेकिन गांव का एक बढ़ई है और गांव के दूसरे काम करने वाले हैं, चाहे वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, परन्तु वे बुनियादी चीज़ को जानते हैं कि गांव में बढ़ई का काम किस प्रकार का होता है, क्या २ काम करना चाहिए, उनको लेकर उसका उपयोग लेते थे। कोई जरूरत नहीं होती थी कि कोई शिक्षक ही हो।

(घंटी)

मेरे कहने का मतलब है कि सही मायने में जिस प्रकार की बुनियादी तालीम में आगे पढ़ाने के लिए जो तरीका अख्त्यार करना चाहिए वह आज तक नहीं अख्त्यार किया गया है। यही कारण है कि जिस बात को हम बहुत ही महत्व की मानते हैं और खर्च करते हैं उसकी कोई एक निश्चित् योजना नहीं होने की वजह से उस काम का पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कि हमारे देश के बड़े-बड़े लोगों ने बुनियादी तालीम को महत्व दिया और इस महत्व को सब लोग मानते हैं। हम समझते हैं कि कुछ काम करें, अगर उसका केन्द्र बुनियादी तालीम की किताबें नहीं हैं। गांधीजी ने हैन्डीक्राफ्ट को सेन्टर माना था। हस्तकला को शिक्षा का माध्यम माना था। हर काम हाथों के जरिये हो, यह उसका बुनियादी केन्द्र था। हमें भी बुनियादी तालीम में हस्तकला को केन्द्र मानना पड़ेगा और उसका विकास करना पड़ेगा। परन्तु हमने उसको नहीं माना और आज किताबें रखी जाती हैं। परन्तु जो हस्तकला के साधन रखे जाने चाहिए, वे नहीं रखे जाते हैं। तो यह जबरदस्त बात है। सबसे बड़ी चीज़ जो बुनियादी तालीम के लिए है उनको भी न रख कर उसको आप बुनियादी तालीम कैसे कहेंगे ? तो मैं यह समझता हूँ और उन चीजों को आपके सामने रखा है, उनको पूरा करके उसका विकास करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर सरकार विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने लिखित ं दिया है। मुझे टाइम बताया जाय कि ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I have got 20 cut motions. I am moving all of them together and I hope you will assume them to be moved.

मैं सिर्फ दो-तीन कट मोशन्स पर थोड़ा सा कहूँगा। सबसे पहले मेरा जो कट मोशन नं० १०३ है about educated unemployment उसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एजुकेशन का प्रोग्राम एजुकेटेड अनएम्पलॉयमेंट का बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रोग्राम है उसको मिसकन्सीव करके बनाया गया है। इस एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट के प्राब्लेम के लिए उन्होंने पिछले साल लगभग १८ लाख रुपये खर्च किये थे और इस साल भी बजट में उसके लगभग लिए १७॥ लाख रुपये हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लायमेंट को रिलीफ करने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोग्राम में सिंगल टीचर बनाये जा रहे हैं और वहां पर एक एक शिक्षक को रखा जाता है और इस आश्वासन से रखा जाता है कि इस से एजुकेटेड अनएम्प्लायमेंट में कमी होगी, उसको रिलीफ मिलेगा। इसको जब हम एनेलाइज़ करें तो हम देखेंगे कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोब्लेम है, उसको हल करने का यह तरीका नहीं है। १७ लाख रुपये में सिर्फ १४४० आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। एक स्कूल में पूरे में कम से कम १००) रु० तनख्वाह और जो ओवर हैड चार्जेज़ लगाकर रखेंगे तो १ आदमी के ऊपर करीब १२००)रु खर्च होते हैं, तो इन १७ लाख रुपयों से सिर्फ १४४० आदमियों को लगभग हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो १७ लाख रुपये उसमें से इस तरह से एम्प्लॉयमेंट न देकर एक एक आदमी को १, १ हजार की कोई मशीन देते हैं जैसे कि लेथो की मशीन लगाते हैं या उसको एक हजार या डेढ़ हजार रुपये का मूलधन देकर, केपिटल देकर, किसी धन्धे में लगाते हैं तो वह सारी जिन्दगी के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आज नतीजा क्या होता है कि सिर्फ १७ लाख रुपये ही नहीं इन १७ लाख रुपयों से हम १४४० आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उसका मतलब यह है कि यदि उसकी सर्विस पीरियड हम मान लें कि २५ साल का होता है तो २५ साल में जाकर इसमें लगभग सवा चार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। सिर्फ १४४० आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम सवा चार करोड़ रुपया खर्च करते हैं जब कि दूसरे तरीके से खर्च करते तो लगभग साढ़े तीन लाख आदमियों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जिस तरीके को मैंने बताया उस तरीके से। उनको किस तरफ एस्टेब्लिश करदें, उनको हजार बारह सौ रुपया देकर किसी कॉटेज इन्डस्ट्री, किसी स्मॉल स्केल इन्डस्ट्री के अन्दर, लेथ मशीनया कोई फाउन्ड्री हो ऐसे काम में लगायें तो मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट करने का जो हमारा इरादा है कि उसमें कमी हो सकती है उसमें हमको सफलता मिल सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सरकार एजुकेटेड अनएम्प्लायमेंट के प्रोब्लेम को उलटे तरीके से समझती है और उस पर रुपया सीधे हिसाब से लगाती है। यह जो लक्ष्य है, यह जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोब्लेम का है, उसको रिलीफ देने के लिए उनको शिक्षक बना दें, उसको ६० रुपये तनख्वाह का शिक्षक बना दें; ऐसा न करके जो एजुकेटेड अनएम्प्लायमेंट है, उनको २, ३ महीने की ट्रेनिंग देकर और

(श्री पी० के० चौधरी)

हजार या डेढ़ हजार रुपया देकर उसको छोटी-छोटी मशीनें खरीद देते हैं, छोटी इन्डस्ट्री में बिठा देते हैं तो वह जिन्दगी भर के लिए सेल्फ सपोर्टिंग हो जाता है। १७ लाख रुपये के हिसाब से १४४० आदमियों क एम्प्लॉयमेंट देकर २५ साल में सवा चार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उस पैसे से कम से कम इस स्कीम से काम करते तो ३॥ लाख आदमियों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यह जो प्रोग्राम रखा गया है, यह एक मिसकन्सेप्सन है। अगर स्पेसिफिक सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कोई ग्रान्ट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को रिलीफ पहुंचाने की तो मैं समझता हूँ कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ग्रान्ट का दुरुपयोग है, उसका मिसयूज़ हो रहा है; उसका सही तरीके से उपयोग तभी होता कि जब हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कोई वोकेशन सिखाकर उसको उसमें लगाते तो उससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादा राहत पहुंच सकती थी।

दूसरी बात, मेरा जो कटमोशन २१३ नम्बर का और २५२ नम्बर का बेसिक एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन और उसके एक्सपेन्शन के बारे में और कम्पलसरी एजुकेशन के एक्पेन्शन के बारे में हैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ।

जहां तक बेसिक एजुकेशन का सवाल है, मैं समझता हूं कि बेसिक एजुकेशन के नाम पर, बुनियादी शिक्षा के नाम पर जो कुछ भी इस प्रान्त में चल रहा है, वह बुनियादी शिक्षा नहीं है। मैंने कई बेसिक स्कूल्स देखे हैं और जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि बेसिक स्कूल के जो टीचर हैं, मैं उनको वाकई में बेसिकली ट्रेन्ड नहीं मानता हूं बेसिक शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा है उसका सेन्ट्रल कन्सेप्शन जो है वह उनमें नहीं है। उसका कोरिलेशन वे समझते नहीं हैं। स्कूलों में क्राफ्ट इन्ट्रोड्यूस कर दिया और एक क्राफ्ट का दूसरा टीचर एप्वाइन्ट कर दिया तो सरकार के हिसाब से वह बेसिक स्कूल हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि बेसिक स्कूल तभी माना जा सकता है, जब कि वाकई बेसिक पद्धति से उसमें शिक्षा दी जाय। बेसिक पद्धति की शिक्षा क्राफ्ट इन्ट्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि तमाम शिक्षा का विषय हो, सोशल स्टडीज़ का विषय हो, जो भी विषय हो वह थ्रू क्राफ्ट दिया जाता है, न कि क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आज राजस्थान में जितने स्कूल हैं, उनमें बेसिक स्कूल जो हैं उनमें किसी में अच्छे क्राफ्ट की शिक्षा दी जाती हैं, सिर्फ क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है उसको बेसिक स्कूल मानते हैं। कोरिलेशन की पद्धति से शिक्षा देने की एक भी टीचर में योग्यता नहीं है। कोरिलेशन क्या बात है, वे उसको समझते नहीं हैं। हो सकता है कि कहीं एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल में ३ या ६ महीने पढ़कर कोई कोरिलेशन के बारे में समझते हों। तो यह जो बेसिक स्कूल्स का एक सिलसिला चल रहा है, उसके अनुसार मैं नहीं समझता कि वाकई बेसिक शिक्षा दी जाती है। इसमें शक हो तो बेसिक पद्धति से जो विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं उनका आप टेस्ट ले सकते हैं और जो टीचर्स बेसिक पद्धति की शिक्षा देते हैं उनको बुलाकर आप देख सकते हैं, वे बेसिक एजुकेशन के बारे में नहीं समझते हैं। सिर्फ आपके दावे से ही बेसिक स्कूल्स नहीं होती हैं।

(समय-समाप्ति सूचक की घंटी)

श्री पी. के. चौधरी : How many minutes will I be given, Sir?

श्री उपाध्यक्ष : In all 10 minutes, and we are completing 10 minutes.

श्री पी. के. चौधरी : Give me two minutes more, Sir.

इसी तरह से दूसरे एक्सपेन्शन के लिये इतना कहना चाहता हूं कि एजुकेशन का जो बजट है उसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिये १।। करोड़ रुपयों का प्रोविज़न है जब कि सेकन्डरी एजुकेशन के लिये २।। करोड़ का प्रोविजन है और बेसिक स्कूल्स के लिये ३३ लाख रुपयों का प्रोविजन है, जब कि प्राइमरी स्कूल्स को ज्यादा इम्पोर्टेन्स देनी है और चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी कर दी जाय, जैसा कि सेन्टर के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है। ७० पर्सेन्ट का जो प्रोविजन है उसमें से २० पर्सेन्ट स्पेशल स्कूल्स के लिये खर्चा किया जाता है, जब कि हम स्पेशल स्कूल्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं; मेहता रिपोर्ट ने भी किया है। आप प्राइमरी एजुकेशन को इम्पोर्टेन्स नहीं देते हैं यदि देते तो रिलेटिव एक्सपेन्सेज़ इसके लिये ज्यादा रखे होते। बजट को रेशनलाइज़ करना है तो हम तब मानते हैं जब कि कम से कम ५० पर्सेन्ट प्राइमरी स्कूल्स के लिये खर्चा रखा हो और बाकी दूसरी स्कूल्स कॉलेजेज़ के लिये रखा हो तब जाकर टार्गेट कंपलसरी एजुकेशन का पूरा हो सकता है। थर्ड फाइव इयर प्लान में कम्पलीट करना है complsory primary education before the end of 3rd Five Year Plan.

श्री भीनसेन (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले की शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में मैंने चार कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव बीकानेर शहर में फिज़ीकल ट्रेनिंग कॉलेज की इमारत के संबंध में है। उपाध्यक्षजी, यह बड़े हर्ष का विषय है कि राज्य सरकार ने सन् ५७-५८ में बीकानेर शहर में फिज़ीकल ट्रेनिंग कॉलेज स्टार्ट किया और उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने दिलचस्पी लेकर यहां पर कॉलेज जारी कराया।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में राजस्थान का सबसे शानदार क्रीड़ास्थल (स्टेडियम) है। इसमें दो बड़ी बड़ी दो मंजली इमारतें हैं और उसके पास ही बंगला नं० १ और बंगला नं० २ हैं जो उस कॉलेज के स्टूडेन्ट्स के लिये होस्टल्स की जरूरत को पूरा कर सकते हैं यदि उन दोनों बंगलों को थोड़ा एक्सटेन्ट किया जाय और उनमें थोड़ी तब्दीली की जाय तो मैं समझता हूं स्टेडियम के पास के दोनों बंगले होस्टल का काम दे सकते है और थोड़ा सा खर्चा करके यदि सरकार उचित समझे तो इनको टीक करा सकती है और यह कॉलेज अच्छी तरह से फंक्शन करने लग सकता है।

बीकानेर में कुछ ऐसी अफवाएं सुनने में आ रही हैं कि कुछ अधिकारी इस कॉलेज को जोधपुर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बहाने वे शिक्षा मंत्रीजी को गलत सूचनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर स्थान का अभाव है, इसलिये इसे जोधपुर ले जाया जाय, ऐसी सूचना हमें मिली है कि जोधपुर में स्थान की तलाश की जा रही है। मैं समझता हूं बीकानेर का क्रीड़ास्थल राजस्थान का सबसे शानदार क्रीड़ास्थल है जो फिज़ीकल कॉलेज के लिये बहुत उपयुक्त है और पास में दो बिल्डिंग्ज़ हैं, जो उपयुक्त हो सकती हैं होस्टल के लिये, इन पर थोड़ा सा खर्चा करके होस्टल्स चालू कर सकते हैं। इसलिये मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री भीमसेन)

फिज़ीकल ट्रेनिंग के लिये बीकानेर अच्छा स्थान है और दोनों बिल्डिंग्ज़ होस्टल और कॉलेज के काम आ सकती हैं, इसलिये वहां से फिज़ीकल कॉलेज नहीं हटाया जाय।

मेरा दूसरा प्रस्ताव टेक्निकल स्कूल बीकानेर शहर में खोलने के बारे में है। मैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि बताना चाहता हूं। बीकानेर स्टेट के वक्त में पोलिटेक्निक इन्सटिट्यूट खोलने की योजना थी। यह मानी हुई बात है कि बीकानेर में रेलवे का बहुत बड़ा वर्कशोप है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसकी केपेसिटी दुगुनी हो जायगी और इस वर्कशोप के लिये कारीगरों की भर्ती होगी, इसलिये यदि जूनियर टेक्निकल स्कूल यहां खोली जाय तो अच्छे कारीगर प्राप्त हो सकेंगे और बीकानेर की पुरानी योजना किसी हद तक सफल हो सकेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्कूलों को टेक-ओवर करने के लिये। बीकानेर में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उसकी फाइनेन्शियल पोज़िशन ऐसी नहीं है कि वह इन स्कूल्स को रन कर सके। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चाहता है कि जो पैसा वह शिक्षा पर खर्च करता है उसका भार सरकार लेले तो वह दूसरे प्रकार के जन हित के कार्य कर सकता है। इस साल बीकानेर के लिये २२ प्राइमरी स्कूल्स खोलने का निर्णय सरकार ले चुकी है। यदि वह इन ४ स्कूल्स को और लेले तो मैं समझता हूं यह समस्या हल हो सकती हैं। मैं समझता हूं इन चार प्राइमरी स्कूल्स और एक मिडिल स्कूल को लेलें तो हमारी समस्या हल हो सकती है।

मेरा चौथा कटौती प्रस्ताव है, बीकानेर डिग्री कॉलेज में सोशियोलोजी सब्जेक्ट की मांग के बारे में। बीकानेर का डूंगर कॉलेज बीकानेर की आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन वहां पर सोशियोलोजी की व्यवस्था नहीं है, यह खटकने वाली बात है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं, सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्री लच्छूराम (मंडावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के ऊपर दो दिन से वाद-विवाद हो रहा है और हमारे सामने विचारणीय प्रश्न यह है कि हम शिक्षा योजना को किस तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। इसमें जो रुकावटें आ रही हैं उनमें सबसे प्रधान रुकावट है, वह है शिक्षा प्रणाली में कमी। मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि हो। आज अध्यापकों को जितना वेतन मिल रहा है, उसमें वे किस प्रकार गुजर कर सकते हैं ? आज मिडिल ग्रेड अध्यापकों को ४० से ६० का ग्रेड मिलता है, इसलिए गत बजट के समय अध्यापकों की वेतन वृद्धि ५ रु० माहवार की गई, लेकिन वह कोई खास वृद्धि नहीं है क्योंकि १०० रु० से कम पानेवाले अध्यापकों को ५ रु० की वृद्धि की गई है। जिनका वेतन १०० या उससे ज्यादा हो उनको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए उनके ग्रेड में ५ रुपये बढ़े नहीं। इस बख्त बजट में ४०० रु० तक का वेतन पाने वालों को मंहगाई भत्ते का आधा वेतन 'पे' में शरीक किया गया लेकिन इससे भी तात्कालिक कोई फायदा नहीं हुआ। अध्यापकों को इतना कम वेतन मिलता है कि उनको अपने मानसिक विचारों को, अपने आर्थिक हल में लगाये रखना पड़ता है। उसके सामने बच्चों के भविष्य निर्माण की समस्या नहीं रहती, उसके सामने जो समस्या रहती है वह

(श्री लच्छूराम)

तेल, नून और लकड़ी की रहती है । एक अध्यापक, जिसको हम देश का कर्णधार कहते हैं, जो अध्यापक बच्चों को भावी नेता बनाने वाला होता है, क्योंकि बच्चों से ही नेता बनते हैं, बच्चों से ही मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री बनते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ६०–७० वेतन पर वह काम करता है, उससे बच्चों के भविष्य बनाने की क्या आशा कर सकते हैं, वह कैसे देश का निर्माण कर सकता है ? इसलिए हमारा विचार है कि एक अध्यापक से, जिसको ६०–७० रुपये वेतन मिलता है, किस प्रकार अपने छात्रों का निर्माण करवा सकते हैं । इसके पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इस प्रकार की गुंजाइश है कि जो शिक्षा का बजट छः करोड़ का है, क्या उसको ज्यादा कर सकते हैं ! क्या हमारे पास जो मौजूदा साधन हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, क्या हमारे पास इतनी आमदनी हो सकती है जिससे शिक्षा के बजट को बढ़ा सकें ! उपाध्यक्षजी, इसका एक क्रान्तिकारी तरीका है, अगर हम इस तरीके से बजट का अवलोकन करें तो काफी साधन हमारे सामने हैं, जिससे हम ज्यादा आमदनी कर सकते हैं । पहले भी मैंने बतलाया था कि हमारे देश को जो आमदनी होनी चाहिए वह केवल गरीबों पर टैक्स लगा कर नहीं होनी चाहिए, दूसरे साधनों से होनी चाहिए । जैसे कि जो राजाओं और जागीरदारों को दिए जाने वाला मुआवजा है, उसको बन्द कर देना चाहिए । हालांकि इसका सम्बन्ध हमारे संविधान से है, तो भी यह हाउस विचार कर सकता है कि राजाओं को दी जाने वाली पेंशन है, जागीरदारों को दिए जाने वाला मुआवजा है, उसको १५ साल तक मुल्तबी रख कर, उस राशि को निर्माण कार्यों में लगावें और राजाओं और जागीरदारों को कहें कि यह राशि १५ साल के बाद दी जा सकेगी । १५ साल के अन्दर देश की व्यवस्था ठीक हो सकती है । अगर उस राशि को १५ साल तक निर्माण कार्यों में और शिक्षा की उन्नति में लगायें तो निर्माण कार्यों में, शिक्षा में प्रगति हो सकती है । इसके अलावा राजाओं के पास अनाप्‌ शनाप सम्पत्ति है, उसे सरकार अपने कब्जे में लेकर निर्माण कार्यों में और शिक्षा में लगा सकती है । आज राजाओं के पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है, क्यों नहीं सरकार उसे कब्जे में लेकर, उससे आमदनी करके शिक्षा जैसे पवित्र कार्य पर लगावे ? इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार आज राजाओं जागीरदारों और पूंजीपतियों के चंगुल में फंसी हुई है । इसलिए यह जवाब दिया जाता है कि हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है, हम किस प्रकार शिक्षा के बजट को बढ़ायें, किस प्रकार छः करोड़ की जगह १० करोड़ बजट में रखें । यह कोई खुशी की बात नहीं है कि आप जवाब में कहें कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का जहां तक सवाल है, प्राइमरी स्कूल के बारे में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया सिंगल टीचर स्कूल में एक अध्यापक भेज दिया जाता है, वह अपाइन्टमेंट लैटर लेकर मुखिया के पास जाता है । न उसके पास स्कूल का भवन है, न स्कूल की व्यवस्था है, वह वहीं चौपाल में बैठ जाता है, क्योंकि न उसके पास बोर्ड है, न पढ़ाने की सामग्री है, न चॉक है, इसलिए वह गांव वालों के साथ बैठ कर हुक्का पीने लगता है । मैं आपको बताऊं कि दो, तीन महीने के बाद वह अध्यापक अगर अधिकारियों को लिखता है कि खेद के साथ लिखना पड़ता है कि तीन महीने के बाद भी कोई छात्र

(श्री लच्छूराम)

नहीं है । इसलिए इस स्कूल को बन्द कर दिया जाय और दूसरे गांव में जहां आवश्यकता है, वहां स्कूल खोल दिया जाय । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, खेद है कि जहां आवश्यकता है वहां नहीं खोला जाता है । जब वे सुझाव देते हैं कि यहां से बन्द करके दूसरे गांव में खोल दिया जाय तो निरीक्षक की ओर से उत्तर मिलता है कि इस जगह के लिए ही सरकार की तरफ से ऑर्डर मिला है । इस प्रकार की अव्यवस्था दिल को बड़ी खटकने वाली है, यह किसी खास जिले की बात नहीं है, राजस्थान के हर जिले में इसी प्रकार की व्यवस्था है । सिंगल टीचर में एक अध्यापक भेज दिया जाता है, वह अध्यापक वहां पर कोई काम नहीं करता है । इस तरह से देश का पैसा बरबाद होता है । मैं मानता हूँ कि स्कूल जरूर खोले जाने चाहिए। लेकिन गांवों में पार्टीबाज़ी के कारण ऐसा होता है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटमोशन वेतन वृद्धि के बारे में है ।

श्री लच्छूराम : जी हां, वेतन वृद्धि के बारे में है । माननीय उपाध्यक्ष, जिस प्रकार मैंने प्राइमरी स्कूल का वर्णन बतलाया, इसी प्रकार मिडिल स्कूलों में अध्यापकों का अभाव है । मिडिल स्कूल में आज कल केरीकुलम के अनुसार नौ पीरियड होते हैं, एक पीरियड ३० मिनट का होता है । इसमें से दो घंटे उद्योग के लिए निश्चित किये जाते हैं, लेकिन इन दो घंटों के लिए विद्यार्थी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उद्योग के घंटे आयें और कब छुट्टी मनायें । यह बड़ी शर्म की बात है कि उनमें भावना यह आनी चाहिए कि इन दो घंटों में श्रम करना पड़ेगा, लेकिन होता है कि विद्यार्थी उद्योग के घंटे में कबड्डी खेलते हैं । इसके साथ ही अध्यापक महसूस करते हैं और जब टाइम टेबल बनता है तो इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार उद्योग का पीरियड उन्हें मिले ! इस प्रकार से आज उद्योग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । इसका एकमात्र उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है, जिसने स्कूलों के अन्दर उद्योग को अनिवार्य कर दिया, लेकिन मैं बताऊं कि उद्योग के लिए किसी प्रकार काम नहीं किया जाता है । जहां उद्योग का पीयरिड होता है, वह खास तौर से तकली, टेलरिंग आदि का होता है । जहां टेलरिंग का पीरियेड़ है वहां मशीन नहीं है । जहां तकली का उद्योग है, उन स्कूलों में स्कूल की तरफ से छात्रों को रूई वगैरह नहीं दी जाती । जहां छात्र कहते हैं कि किस प्रकार कातें, तो उनसे कहते हैं जाओ, घर से रूई ले आओ। वे घर से पैसे मांगते हैं, तो उनके घर वाले कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है । इस कारण से छात्र चोरी करना शुरू करते हैं और तकिये और गद्दे से वे रूई निकालते हैं । इस तरह एक तरफ तो गद्दे और तकिये खराब करते हैं और दूसरी तरफ चोरी की आदत सीखते हैं । इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी को सुझाव पेश करूंगा कि स्कूल में उद्योग अनिवार्य हो तो उसके लिए सामान आदि का पूरा प्रावधान हो । सरकार की तरफ से रूई देने का प्रबन्ध हो । तकली का उद्योग बहुत अच्छा उद्योग है, अगर सरकार की तरफ से तकली और रूई सप्लाई होगी तो उससे अच्छी निवार और दरी बनाई जा सकती है । अभी इन उद्योगों के उन्नत न होने का कारण यह है कि सरकार की तरफ से सामान नहीं मिलता है । इसी प्रकार जो कृषि उद्योग है, उसके लिए स्कूलों के पास जमीन नहीं है और न जमीन मिलने का प्रावधान रखा गया है । इसलिए जो

(श्री लच्छूराम)

मिडिल स्कूल्स देहात में हैं उन्हें कम से कम १५, २० बीघे जमीन अलॉट करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में खेती के काम करने की रुचि हो सके और खेती करने का जो तरीका है, आधुनिक तरीका, उसे विद्यार्थी सीख सकें। परन्तु आज ऐसे स्कूल हैं जिनमें ट्रेन्ड अध्यापक कताई बुनाई सिखाने के लिए भेजे जाते हैं लेकिन उनके पास सामान का अभाव होने के कारण, जो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किया जाता है, वह पैसा बेकार जाता है। उद्योग में ट्रेन्ड अध्यापक हैं; जो कृषि, कताई बुनाई सिखाने के लिए जाते हैं, वे बैठे रहते हैं। इस प्रकार वे अपना समय टेबल पर बैठ कर निकाल देते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा सुझाव है कि उद्योग के सामान का अगर अभाव है तो उसे ज्यादा से ज्यादा सरकार को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि प्राइमरी स्कूलों के लिए वाचनालय का प्रावधान नहीं है। इसलिए वाचनालय की स्थापना करके बच्चों को, बालकोपयोगी साहित्य पढ़ने के लिए सप्लाई करना चाहिए, जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो सके। तो इस प्रकार से अध्यापकों को कम वेतन मिलता है और कम वेतन मिलने के साथ साथ इस प्रकार के अभाव रहते हैं तो स्कूल जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि इसमें वेतन वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पुराने स्टेट के जमाने में जयपुर के पास शेखावाटी है, वहां काम करने वालों को शेखावाटी अलाउन्स मिलता था। जो शेखावाटी अलाउन्स मिलता था, उसका मतलब यह था कि शेखावाटी रेगिस्तान का इलाका है, वहां पर जिन्स के भाव तेज रहते हैं, इसलिए यह अलाउन्स देते थे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लेकिन राजस्थान के बनने के बाद यह अलाउन्स बन्द हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां रेगिस्तान है, वहां पर काम करने वालों को रेगिस्तान अलाउन्स के नाम से अलाउन्स मिलना चाहिए क्योंकि रेगिस्तान में रहने वालों को काफी परेशानी होती है, सारी चीजें तेज मिलती हैं। अध्यापकों की तनख्वाह कम है, लेकिन चीजें तेज भाव से मिलती हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है रेगिस्तान में काम करने वालों के लिए रेगिस्तान अलाउन्स हो और अध्यापकों को, जो रेगिस्तानी इलाके में जाते हैं, रेगिस्तान अलाउन्स देना चाहिए।

एक और सुझाव मेरा यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : मेरा सुझाव बन्द करने का है।

(हंसी)

श्री लच्छूराम : अध्यापकों को कुछ विशेष सुविधायें दी जाती हैं, जो वास्तव में दी जानी चाहिए...

श्री पुरुषोत्तमलाल : आपके सुझाव से सहमत नहीं हैं।

श्री लच्छूराम : (जारी) मैं मानता हूँ कि उनको सुविधायें अवश्य दी जानी चाहिए। एक सुविधा यह दी जाती है कि २५० रु० से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय। लेकिन इसके साथ ही मेडीकल एड अध्यापकों और उनके परिवारों को जरूर दी जानी चाहिए।

(श्री लच्छूराम)

तो इस प्रकार से मेरी मांग है कि अध्यापकों को रेगिस्तानी अलाउन्स देना चाहिये, पठन सामग्री की पूर्ति करना चाहिये और प्राइमरी स्कूलों का इन्तजाम करना चाहिये। मैं फिर जोरदार शब्दों में कहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे और कम से कम महसूस कर रहा हूं कि यह करेंगे, तो जल्दी ही हम शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेंगे।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष......

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष......

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, Point of order पर मैं ७ दफा खड़ा हुआ हूँ, ७ दफा खड़ा होने के बाद भी...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य स्थान गहण करें। The Chair is on its legs.

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं मैं......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! आर्डर !! स्थान ग्रहण करिये। The Chair is on its legs.

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। ७ दफा खड़ा हो गया.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! स्थान ग्रहण करिये आप हाउस के डेकोरम को मेंटेन करिये। आर्डर ! आर्डर !!

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप यह कह दीजिये कि बाद में मुझे बोलने देंगे........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर ! आर्डर !!

(श्री मुक्तिलाल मोदी फिर भी खड़े रहे)

स्थान ग्रहण कीजिये अन्यथा मुझे और दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : टाइम दे दीजिये। बाद के टाइम के लिये बोलने का नहीं कहेंगे तब तक नहीं बैठूंगा, टाइम दे दीजिये।

(श्री मुक्तिलाल मोदी द्वारा स्थान ग्रहण)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से यह उम्मीद नहीं करता था कि इस तरह अनुशासन को भंग करेंगे। मेरा विश्वास है, कि जहां तक भाषण का प्रश्न है मैंने माननीय सदस्य के साथ सदा रियायत की है। परन्तु इस तरह अनुशासन का इस ढंग से भंग करना, इसको मैं अच्छी निगाह से नहीं देखता फिर भी माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आयन्दा इसका ख्याल रखें।

Yes !

श्री मनोहर कोठारी (कुंभलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा अनुदान सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, मैं इन दोनों कटौती प्रस्तावों पर संक्षेप में एक ही साथ प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला तो यह है कि हमारी राज्य सरकार एक हजार एक अध्यापक के प्राथमिक स्कूल प्रारंभ करेगी। ऐसा बजट अधिवेशन शुरू हुआ उस समय माननीय वित्त मन्त्रीजी के भाषण से हमें संकेत मिला था। शिक्षा के क्षेत्र में यह गलत परम्परा हमारी राज्य सरकार शुरू कर रही है क्योंकि कुछ वर्षों से हमने बराबर देखा है कि एक अध्यापक की पाठशालाएं हमारे यहां यत्र तत्र खोली गई हैं और मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि एक अध्यापक की पाठशालाएं अधिकांशतः असफल रही हैं।

(श्री मनोहर कोठारी)

मैं इस परम्परा को गलत इसलिये मानता हू कि कई गांवों में जहां अभी शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ वहां विद्यार्थियों को इकट्ठा करने में काफी समय लग जाता है । अध्यापक जब पहली बार गांव में जाता है तो किसी किसान के दरवाजे में स्कूल शुरू करना होता है, वहां जगह नहीं मिले तो मन्दिर के चबूतरे पर शालाएं शुरू की जाती हैं और अध्यापकों के रहने के प्रश्न पर भी बड़ी ही दिक्कत रहती है । वहां गांवों में पक्के मकान न मिल कर मिट्टी के घरौंदे मिलते हैं । शहर से कॉलेज और स्कूल का मोह छोड़ कर पहली ही बार अध्यापक नया-नया गांव में जाता है; वह वहां अपने आपको एडजस्ट नहीं कर सकता और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जो शहर के वातावरण से एकाएक गांव में जाता है वह अपने आपको गांव वालों में नहीं मिला सकता और परिणाम यह होता है कि वह कई बार छोटे-मोटे काम निकाल कर छुट्टी पर चला जाता है, कभी ७ दिन की छुट्टी पर, तो कभी १० दिन की छुट्टी पर इस प्रकार यह क्रम बराबर चलता रहता है । गांवों में बच्चों को काफी परिश्रम से इकट्ठा किया जाता है, कई बार दो-तीन महीनों में जाकर बड़ी मुश्किल से बच्चे इकट्ठे होते हैं यही नहीं बड़ी कठिनाई के बाद किसान में यह भावना जाग्रत होती है । मेरा अपना यह अनुभव है कि खेती से हटा कर किसान अपने बच्चों को स्कूल भेजने में अक्सर कठिनाई अनुभव करता है । उनके पिता, कुटुम्बी जन या उनके रिश्तेदारों के दिलों में यह भावना तो अंकुरित हो गई है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बाज लोग गांव में पढ़ाना भी चाहते हैं । यही कारण है कि गांव वालों के सहयोग से तीन-चार महीनों के कठिन प्रयत्नों के बाद गांवों के किसान अपने बच्चों को स्कूल में भेजने को राजी होते हैं और अध्यापक कार्यवश, शादी आदि के मौकों पर सात-आठ दिन की छुट्टी चला जाता है तो नतीजा यह होता है कि बच्चे पुनः खेल कूद में लग जाते हैं, ७ दिन बाद अध्यापक वापिस आता है और उपस्थिति लेता है तो आधे से कम बच्चे मुश्किल से रह जाते हैं । कई गांवों में ब्लॉक एडवाइजरी कमेटीज़ को निर्णय करना पड़ा है कि फलां गांव में एक अध्यापक ने जो प्राइमरी स्कूल खोला है उसे बन्द कर दिया जाय क्योंकि वहां बच्चों की संख्या बिल्कुल ही नगण्य है । सिद्धान्ततः यह बहुत गलत बात होगी कि एक अध्यापक की स्कूल शुरू करें । यदि हमारे पास आर्थिक कठिनाइयां हैं तो हमें चाहिए कि एक हजार की बजाय ५०० स्कूल ही शुरू करें ।

जहां राज्य सरकार हर वर्ष एक अध्यापक की स्कूलें खोलती जाती है वहां दूसरी ओर पुरानी एक अध्यापक की स्कूलों में भी हम अध्यापकों की वृद्धि नहीं करते । नतीजा यह होता है कि एक अध्यापक दो तीन कक्षाओं को अकेला नहीं सम्हाल सकता और एक अध्यापक से यह आशा भी नहीं करनी चाहिये कि वह दो तीन कक्षाओं को पढ़ा सकेगा । गांवों में लोग श्रमदान करके, चन्दा इकट्ठा करके स्कूलों की इमारतें बनाते हैं, बच्चों को इकट्ठा करने में मेहनत करते हैं और जब अपने बच्चों को पढ़ते नहीं देखते हैं तो उनमें निराशा का वातावरण पैदा हो जाता है । इसी प्रकार के और भी कारण हैं कि एक अध्यापकों वाली पाठशालाएं असफल रही हैं । मान लीजिये एक अध्यापक वाली स्कूल में पहली क्लास से पढ़ाई शुरू हुई तो एक साल बाद दो क्लासें निश्चित रूप से हो जाती हैं, जो पहली साल पहली

(श्री मनोहर कोठारी)

कक्षा में थे वे एक साल बाद दूसरी कक्षा में जाते है, परिणाम यह होता है कि एक अध्यापक को एक क्लास को पढ़ाने के बाद दूसरी क्लास को पढ़ाने का अवसर नहीं मिल सकता है । तो यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा की दृष्टि में उचित नहीं ।

आज ही हमारे पास इन्स्पेक्टर आॅफ स्कूल्स का एक सर्क्युलर मिला है, मेरा मतलब उदयपुर डिविजन के एम. एल. एज. से है जिसके साथ एक प्रोफोर्मा दिया हुआ है, उनके द्वारा हमसे कहा गया है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्राथमिक शाला खोलने के लिये सुझाव भेजें । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक दिन पहले प्रोफोरमा मिलता है और चाहा जाता है कि दूसरे ही दिन उसकी पूर्ति कर के विभाग के पास पहुंचा दिया जाय, यह कैसे संभव हो सकता है ? आखिर गांवों के लोगों से जानकारी करने के बाद जो जगह उपयुक्त होती है, उनके बारे में विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई सुझाव दिये जा सकते हैं । मैं यही उचित समझता हूँ कि ब्लॉक एड्वाइज़री कमेटीज़ के जरिये ही इन प्रस्तावों पर विचार और अमल होना चाहिये ।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की दो शालाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । कुँभलगढ़ के साथियां गांव में ऐसी ही एक शाला में ७ बच्चे भरती हुए तथा दिन प्रति दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, वहां के अध्यापक ने कहा कि ६० से ज्यादा बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता । और नयी भरती करना बन्द कर दिया । मैंने शिक्षा विभाग को निवेदन किया कि ६० से ज्यादा भरती होनी चाहिये और यह भी कहा कि उनको एक अध्यापक कोप विथ नहीं कर सकता अतः एक अध्यापक की और नियुक्ति की जाय किन्तु मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि उस गांव में अभी तक दूसरा अध्यापक नहीं पहुंचा । इसी तरह भीलवाड़ा में ६० विद्यार्थी हैं और वहां पर स्कूल के लिये ५ हजार रुपया का श्रम करके इमारत बनाई है । यदि स्कूलों में एक अध्यापक की ही व्यवस्था इसी तरह रही तो मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में विचार करना होगा क्या वहां बच्चों के लिये और कोई व्यवस्था की जाय । मैं तो यह कहूंगा कि फिल हाल किसी भी जगह एक अध्यापक की स्कूल नहीं रखी जानी चाहिये और यदि सरकार रखना ही चाहती है तो मेरा नम्र सुझाव है कि जहां पर एक अध्यापक की स्कूलें हों वहां उस गांव के अच्छे और जिम्मेदार नागरिकों की यह कमेटी बना कर, उस स्कूल का प्रबन्ध उसके हाथ में दे दिया जाना चाहिये, जो उनको मार्ग दर्शन कराती रहे और देखती रहे कि वह स्कूल ठीक तरह से काम करती है या नहीं । यही नहीं ऐसे अध्यापकों की छुट्टी भी वही कमेटी मंजूर करे । इस प्रकार जब स्कूलें कमेटी की देख रेख में चलेंगी तो अध्यापक अनावश्यक तौर से अथवा बिना छुट्टी के स्कूल नहीं छोड़ सकेगा । मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि कुम्भलगढ़ तहसील में हायर सेकन्ड्री स्कूल इसी वर्ष खोला जाय । मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुंभलगढ़ की हालत तो उनसे छिपी नहीं है । इस तहसील का इलाका बिल्कुल पहाड़ी है । लोगों के पास बहुत थोड़ी जमीन है उनकी आमदनी का जरिया भी थोड़ा ही है । अधिकांश में लोग पिछड़े हुए हैं, जहां शिक्षा का प्रसार होना ही चाहिये । अगर वहां पर शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तो फिर किस जगह सरकार शिक्षा का

(श्री मनोहर कोठारी)

प्रसार करना चाहती है । यह भी स्पष्ट घोषित किया जाय । इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये कई वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं । लेकिन कुंभलगढ़ तहसील में तीन बड़े बड़े कस्बे हैं इन तीनों कस्बों में से कहीं भी, जहां सरकार इमारतों की सहूलियत समझती हो, लड़कों की संख्या पर्याप्त समझती हो या सरकार यह समझती हो कि यहां पर दूसरे लोग सरकार को ज्यादा सहायता कर सकते हैं तो उसी स्थान पर हायर सेकन्ड्री क्लास जारी होनी चाहिये क्योंकि आस पास में कोई हाई स्कूल नहीं है, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिये भेजा जा सके ।

(घंटी)

कोई भी स्कूल, जहां बच्चों को भेजा जा सके, वह ३०–४० मील दूर पड़ती हैं और अभी जो आमेट में नया हायर सेकन्ड्री स्कूल खुला है वह भी ३५ से ४० मील दूर पड़ता है । वैसी सूरत में बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है और बच्चे पिछड़ जाते हैं ।

इसके साथ ही मैं यह भी बताना उपयुक्त समझता हूँ कि वहां कुछ प्राइवेट स्कूलें भी चलती हैं । आज से पहले यह नियम रहा है कि जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते, उनको राजकीय स्कूलों में परीक्षा में सम्मिलित होने की इजाजत दी जाती थी मगर दुर्भाग्य से इस वर्ष वह रोक दी गई है क्योंकि ऐसी प्राइवेट संस्थाएं रिकोग्नाइज़्ड नहीं हैं । मगर मैं यह कहूंगा कि पहले उनको इस संबन्ध की कोई सूचना नहीं दी गई थी कि इतने दिनों में आपकी स्कूलों में पढ़ने वालों को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जावेगी । इससे बच्चों का एक महत्वपूर्ण साल योंही नष्ट हो जाएगा ।

(घंटी)

दो मिनिट और ।

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री मनोहर कोठारी : मुझे ज्ञात हुआ है कि एक स्कूल के अध्यापक ने इस तरह की दर्खास्त माननीय मंत्री महोदय को दी है कि वे इस पर विचार करें और कम से कम एक एक जनरल सर्क्युलर इस साल निकाल दें कि उक्त प्रकार के लड़कों को परीक्षा में बैठने की आज्ञा दे दी जाए । आयन्दा इन संस्थाओं को हिदायत कर दी जावे कि किसी नये बच्चे को भर्ती नहीं करें । लेकिन अभी तक जो व्यवस्था चालू रही है और जो परम्परा चली आ रही है उसको तो इस साल तो बराबर निभाना ही चाहिए । इसके अलावा चारभुजा केतवाड़ा तथा रीछोड़ इस तहसील में तीन बड़े बड़े कस्बे हैं ।इन तीनों में कम्पीटीशन चल रहा है । तीनों बिल्डिंग बना रहे हैं और यह चाहते हैं कि उनके यहां हायर सेकन्ड्री स्कूल बने ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो आप ही बतावें कि ठीक कहां रहेगी ?

श्री मनोहर कोठारी : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसा आप उचित समझें, जैसे आपके नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार जहां खोलना उचित हो वहां खोला जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो टाइम दिया उसके लिये आपको बहुत धन्यवाद है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं धन्यवाद का आकांक्षी नहीं हूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी: मेरा तो फर्ज है । यह जो मेरा कटौती प्रस्ताव है जो प्राइ-

Page No.72

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

वेट संस्थाओं को सरकार की तरफ से एड दी जाती है, उसके बारे में मेरा यह कटौती का प्रस्ताव है । इन प्राइवेट संस्थाओं को सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है और सरकार यह समझती है कि जितना पैसा सरकार देती है उतना ये लोग दूसरी संस्था वाले हैं, उसमें लगाते हैं यह उचित नहीं है ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या आपका इससे सार्वजनिक संस्थाओं से मतलब है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ये सार्वजनिक संस्थाओं की बात......

श्री उपाध्यक्ष : आप आरंभ रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ये सार्वजनिक ही होती हैं । जिस स्कूल में सरकार की तरफ से एड दी जाती है और उसमें जैसा कि सरकार समझती है कि जनता उतना पैसा खर्च करती होगी उतना पैसा उनमें खर्च नहीं करते । उनके हिसाब झूठे पेश किये जाते हैं । इसके अलावा मास्टरों पर सरकार का बंधन नहीं रहता है और जो संस्था का सेक्रेट्री होता है उसको ही अधिकार होता है और उस अधिकारी पर ही इन मास्टरों का जीवन व्यतीत होता है । इन मास्टरों के अन्दर किसी भी तरह की प्राइवेट संस्थाओं में सरकार के नियम पूरी तरह से लागू नहीं किये जाते और न प्राइवेट संस्थाएं कानून लागू करती हैं । इन प्राइवेट संस्थाओं को लाखों रुपयों की सहायता जो दी जाती है नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि इन संस्थाओं में इस तरह की गड़बड़ होती है और न मास्टरों पर उन संस्थाओं को पूरी तरह से विश्वास होता है और इन संस्थाओं को चलाने वाले हैं वे भी जो मास्टर हैं वे भी पैसों का जिस तरह से सदुपयोग होना चाहिये नहीं करते । वे अपने आपको, जिस प्रकार मन्दिर का महन्त अपने अपने आपको मन्दिर का मालिक समझता है और जिस प्रकार वह चाहता है वैसा ही करता है उसी प्रकार ये लोग भी उसके महन्त होकर बैठकर नाजायज़ फायदा उठाते हैं । इस लिए मैं इसके लिये शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा अभी आपके सारे हिन्दुस्तान के महान् नेता पंडित नेहरू ने अपने विचार प्रकट किये हैं और उनके विचार हैं और उन्होंने परसों एक मीटिंग में कहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : मीटिंग में कहा है तो उसका जिक्र यहां नहीं होना चाहिये । आपके पास कुछ नहीं है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : उन्होंने बताया था कि हम सब को एक समझें, सारे हिन्दुस्तान को समान दृष्टि से पालन करें । परन्तु आज राजस्थान में छोटे और जो सरकारी मुलाजिम हैं और प्राइवेट स्कूलों और संस्थाओं में काम करते हैं उनमें और सरकारी मुलाजिमों के वेतन में बहुत अन्तर है । प्राइवेट संस्थायें सरकारी कानूनों को पूरी तरह से अपने यहां लागू नहीं करतीं और इस प्रकार कहीं पर पूरी तरह से बिल्डिंग नहीं है तो कहीं सामान पूरी तरह से नहीं है और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहां जहां ज्यादा पंडिताई के लोग ......

(घन्टी)

थोड़ा-घणा पैसा जनता से लेकर इस कार्य को करते हैं । तो मैं माननीय उपाध्यक्ष, आप खुद भी इस बात को सोचेंगे कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ । लेकिन हमको आज तमाम चीज़ों

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

को देखना चाहिए। आज जमाना बदलता आ रहा है। दिन ब दिन दुनिया आगे बढ़ना चाहती है परन्तु इन प्राइवेट संस्थाओं को सरकार अपने अन्दर में ले ले और जितना मुकर्रर रुपया सरकार इनको देती है उसके अन्दर सरकार का काम चल जावेगा इन संस्थाओं को लेने से, परन्तु इनमें जो खराबियें हैं जहां मास्टरों की, बिल्डिंग की, सामान की, ५० तरह खराबियें हैं और बेइमानियें होती हैं, वे सब दूर हो जावेंगी। अगर सरकार इन चीजों को दूर करना चाहती है तो मैं यह कहूँगा कि यह तभी दूर हो सकती है जब सरइनको अपने अन्दर में ले। किसी प्राइवेट संस्था को सरकार ७५ प्रतिशत ग्रान्ट इन एड देती है तो किसी को ७० प्रतिशत ग्रान्ट इन एड देती है।

(घंटी)

उपाध्यक्षजी, मैं तो आपके फायदे की बात ही बता रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये।

३ म० प०

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आज उन संस्थाओं को अपने अन्दर में सरकार ले लेगी तो कम से कम भी तो १०, १५ लाख जनता के बच्चों को, उन संस्थाओं के मास्टरों को काफी फायदा होगा। मैं समझता हूं कि अगर सरकार उन संस्थाओं को चलायेगी तो सरकार को कोई नुक्सान नहीं होगा और बल्कि फायदा होगा। उन संस्थाओं के अन्दर जिस तरह से अध्यापक रखे जाते हैं, आज रखते हैं और कल निकाल देते हैं; चालीस, पैंतालीस साल के हो गये, इतनी उम्र हो जाने के बाद कहीं दूसरी जगह सर्विस नहीं कर सकते, मान-लीजिये कि किसी संस्था के सेक्रेटरी से झगड़ा हो गया तो उसको फौरन वहां से निकाल दिया। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए ऐसी हालत में सरकार को चाहिए कि उन संस्थाओं को सरकार ले ले। ५८-५९ का बजट हाउस में पेश हुआ है, सरकार उस बजट में ही उनके लिए यह तय कर ले कि प्राइवेट संस्थाओं को सरकार सहायता न देगी, सरकार उन पर अधिकार करेगी और सरकार विचार करेगी। इसके लिये थोड़ा बहुत रुपया, अधिक भी खर्च करना पड़े तो भी खर्च करके सरकार उन संस्थाओं को अपने अन्दर में लेकर १०-१५ लाख जनता के बच्चे और जो उन संस्थाओं के मास्टर हैं, उनका पालन करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ज्यादा समय भूमिका और इस सम्बन्ध के दूसरे विषय हैं, उनमें न पड़ कर मेरा जो कटमोशन फागी में हाईस्कूल बनाने के लिए है, उसी पर अर्ज करना चाहूंगा। इस विषय में यह निवेदन है कि इधर धनवान आदमी कम बसते हैं और उर्वरा भूमि होने से काश्तकारों की अधिक बस्ती है। यह देखा गया है कि गांव वालों के आधा रुपया खर्च कर देने के पश्चात् भी शिक्षा विभाग बाज दफा हाईस्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाता है। मेरा यह निवेदन है कि यह मौके पर है, मुख्य तहसील है, यातायात के साधन उपलब्ध हैं, इसके चौतरफ छोटी स्कूलें हैं, बिल्डिंगें हैं, फागी में कई दिनों से कन्टम्प्लेशन रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र हाईस्कूल खोला जाय। पहले यह था कि दो अनाज के गोदाम हैं, उनको कन्वर्ट करके बना दिया जाय, शुरू-शुरू में नवीं क्लास खोलें। एक दफा यदि शुरू हो जाय तो फिर लोगों के

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

दिलों में विश्वास हो जायगा । वे बिल्डिंग बनाने को तत्पर हैं । खास तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि फिर मैं भी इसके लिए और अधिक उद्योग करूंगा । इसलिए यह व्यवस्था हो और जल्दी से जल्दी हो । फागी चार तहसीलों का कस्बा है, वहां हाई स्कूल नहीं है । दूदू मौज़माबाद में नहीं है वहां भी होना चाहिये । सांगानेर में हाईस्कूल के लिए मकान का करीब-करीब तय हो चुका है । इसलिए यहां शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए । बगरू बड़ा टाउन है, वहां हाई स्कूल के लिए मकान बना लिया है, प्रत्येक सुभीता देने के लिए कटिबद्ध हैं, चारों तरफ हाई स्कूल नहीं है, काफी फैला हुआ है, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि एक साल में एक जगह और दूसरी साल में दूसरी जगह; इस प्रकार से चारों जगहों पर हाईस्कूल कायम हो जाने चाहिए । इतना बड़ा एरिया है जयपुर से मालपुरा और मालपुरा से जोबनेर तक, एक भी हाईस्कूल नहीं है । आस पास के लड़कों को बड़ी दिक्कत हो रही है । इसके अलावा भी मैं कई बातें इस विषय में बताना चाहता था लेकिन अब इस विषय में बताना एक तरफ से पिष्टपेशण होगा, क्योंकि इस बारे में कई महानुभाव बोल चुके हैं ।

पाचवां कट मोशन था, जोबनेर में एग्रीकलचर कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज हैं, वहां छात्रावास के लिए बिल्डिंग बनाने हेतु । वहां पर ये दोनों संस्थायें अलग अलग से चल रही हैं । इसी सप्ताह में माननीय मुख्य मंत्री और शिक्षा सचिव आंखों से वहां की स्थिति को देख कर आये हैं और मैं समझता हूं कि उनके दिल में भी सब बातें तरोताजा हैं । वहां पर उन्होंने यह फरमाया कि वहां जाकर शीघ्रातिशीघ्र उन बातों की ओर व दूसरी बातों की ओर भी ध्यान दूंगा । वह एक मामूली जागीरदार की चलाई हुई संस्थायें हैं, वहां पर आज भी लाखों रुपयों की बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिनका मुख्य मंत्री महोदय ने और शिक्षा सचिव ने अनुशीलन किया है । पहले युनिवर्सिटी के इतने कड़े नियम नहीं थे । एक-दो संस्थायें आपस में मिल कर चली थीं । आर्ट्स के लिए यदि प्रबन्ध हो जाय तो, जैसा कि आपने अपनी आंखों से देखा भी है कि एग्रीकल्चरल कॉलेज में वह बिल्डिंग काम में आ जाने से यह सुभीता रह जायगा और छात्रावास वहां बनेगा । अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पधार कर वहां कि स्थिति का मेरे साथ में आंखों से देखने का विचार किया है, तो मैं बताऊंगा कि एक जगह कोई चीज़ बनाकर दुबारा फिर वह काम में न आवे तो दिक्कत रहे । तो मैं खास तौर पर निवेदन करूंगा कि ६५ साल से वे संस्थायें चल रही हैं, वे मेरे पिता के द्वारा बनाई हुई हैं । मेरे हृदय के जो विचार हैं, वे निवेदन करूंगा कि दोनों शीघ्र हो जांय । यदि युनिवर्सिटी ने ऐसे नियम बना दिये हैं कि न हो तो फिर एफीलियेशन नहीं होगा । प्रशासन के काम में काफी खर्च हो रहा है । फिर भी इनके लिये इतना सा कह देना अनुचित नहीं समझा जायगा कि वहां की जनता में इस प्रकार की भावना पैदा हो रही कि मैं राम राज्य परिषद् की ओर से खड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस की ओर से नहीं खड़ा हुआ हूं और मेरी कामयाबी हो गई थी इसलिए लोगों में इस प्रकार की किंवदन्तियां फैलाने का प्रयत्न किया जाता है कि यह सब सवाल हल हो जाता यदि कांग्रेस का केन्डीडेट होना, और चूंकि दूसरा केन्डिडेट खड़ा हो गया और शायद लोगों के वोट देने से इस प्रकार की

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

स्थिति पैदा हो गई है कि जो संस्थायें वहां चल रही हैं, वे खत्म हो जांय। लेकिन संस्थायें चलनी चाहिए। मैंने यह प्रबन्ध भी कर दिया है, यह मैंने फागी में कहा, बगरू में कहा, मेरा आर्थिक सुभीते के अनुसार, संस्थाओं के लिए मुझसे दो दो हजार रुपया तक मेरे हिसाब से ले लिया जाय, लेकिन संस्थायें वहां जरूर होनी चाहिए। मैं अत्यन्त नम्रता के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक दफा गाड़ी चल खड़ी हुई तो फिर धनाभाव की दिक्कत नहीं होगी। वहां के लोग गरीब हैं, खेती करके निर्वाह करते हैं, बहुत उर्वरा भूमि है, छोटे २ कस्बे हैं, बिल्डिंग्स उपलब्ध होने में दिक्कत नहीं होगी। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा हमारे आज के प्रगति चक्र का एक मौलिक तत्व है और हमारे प्रजातंत्र के सफलीभूत होने के लिये वह एक मुख्य अंग बन जाता है। हम चाहते हैं कि इस प्राथमिक शिक्षा से हम आज राष्ट्रीय भाव निर्माण कर सकेंगे। हम राष्ट्र का चरित्र निर्माण कर सकते हैं एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व बना सकते हैं और जो प्रगति का मार्ग हमारी योजनाओं ने निर्धारित किया है उस पर चल कर हम यहां की जनता को उसके लिये सक्षम बना सकते हैं। इसी दृष्टि से हमारे संविधान की धारा ४५ के अन्तर्गत हमारा लक्ष्य यह है कि हम एक निश्चित अवधि तक प्राथमिक शिक्षा को सारे देश में अनिवार्य कर सकें और इसी लिये अभी ऑल इन्डिया एज्युकेशनल कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें भी इस बात पर जोर लगाया गया था कि प्राथमिक शिक्षा की प्रगति और अधिक बढ़े और तृतीय पंचवर्षीय योजना तक यह कार्य पूर्ण हो सकें। पहले जो उम्र के बारे में ६ साल से लेकर १४ साल तक की अनिवार्य शिक्षा के लिये पॉलिसी रखी गई थी उसमें इस दृष्टि से इस कॉन्फ्रेन्स में संशोधन किया गया कि यह जो प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में भी उसको हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ६ से १४ साल की अवस्था की जगह ६ से ११ तक की अवस्था निर्धारित की गई। उसी ऑल इन्डिया एज्युकेशनल कॉन्फ्रेन्स से जो नेहरूजी ने मेसेज भेजा है उसके ये शब्द हैं :

"There is an obvious necessity for widespread elementary education if we are to advance on any front--industrial, economic, social or cultural. Free compulsory education was started in Western countries and in same other countries because of the industrial revolution. We are passing through this now and we cannot build any structure which has not for its foundation widespread elementary education."

इससे बिलकुल स्पष्ट है कि एलीमेंटरी एज्युकेशन का क्या स्थान हमारी प्रजातंत्र की पद्धति को सफल बनाने में है। हम बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आज सारी ग्रामीण व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं ताकि प्रजातंत्र जनता के लिये सहज, सुलभ और सत्य बन सके। इसके अलावा भी हमने कई प्रकार के आयोजन इसमें किये है। पंचायत एक्ट निकाला है, और भी अन्य कई प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि हम प्रजातंत्र को इस प्रकार विकेन्द्रित

(राव श्री नारायणसिंह)

कर सकें जिससे वह जन-साधारण के लिये सत्य और सुलभ बन सके। अगर हम इस ओर कदम उठाना चाहते हैं तो इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जब तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी, जब तक मामूली ज्ञान एक एक व्यक्ति को नहीं होगा तब तक वे प्रजातंत्र को सफल करने के लिये सहयोग नहीं दे सकेंगे और वह आधा नियोजित प्रजातंत्र होगा। वेस्टर्न कन्ट्रीज़ में मामूली २ जगहों पर जहां पिछड़ी हुई जातियां हैं वहां पर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होकर कुछ न कुछ ज्ञान उनको हो चुका है। आज अगर यह कमी यहां रह जाती है तो न केवल हमारी जनता पूरे प्रजातंत्र के स्वरूप को समझ सकती है, बल्कि इसके अलावा जो रीजनल या जातीयता की भावना है उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है और मैंने कुछ ऐसी सूचना प्राप्त की है कि एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट की ओर से कुछ इस प्रकार के डाइरेक्टिव्ज़ गये हैं जिनसे संकेत ऐसा मिलता है कि शायद जो अजमेर में अनिवार्य प्रथमिक शिक्षा का कानून बना था उससे पीछे हटने की बात है, उसमें ऐसा भी कुछ था. अनुभव होता है। जब तक एकतंत्रात्मक समान कानून राजस्थान का नहीं बनता तब तक उपरोक्त कानून का इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो सकता; इत्यादि इत्यादि आदेश थे। स्पष्ट तो इससे यह संकेत नहीं मिलता लेकिन यह बात जरूर है कि अजमेर में जो कानून पास किया गया था उस प्राइमरी एजुकेशन एक्ट से पीछे हटने की कुछ बात जरूर है। इस प्रकार का संकेत जरूर मिलता है। हो सकता है, शायद सरकार का ऐसा विचार हो, इकोनोमिक दृष्टि से या दूसरी दृष्टि से, इस प्रकार के बिल लागू न किये जायं और जब तक युनीफॉर्म पॉलिसी न बन जाय तब तक इस पर ज्यादा जोर न दिया जाय। इस विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं जो मि० सईदीन ने, जो आल इन्डिया एज्युकेशनल कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें कहा था, he drew the attention of the Council to overdoing measures of economy in education.

हम शिक्षा के क्षेत्र में, जिस प्रकार प्लानिंग कमीशन प्लान्स में कटौती कर लेते हैं, हम शिक्षा की योजनाओं में किसी भी प्रकार की कटौती को उपयुक्त नहीं मान सकते। हमारे बजट में शिक्षा के लिये जो खर्च कर रहे हैं, उससे काफी प्रगति की ओर इशारा मिलता है और इस ओर राज्य सरकार ने कदम भी उठाये हैं। हमारे बजट में शिक्षा के लिये ६॥ करोड़ के ऊपर राशि है और उसमें से कम से कम षष्ठांश प्राइमरी एज्युकेशन के लिये। हम १ करोड़ ६८ लाख ४३ हज़ार रुपया प्राइमरी शिक्षा के लिये खर्च करने जा रहे हैं। इसके मुकाबले शिक्षा मद की आमदनी १ करोड़ ४३ लाख के करीब है। प्राइमरी क्लासों की फीस इत्यादि से जो आमदनी होती है, वह छः हजार से घटकर तीन हजार तक आ गई है। इस दृष्टि से जहां तक किफायत की रूपरेखा बनाना चाहते हैं तो यह फिजूल सी बात हो जायगी। इससे कभी आमदनी और खर्च का तारतम्य नहीं बैठ सकता। हमें तो इसे अनिवार्य और सोशियल वर्क की तरह से, जनता के लाभ के कार्य की तरह से इसे उठाना पड़ेगा। अगर तीन हज़ार की आमदनी होती है, और भी अगर कुछ कम होती है तो इससे जो छः करोड़ का बजट बनता है, उसमें विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फीस इत्यादि बनाने की जरूरत पड़े तो मैं इतना तक कहूंगा कि राजस्थान

(राव श्री नारायणसिंह)

सरकार जहां टैक्सेशन आदि लेवी करती है वहां पर एजुकेशन लेवी के रूप में अगर कोई टेक्स लगाती है तो जो शिक्षा के मद में आमदनी के आंकड़े आते हैं उसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है लेकिन हमें किसी दृष्टि से हो, हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि प्राथमिक शिक्षा हमें अनिवार्य बनाना है, इसको हम त्याग नहीं सकते ।

एज्युकेशन विभाग की तरफ से अभी अभी कुछ दलीलें ऐसी भी दी गई सुनी हैं कि प्राइमरी एज्युकेशन की अनिवार्यता की तरफ वहां पूरी तरह से प्रगति नहीं हुई है। प्राइमरी एज्युकेशन इम्पलीमेन्टेशन स्टाफ ने काम ठीक प्रकार से अन्जाम नहीं दिया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहां हमें अनिवार्य शिक्षा की तरफ कदम उठाना पड़ता है वहां उसे जबरदस्ती अंगीकार कराने की नीति नहीं रख सकते । वहां हमें पर्सुएसी पॉलिसी को अख्त्यार करना पड़ेगा और अजमेर में यही पॉलिसी ली गई है। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जो स्टाफ इस काम के लिये लगाया गया है, वह काम नहीं कर सका है । लेकिन मुझे जहां तक सूचना है, वह यह है कि जो इम्प्लीमेन्टेशन के लिये स्टाफ लगाया गया था, उसको बदल कर दफ्तर में क्लेरिकल जोब्स में लगा दिया गया है और अब उनको यहां तक भी कहा गया है कि उनकी शायद आगे जरूरत न पड़े। इसका अर्थ यह होता है कि जो चीजें हम अजमेर कम्पल्सरी प्राइमरी एज्युकेशन एक्ट की मार्फत करना चाहते हैं इससे शायद पीछे हटने की कोशिश कर रहे है । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो अनिवार्यता इस एक्ट में लायी गई है उससे हटने के बजाय राजस्थान भर में किसी भी प्रकार हो, प्राथमिक शिक्षा को शीघ्र से शीघ्र और अनिवार्य कर सकें, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए ।

यहां यह बात जरूर है कि इस एक्ट में भी कई खामियां है, जो सोचने की हैं। जो आल इण्डिया एज्युकेशनल कौन्सिल हुई उसमें भी इस बात की तरफ इशारा किया गया था ।

हम जानते हैं कि इन ग्रामीण लोगों की एक विशेष आर्थिक परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति पर विचार किये बगैर यदि हमने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने का प्रयत्न किया तो हम भूल कर सकते हैं । हम शिक्षा को अनिवार्य करें, पर इसके साथ कुछ हमें उन ग्रामीणों की कठिनाइयों का भी ध्यान रखना होगा । हमें यह देखना होगा कि उनकी फसलों का क्या समय है, उनके जो संकुचित रिसोर्सेज़ हैं, उनमें उनके बच्चे किस प्रकार से उनके कार्य में योग दे सकते हैं और वह योग देते हुए वहां से फुरसत के समय उनको किस प्रकार शिक्षा की तरफ प्रवृत्त किया जा सकता है ? इन मुद्दों पर हमें विचार करना होगा । इसके लिए मैं कुछ अपने सुझाव आपके समक्ष रखता हूं । एक तो हमें अवर्स ऑफ स्टडी पर विचार करना होगा कि किन अवर्स में वे बच्चे अपने रोजमर्रा के कामों में अपने मां बाप को सहयोग देते हैं और उन कामों से छुट्टी पाकर वे किन अवर्स में वहां पढ़ने आ सकते हैं ।

इसके अलावा हमें जो वोकेशन्स रखने होंगे, वे किस तरह रखने होंगे । इस पर मैं खास जोर देना चाहता हूं । इसी पर हमारी प्राइमरी स्कूलों और बेसिक स्कूलों की काफी सफलता निर्भर है। यह भी सदन में कभी कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों

(राव श्री नारायणसिंह)

में जहां बदला गया है, वहां कोई भौतिक अन्तर नहीं आया। तो इस त्रुटि को भी दूर करना है। हम इसके लिये हरेक स्कूल के साथ फार्म लगा दें, जहां कुछ प्रैक्टिकली ट्रेनिंग हो और कुछ ऐसी वृत्ति भी विकसित कर सकें जिससे उनकी बेसिक एज्युकेशन सही माने में सफलीभूत हो सके। तो इस दृष्टि से जो वोकेशन्स हों, अलग-अलग प्रवृत्तियां जो हमारी हों, वे ऐसी हों कि वे भी किसी न किसी रूप में ग्रामीण मां बापों के लिए कुछ न कुछ आमदनी का एक जरिया बन जावें। जो ग्रामीण इस शिक्षा के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाये हैं, अगर उनके बच्चे वहां जाकर हुनर सीखते हैं और कमाई का जरिया भी पा लेते हैं तो वे उत्साहित होंगे।

इसके अलावा जो अटेन्डेन्स हों, इस प्रकार आॅल्टर्नेटिवली हों कि किसी के मान लो चार बच्चे हैं तो दो, एक समय आवें और बाकी दो दूसरे समय में आवें, इससे वे जो सहायता अपने मां बाप के कामों में करते हैं, वह भी जारी रहे और शिक्षा भी पा लें। इससे ग्रामीणों को अखरेगा नहीं, क्योंकि उनके काम में इससे कोई हरज नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : On a point of information, Sir, क्या माननीय शिक्षा मन्त्री का पद श्री मुक्तिलालजी ने ले लिया है ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : कोई सम्बोधित मन्त्री नहीं हैं।

श्री नारायणसिंह : हां, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं......

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, what is his exact cut-motion please ?

श्री नारायणसिंह : मेरा यह कटमोशन प्राइमरी एज्युकेशन प्रणाली और उसको फ्री बनाने के विषय में था और मैं उस दायरे से बाहर नहीं निकल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय के दायरे से बाहर निकल रहे हैं आप।

(हंसी)

श्री नारायणसिंह : अब मैं फीस के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि अजमेर में गवर्नमेन्ट की शिक्षा संस्थाओं में धारा ५ के अनुसार कोई फीस नहीं लगनी चाहिये। अब तक कोई फीस नहीं ली जाती थी। पर अब क्या होता है शिक्षा की फीस के नाम से तो नहीं, पर गेम फीस के नाम से १) और प्रति एग्जामिनेशन फीस के नाम से चार आना फीस लगी है। आज जहां शिक्षा की ओर प्रवृत्ति नहीं हो पाई और जहां इसका प्रचार नहीं हो पाया, वहां इस फीस से एक प्रकार का रोड़ा अटका दिया गया है। इससे स्वतः ही हाज़री बच्चों की स्कूलों में कम पड़ती जा रही है। यह तथ्य है।

अजमेर के शिक्षा कानून के मुताबिक पहले उन लोगों को फ्री पाठ्य सामग्री और सभी सामग्री दी जाती थी। पर अब वह भी नहीं रही, अध्यापकों द्वारा उनसे पाठ्य सामग्री मंगाने पर जोर दिया जाता है। इससे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का हमारा ध्येय ही खतम होता जा रहा है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि जिस प्रकार पहले व्यवस्था थी अजमेर स्टेट के जमाने में वही अब भी कायम रहनी चाहिये। कोई इस तरह की फीस नहीं ली जानी चाहिये और पाठ्य सामग्री भी सरकार को देते रहना चाहिये।

Page No.79

श्री उपाध्यक्ष : I hope you have concluded now.

श्री नारायणसिंह : I have something more to say, Sir. I shall take five minutes more.

श्री उपाध्यक्ष : Only one minute

श्री मोघजी भाई : On a point of order, Sir, काफी समय ले लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर नहीं हैं, आप जारी रक्खें ।

श्री नारायणसिंह : आज जिन्होंने फीस नहीं दी है और जिनके नाम काटे बगैर अटेन्डेन्स नहीं हो रही है, मगर अभी लड़कों के रोल्स पर नाम मौजूद हैं । ऐसी स्थिति में अगर वे चाहें तो इस धारा ५ के अनुसार वे सरकार पर दावा भी कर सकते हैं कि उनसे फीस नही ली जावे या जो ली गई है वह वापिस की जावे । तो इन परिस्थितियों का भी सामना सरकार को करना पड़ सकता है ।

पर उनके अलावा खास चीज़ यह देखनी है कि प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पांचवीं क्लास तक किसी प्रकार की फीस नहीं ली जानी चाहिये और गेम्स और दूसरी प्रवृत्तियों संबंधी भी फीस नहीं रहनी चाहिए । फिर पाठ्य-सामग्री भी बिना किसी खर्चे के उनको उपलब्ध करानी चाहिये ।

मैं कुछ प्राइवेट अध्यापकों की समस्याओं पर भी कहना चाहता था, पर मैं देखता हूं कि समय समाप्त हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you. I think you have concluded.

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

श्री नारायणसिंह : जो वहां के प्राइवेट शिक्षक हैं, उनकी सर्विसेज़ का कन्फर्मेशन नहीं हुआ, उनकी स्थिति एवं वेतन-स्तर का कन्फर्मेशन नहीं हुआ । यह समस्या तो प्रशासन की अलग अलग जगहों पर भी मौजूद है । पर इस प्राइमरी शिक्षा में भी यह मौजूद है । मैं इन वाक्यों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो उसी एजुकेशन कॉन्फ्रेन्स में विशिष्ट शिक्षाशास्त्री ने कहे हैं, "You cannot reasonably expect disheartened and frustrated persons to put the best of themselves into their work." हम अगर मास्टरों की रोजी का पूरा प्रबन्ध नहीं करते हैं, उनको अगर अनिश्चितता की स्थिति में डाले रखते हैं तो जहां सारी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ अथवा और बात हुई वहां किन्हीं टैक्नीकल बातों के कारण अगर किसी भी प्रकार की अनिश्चितता में ये अध्यापक रहते हैं अथवा उनकी रोजी में फर्क पड़ता है तो वास्तव में एक अत्यन्त शोचनीय परिस्थिति पैदा हो सकती है । वे काम में मन नहीं लगा सकेंगे और उनमें एक कॉन्स्टेन्ट असन्तोष रहेगा और यह मैंने देखा भी है कि जहां कोई स्कूल दूर देहात में है और सड़क या शहर से बहुत दूरी पर है और अध्यापक का मन वहां लगता नहीं है तो वह पढ़ने वालों को डिसकरेज करता है और ऐसी कोशिश करता है कि वह स्कूल ही वहां से उठ जावे और कहीं शहर में जाकर स्थापित हो जावे या उसीकी बदली हो जावे । तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें राजस्थान भर में प्राइमरी शिक्षा को आज अनिवार्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए । और अगर इतना करने में शिक्षा विभाग में अर्थ की कमी हो तो एज्युकेशन लेवी के नाम से भी

(श्री नारायणसिंह)

एक टैक्स लगा सकते हैं कि जिससे यह क्षति पूर्ति हो सकती हो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : My cut motion is on the basic education. Ofcourse the subject of basic education has been discussed and its organisation and the type of education which is imparted in the schools has been much criticized and appreciated; but, Sir, some of the points have been left out. I mean to say that basic education is a radical departure from our old traditional theories and practices of education and, therefore, our approach to the subject of basic education has also to be revolutionary.

३. ३१ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

What we are doing is to view this basic education with the old standards and if I may say so, our Education Department has not out grown its narrow outlook regarding basic education, because if the basic education was viewed with the need and urgency which is its due, then basic education would not have fallen where I would say that it is neither basic nor education Sir, the policy adopted by the Government is a haphazard conversion of the schools. We are merely, or I should say, the Government is merely enchanted or enamoured by the name of basic education. We have given to the schools, the primary schools a different nomenclature, while what is essential or what is needed in these schools is sadly, nay, I would say miserably lacking. Sir, basic education is a fundamental departure from our elementary methods. But this departure has not been made. Mere conversion has resulted in 500 elmentary schools converted into basic schools and another 2000 primary schools opened. To-day these single isolated patches of basic schools are finding it difficult to survive against the number of elementary institutions. Thus if we want to make any advance in basic education, we will have to radically change the system of education, i.e. institute basic education. The points against basic education may be said regarding its relative costliness. Sir, if we go deep into the matter, I find that our elementary institutions are more a white elephant on our budget, on our revenue, rather than opening of these basic schools because the fundamental idea behind basic education and institutions is productivity. This idea is not emphasised. I am told that the Madras Government has fixed for basic schools a per capita income, graded into 8 stages, while our Education Department or our Education Ministry have not fixed this. Probably the reasson is that still this old approach of our Education Department, regarding

(श्री श्रीमानसिंह)

emphasis on productivity or creativeness or rather looking down the Productive value-all the methods that are productive in the basic schools, has not been changed. This approach has to be changed and in basic institutions productivity has to be emphasised, and for productivity we have to open up different crafts. But haphazard crafts are opened up. Our emphasis is either on agriculture or on weaving, but this emphasis is one sided. What is needed in basic schools is a craft combined from one stage to another. The best craft for basic education is weaving and spinning, but only one part is taught; either weaving is taught or spinning is taught but this is wrong. It should include dyeing and tailoring also.

Thus approach as regards teaching methods is not sound and our emphasis in basic education is not balanced emphasis. We are not empasising production, productivity, learning through work, and the ill-trained teachers that go and run these institutions, they have not learnt to respect the dignity of labour that is our main aim, that is what we want to inculcate in the new children coming up. Thus, regarding costliness, if we emphasise productivity, it should pay us. and in Madras they are actually realising income out of the working of basic institutions. Sir, the second argument may be given regarding epuipment, land and trained personnel. These are the arguments that are given as making the basic education costly. But if all these things are dealt or looked from right perspective I can say that basic education will not be costlier. The amount which is needed for running our elementary education, if you utilise it in basic institutions, then, Sir, basic education will be profitable and will bring income not only to the schools but to the exchequer also.

When this is the result, the good consequence of introducing basic education, convert all the elementary schools into basic schools at one stroke. When it is profitable, I see no reason why it should not be introduced? Why we should proceed in the manner that shows that we have not gathered, our Education Department has not gathered up enough conviction in basic education? Basic education is fast becomimg a reality. It must become a faith with us. We must have conviction in it. If our approach remains the same as liberal education approach, then I can say that the way we have started basic education is not proper. It was for our Education Department to prepare soil for basic education and what was needed was a radical change in the Education Department. Today the same Director looks after the elementary education, the same Inspector examines or goes for

Page No.82

(श्री श्रीमानसिंह)

inspections of the elementary schools and the basic schools. I cannot understand this, Sir. The basic education needs a special training and special approach and special examimation. The outlook has to be changed. This Director, these Inspectors, whose approach is still the old approach, how can they encourage or help basic education to thrive and grow. Today we are caught within the limitations of our argument, if I may say so. We should take bold steps regarding basic education because it is a new thing. Today basic education is becoming a reality in this country and with our pattern of industrial growth, or whichever way we advance, if we want our children to contribute to the happiness, to the economic prosperity of our country, to the living standard of the villagers themselves, this is the only type of education; i. e. basic education. Basic education is the cure of our economic, social and cultural ills. These villages, if I may remind the hon, Member, Sir, through you, that these were the seats of that high literature and culture in which in isolation such masterpieces of Hindi and Sanskrit literature were written. They were written in isolated places in villages, in our rural areas. Today these rural areas sadly lack the right type of atmosphere for the cultural, economic and social progress. If we want progress, it is only through giving rural colour to our education, then only we can advance. Our Education Ministry has only one and one slogan alone and that is basic education at elementary stage, basic education at senior stage and post-basic education at post-graduate stage.

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापतिजी, मेरा कट मोशन आज स्कूलों में चल रहे पक्षपात के बारे में है। हमारे देश को आज़ाद हुए आज १० साल हुए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो हमारा ढांचा है, वह ठीक नहीं है। किसी देश का जीवन शिक्षा से संबंधित होता है। इस लिहाज़ से आज राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, हिन्दुस्तान के सब सूबों से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। इस तरक्की का साधन सिर्फ शिक्षा है। इसके लिये हमने शिक्षा के लिये रुपये बहुत कम रखे हैं और जो भी रखे हैं वे इस तरह पक्षपातपूर्ण नीति से हैं कि वे बहुत अशोभनीय हैं। मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहूं, तो मैं समझता हूं, अनुचित नहीं होगा।

गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की आबादी करीब साढ़े छः लाख की है। पिछले साल राजस्थान में प्राइमरी स्कूलें खोली गई। गंगानगर जो राजस्थान का सब से अच्छा इलाका है उसमें सिर्फ १२ प्राइमरी स्कूलें खोली गई। जब मैंने स्कूलों की लिस्ट देखी तो मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और दूसरे अधिकारियों से मिला तब उन्होंने मुझसे कहा कि आपके गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में १२ स्कूलें खोली जायेंगी। मैंने उनसे कहा कि आप किस बेसिस पर, किस डाटा पर और किस रेश्यो से

(श्री श्योपतसिंह)

ये स्कूलें खोल रहे हैं, तो वे बोले कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा स्कूलें हैं इसलिये वहां कम खोलकर दूसरी जगह ज्यादा स्कूलें खोल रहे हैं । मैंने जब लिस्ट देखी तब मुझे पता चला कि राजस्थान के कई जिलों में सत्तर सत्तर स्कूलें खोली गई हैं, जब कि गंगानगर में केवल १२ खोली गई हैं। हमें दुःख होता है इस पक्षपात को देख कर । हम यह नहीं कहते कि दूसरी जगह स्कूलें नहीं खोली जांय लेकिन जब पक्षपात देखते हैं तब हमें दुःख होता है। मंत्रीजी से जब हमने कहा कि हमारे यहां १२ ही क्यों रखी गईं, तो कहा कि आपके वहां पहले से ही ज्यादा स्कूलें हैं । हम उन जगहों पर खोल रहे हैं जहां तरक्की कम है, इसका मतलब मैं या तो यह लूं कि जब तक दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स गंगानगर के लेवल पर नहीं आयेंगे तब तक हमारी तरफ आंख उठा कर नहीं देखेंगे, या यों समझूं कि यह पक्षपात है ।

इसके साथ ही जब प्राइमरी स्कूल्स के लिये देखता हूं तो हमारी सरकार कहती है कि स्कूल्स के लिये पहले भवन तैयार होने चाहिये तब स्कूलें खोली जायेंगी। आज गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जावें तो हर गांव में स्कूल के लिये भवन मिलेंगे लेकिन वहां के लोग मायूस होकर कहते हैं कि हमारे यहां कब स्कूल खुलेगी ? हम उनको कहते हैं कि जल्दी ही खोली जावेंगी, एक दो साल ठहरने पर । हालत यह होती है कि उनका हौसला अफ-जाही न होकर उनको डसोकरेज्ड होना पड़ता है, निराशा होती है। ऐसी हालत डिस्ट्रिक्ट गंगानगर की हो रही है। हमारे गंगानगर ही से मिला हुआ पंजाब का डिस्ट्रिक्ट फिरोज़पुर है, वहां जाकर देखें तो मालूम होगा कि वहां पर २० कॉलिजेज़ हैं और ६० हाई स्कूल्स हैं। हमारे लिये यह बड़े शर्म की बात है जब कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये हमें दूसरे प्रान्त में भेजना पड़ता है ।

इसके साथ ही गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हजारों गांव ऐसे हैं जहां स्कूलों के भवन होने के बाद भी स्कूलें नहीं खोली जा रही हैं। एक अजीब चीज़ आपको और बताऊंगा। हमारे यहां का कॉलेज आधा है। हमारे जिले की आबादी ६॥ लाख की है और यह सारे राजस्थान को चलाने वाला जिला गंगानगर है, वहां पर आधी कॉलेज है; आधी इस माने में कि वहां पर एम० एस सी० की क्लासेज़ नहीं हैं, बी० एस सी० और एफ० एस सी० की क्लासेज़ नहीं हैं, बड़े दुःख की बात है ।

इसके साथ ही एक बड़ी चीज और है, जिस एरिया के लिये आज सरकार ने अरबों रुपये खर्च किये हैं, जिसके लिये आज मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के लिये आप पक्षपात की नीति की बात करते हैं जब कि आपके यहां नहरें आ गई हैं और वहां पर अरबों रुपये लगाये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि क्या आप उदयपुर में नहरें ले जा सकते हैं, क्या आप कोटा डिस्ट्रिक्ट से चंबल की नहर गंगानगर में ला सकते हैं या दूसरे जिले में ले जा सकते हैं। सतलज से जो नहरें आयेंगी वे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में या बीकानेर में ही आयेंगी और जो नहर आयगी वह सारे राजस्थान के हित के लिये आयेगी और फिर यह केन्द्रीय सरकार की स्कीम है, आपकी नहीं।

इसके साथ ही मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां पर अरबों रुपये एग्रीकल्चर के लिये लगाये हैं, वहां पर कोई एग्रीकल्चरल कॉलेज नहीं है। एग्रीकल्चर कॉलेज वहां पर नहीं खोल कर, पहाड़

(श्री श्योपतसिंह)

की टेकरी पर, उदयपुर में खोला गया है। जिस एरिया में एशिया का सब से बड़ा मिकेनाइज़्ड फार्म ५०,००० एकड़ जमीन में है और इतने रुपये खर्च किये जा रहे हैं, वहां मिकेनाइज़्ड फार्म के साथ ही एग्रीकल्चर कॉलेज होती तो लोगों को बहुत फायदा होता, सारी फेसिलिटी कॉलेज को लेबोरेटरी आदि की मिलती। जहां पर हमें रूस से करोड़ों रुपयों की मशीनरी मिली है, वहां पर यदि यह कॉलेज होता तो वहां का कॉलेज का स्टेन्डर्ड काफी ऊंचा हुआ होता और उस कॉलेज से स्टुडेन्ट्स बहुत काबिल निकलते। ऐसी उपयुक्त जगह में कॉलेज नहीं खोलकर उदयपुर में खोला है! मैं यह नहीं कहता कि उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं खोला जाय, लेकिन जब अरबों रुपये इस एरिया में लगाते हैं और जहां इतनी सुविधा होती है वहां पर कॉलेज खोलने से लाखों रुपये कम खर्च करने पड़ते, वहां नहीं खोलकर उदयपुर में खोला। यहां अगर खोला होता तो आधे रुपये बचाये जा सकते थे। यह हालत है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की।

एक अजीब चीज और बताना चाहता हूं। आज से ३ साल पहले गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की स्कीम के अन्तर्गत गंगानगर जिले में कुछ स्कूलें खोली गई थीं और वे स्कूलें तीन साल तक चलीं। उनका ५० पर्सेन्ट खर्चा गांव वाले देते थे और बाकी सरकार। तीन साल तक आधा खर्चा देकर ये स्कूलें चलीं, हर एक स्कूल में ५०–६० लड़के पढ़ते थे, लेकिन ये कब तक चल सकती थीं? उन्होंने ३ साल तक चलाया लेकिन बाद में हालत ऐसी नहीं थी कि हमेशा के लिये चलाते रहते। मैं अधिकारियों से मिला तब उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे, मैंने कहा कि बच्चे तीन-तीन साल से चल रहे हैं, गांव वाले इस हालत में नहीं कि स्कूलों को चला सकें इसलिये इनको सरकार ले ले तो अच्छा रहे, अगर नहीं खोलोगे तो बच्चों की जिन्दगी बरबाद हो जायगी, जो आज तीन साल से पढ़ रहे हैं। वे न तो किसी दूसरी जगह जाने योग्य हैं और न इस योग्य हैं कि दूसरी जगह जाकर पढ़ सकें। मैंने इसके लिए डॉइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को भी लिखा और दूसरे अधिकारियों से इसके लिए बातचीत की। डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से इसके लिए रिकमन्डेशन भिजवाई लेकिन नतीजा यह होता है कि आपका गंगानगर बहुत आगे बढ़ गया है, दूसरे इलाकों से इसकी हालत बहुत अच्छी है, इसलिए जब तक उदयपुर इस लेवल पर न आ जाय तब तक स्कूलें नहीं खोली जायेंगी, यह कहा गया। मुझे अफसोस होता है। हमें किसी से रंजिश नहीं है, मगर जब हमारे साथ पक्षपातपूर्ण नीति बरती जाती है तो हमें दुःख होता है। हमें एक लक्ष्य पूर्ण करना है, शिक्षा का; राजस्थान में तरक्की तब ही कर सकते हैं, जब कि हम इस नीति को धारण कर लें कि हमें हर एक गांव में स्कूल खोलना है, उस लक्ष्य को न पा लें तब तक दूसरी चीजों पर खर्चा नहीं करें। अभी डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में पी. सी. की मीटिंग हुई थी। वहां एक बड़े नेता ने.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसके बारे में कोई रेफरेन्स देने की जरूरत नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : क्या ?

श्री सभापति : मीटिंग में क्या हुआ, इसका रेफरेन्स देने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : चेअरमैन साहब, माननीय सदस्य किस कट मोशन पर बोल रहे हैं, यह बता दें ?

श्री श्योपतसिंह : स्कूलों में पक्षपात की नीति चल रही है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं........

श्री सभापति : आप बहुत समय ले चुके हैं, दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री श्योपतसिंह : तो बहुत बड़े लीडर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था की ओर ध्यान रखें।

श्री श्योपतसिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक हम इस प्रकार की बात करते हैं, शिक्षा के सम्बन्ध में, जिस पर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, यह अफसोस की बात है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। ताकि शिक्षा मंत्रीजी ध्यान रखें। अपने इलाके की जो तस्वीर है, उसको मैंने सदन के सामने रखा है। मैं आशा करता हूँ, शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : माननीय बृजमोहनलाल जी शर्मा।

श्री हीरा : मैं कब से बोलने का विचार कर रहा हूँ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : माननीय सभापति, मैंने सदन में प्रस्तुत अनुदान पर एक कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं यह चाहता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो अजमेर राज्य के लिए निर्धारित धन–राशि रखी गई है शिक्षा के लिए, अजमेर एरिया के लिए जितनी मात्रा में रखनी चाहिए थी, उस मात्रा में नहीं रखी गई है। श्रीमान् मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है, अजमेर राज्य की अपनी एक अलग विकास योजना थी और राज्य पुनर्गठन के समय राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने इस बात के लिए कहा था कि जो राशि अजमेर की योजनाओं के लिए है, वह वहीं खर्च की जायगी उस धन राशि को वहीं काम में लिया जायगा, अजमेर राज्य की योजनाओं के लिए जो धन राशि स्वीकृत की गई थी उसमें कोई कमी नहीं की जायगी। मैं आपको बताऊं कि अजमेर राज्य की ८ करोड़ २५ लाख की योजनाएं थीं, उसमें से शिक्षा के लिए १ करोड़ ७५ लाख की राशि निर्धारित की गई थी परन्तु बजट के आंकड़ों को देखने से मुझे पता लगा है कि अजमेर एरिया के लिए अलग अलग स्थानों पर धन राशि रखी गई है, उसे एक स्थान पर रखा जाता तो निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि इतनी रकम रखी गई है। लेकिन इस बजट में स्थान स्थान पर धन राशि रखी गई है, उन सबको मैंने जोड़ा है, उससे ज्ञात होता है कि इस वर्ष ३५ लाख की धन राशि शिक्षा के ऊपर खर्च होनी चाहिए थी, उसकी जगह २७ लाख की धन राशि ही निर्धारित की गई है। १९५६-५७ और १९५७-५८ में जो धन राशि रखी गई थी, वह धन राशि पूरी खर्च नहीं हो सकी, जब कि यह कहा गया था कि १९५७-५८ में जो धनराशि राजस्थान के लिए रखी गई थी उसका ९८ प्रतिशत गत वर्ष खर्च हो चुका है। तब कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता कि अजमेर राज्य के लिए जो ३५ लाख की धनराशि निर्धारित की गई थी, वह क्यों नहीं रखी गई! इस वर्ष १९५८-५९ में जो एक्चुअल अमाउन्ट रखना चाहिए था, वह ३५, ४५,६७८ की धन राशि है, परन्तु रेकरिंग और नोन रेकरिंग २७ लाख ही रखा गया है। इस प्रकार जहां ३५ लाख रुपया रखा जाना चाहिए था, वहां २७ लाख ही रखा गया है। इसी तरह सन् १९५६–५७ में ३७, ८९, ४०० रुपए खर्च होने

Page No.86

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

चाहिए थे, जब कि यह स्वीकार किया गया है कि इतनी धन राशि उस वर्ष खर्च नहीं की है। इस प्रकार जो १ करोड़ ७५ लाख की राशि रखी गई है वह खर्च नहीं हो सकेगी पांच साल में। इन सारे वर्षों में खर्च में कमी करते जा रहे हैं और आगे भी कम ही धन राशि रखी जा सकेगी। अगर आप अजमेर राज्य की शिक्षा योजनाओं के सम्बन्ध में, अजमेर राज्य का बजट देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां का बजट २ करोड़ और ४० लाख का था, उसमें से १ करोड़ ८ लाख शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता था। मैं समझता हूं समस्त भारतवर्ष में किसी बजट में शिक्षा के ऊपर इतना खर्च नहीं होता था जितना अजमेर राज्य में खर्च किया जाता था। इसलिए श्रीमान्, अगर शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने के लिए नहीं, तो कम से कम उस स्तर को, जो वहां का था, कायम रखने की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए जो धन-राशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी उसको पूरा खर्च करना चाहिए।

दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि ब्यावर में एक एस. डी. पी. गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के लिये हिन्दी और अंग्रेजी की क्लॉस के लिए रकम रखी गई है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के लिये धन-राशि रखी है, उसको देखना होगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के अन्य कॉलेजेज के लिये १५ लाख, २० लाख रुपया रखा गया है, किन्तु इस कॉलेज के लिये साढ़े नौ लाख रुपया रखा गया है। इस साढ़े नौ लाख रुपये में से इस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लॉसेज की हिन्दी और अंग्रेजी की कक्षाएं खोलने के लिए भी कुछ रकम रखी गई है, इसका कारण यह दिया जा सकता है कि गत वर्ष चार विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में आए, इसलिए इन कक्षाओं को तोड़ दिया है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये क्लासेज़ इस कॉलेज में सितम्बर में स्टार्ट की गई और इन क्लासेज़ के लिए स्टाफ का अपोइन्टमेंट सितम्बर या अक्टूबर में हुआ, क्योंकि प्रेसीडेन्ट महोदय की सैंक्शन आने में देर लग गई। प्रेसीडेन्ट महोदय ने कह दिया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कॉलेज़ की योजना को कार्यान्वित करना चाहिये, इस दृष्टि से स्टाफ का अपोइन्टमेंट शीघ्र नहीं हो सका। हमने हिन्दुस्तान भर में एडवर्टाइज़मेंट किया और उसके बाद सिलेक्शन किया। इस तरह सितम्बर में तीन-चार से ज्यादा विद्यार्थी नहीं आ सके क्योंकि विद्यार्थियों का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जुलाई और अगस्त में और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए विद्यार्थी सितम्बर तक वेट नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति के अन्दर हिन्दी और अंग्रेजी की पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ के लिए कोई धन-राशि नहीं रखना किसी तरह भी न्यायसंगत नहीं है। जब कि हमें यह आश्वासन दिया गया था कि जो योजनायें रखी गई थीं, वे पूरी की जायंगी। जो रकम खर्च की जाती है, उसके लिए राजस्थान सरकार के दिमाग में एक चीज़ चली आ रही है और जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने बतलाया भी था कि अजमेर राज्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए जो रुपया खर्च किया जाता है उसके कारण राजस्थान सरकार को करीब १ करोड़ ५० लाख का घाटा होगा। जहां तक फिगर्स का सवाल है, यह बात ठीक हो सकती है, परन्तु इस पिक्चर की दूसरी पृष्ठ भूमि की तरफ भी ध्यान दें तो हमें

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

यह देखने को मिलेगा कि इन्कम-टैक्स और एक्साइज़ की आमदनी में से भारत सरकार अजमेर राज्य को कुछ नहीं देती थी, जब कि भूतपूर्व अजमेर-राज्य से इन्कम टैक्स की आमदनी लगभग २५ लाख की और एक्साइज़ की आमदनी लगभग १२ लाख होती थी। इस वर्ष की ग्रान्ट इन एड की रकम को देखें तो ज्ञात होगा कि ढाई करोड़ की ग्रान्ट अधिक मिली है, इसके अतिरिक्त १ करोड़ २६ लाख इन्कम-टैक्स और एक्साइज़ की आमदनी का शेअर अधिक मिला है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूँ कि वैसे आप अजमेर राज्य की जो आमदनी दिखाई जाती है, उसके कारण उसे घाटे का बजट कह दें लेकिन अगर इन्कम-टैक्स और एक्साइज़ की आमदनी के शेअर को देखेंगे तो ज्ञात होगा कि वहां का घाटे का बजट नहीं रहेगा। बिहार, उड़ीसा और दूसरे प्रान्तों को जो इनकम-टैक्स और एक्साइज़ का शेअर मिलता है, वह काफी अधिक होता है। मेरे पास फिगर्स हैं और मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, सदन को बता देना चाहता हूं कि सन् ५०-५१ में बिहार से २, ६६, ४८, ६७१ कलेक्ट किया गया है इन्कम-टैक्स और एक्साइज का, जब कि उनको ५, ८७, १३,००० शेअर के रूप में मिला है। इसी तरह से मध्य प्रदेश से २, ७०, १७, ८२५ कलेक्ट किया गया है, जब कि उसे २, ८६, ८८,००० दिया गया है। इसी तरह से उड़ीसा के अन्दर जहां ६८, ३४, २७३ कलेक्ट किया गया और उन्हें १, ४०, ६१,००० इन्कम टैक्स और एक्साइज़ का शेअर मिला है। इस तरीके से हम देखते हैं, हर राज्य को कुछ प्रतिशत मिलता है। लेकिन जहां तक अजमेर राज्य का सम्बन्ध है, वहां से २८, ३६,००० वसूल किया जाता था, लेकिन दूसरे राज्यों को जो इन्कम टैक्स और एक्साइज़ का शेअर मिलता है वह अजमेर राज्य को नहीं मिलता था। इस तरह से १६५४-५५ में स्माल सेविंग में जो अजमेर की जनता ने इनवेस्टमेंट किया वह ४३, ६०,००० का इनवेस्टमेंट किया। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हिन्दुस्तान भर में दूसरे प्रान्तों में जो रकम जनता ने इन्वेस्ट की है उससे डबल अजमेर राज्य में की है, उसका शेअर अगर अजमेर राज्य को मिले तो मेरे ख्याल से करीब २२ लाख रुपया आयेगा। तो इन फीगर्स को देखने से मालूम होगा और अजमेर राज्य ने स्कीम्स में अमाउन्ट रखा है, उन स्कीम्स में पे यहां से ज्यादा रखी है, सेन्ट्रल पे कमीशन द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो पे रखी है उसके मुताबिक हमारे राज्य के अन्दर तनख्वाहें दी जाती थीं, यहां से अधिक पे स्केल्स वहां थे, जो वहां टेम्परेरी स्टाफ था उसको यहां से अधिक पे मिलती थी, दुर्भाग्य से अजमेर में कई कारणों से बहुत ज्यादा टेम्परेरी स्टाफ था। गत दो वर्षों में जो टेम्परेरी स्टाफ था उसको राजस्थान की पे स्केल्स दी गई हैं। १५० लाख की घाटे की रकम वित्त मंत्री जी ने बताई उस हिसाब से लगावेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में कमी हो जायेगी। इस लिये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका यह आर्ग्युमेंट कि १५० लाख की रकम का घाटा अजमेर के कारण हुआ यह कोई वजन नहीं रखता। यदि यह कारण नहीं है तो १७५ लाख रुपया, अजमेर राज्य की शिक्षा के लिये जो प्रावधान है, उसमें लगाया जाना चाहिये। ६८ प्रतिशत दूसरी योजनाओं पर खर्च करने में कामयाब हो सके तो कोई कारण नहीं दिखता कि सप्लीमेंटरी बजट से जितना अजमेर के लिये प्रावधान है, वह मंजूर करा कर उस पर खर्च करना चाहिये,

Page No.88

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

और इस तरह अजमेर को जो विश्वास दिलाया गया था, उसको नहीं तोड़ना चाहिये।

४. म० प०

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी की क्लासेज़ को तोड़ दिया गया है। हम चाहते हैं कि स्थान स्थान पर हिन्दी की क्लासेज़ खोली जायं, इंगलिश के लिये जो भाग है वह उसे दिया जाय पर हिन्दी के साथ तो जस्टीफिकेशन किया जाना चाहिये। वहां की के कॉलेज की जो निर्धारित धन राशि है उसे, जो अजमेर को विश्वास दिलाया गया था, उसको कायम रखते हुए, इसके लिये रखना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री भाषण देंगे उस समय जरूर डिक्लेरेशन करेंगे कि जो हिन्दी की क्लासेज़ को तोड़ा है, उन्हें पुन: चालू करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री भैरोंसिंह।

श्रीमती गंगादेवी : मैं दो घंटे से बराबर कोशिश कर रही हूं।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : मैंने नहीं देखा।

श्रीमती गंगादेवी : आप अलग देखेंगे, वह अलग देखेंगे ....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का शिक्षा विभाग यदि चार भागों में बांटा जाय तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक भाग को ले कर, इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। पहला भाग है, पढ़ने वाले छात्रों का, दूसरा भाग है पढ़ाने वाले अध्यापकों का, तीसरा भाग है पढ़ने-पढ़ाने वाली सामग्री का और चौथा भाग है इन तीनों की त्रिभंगी करने वाली सरकार का।

अध्यक्ष महोदय, यदि इन बातों को विस्तार से देखा जाय तो ऐसा लगता है कि कानूनी मायने में या प्रत्यक्ष में हमारे यहां राजस्थान में सरकार अवश्य है, इस विभाग के मन्त्री अवश्य हैं, डॉइरेक्टर हैं, डिप्टी डाइरेक्टर अवश्य हैं, फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था जो इस विभाग में होनी चाहिये उसका स्पष्ट रूप से अभाव है। मैंने सबसे पहले बताया कि जिस तरह संविधान में गारन्टी दी है कि कुछ समय में हम समूचे भारत में नि:शुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, हमारी भारत सरकार इस बात की अपेक्षा करती है कि समूचे भारत में कोई आदमी ऐसा न रहे जो किसी कारण से अनपढ़ रह सके और इसीलिये संविधान में इसकी गारन्टी दी गई है, पर ऐसा लगता है हमारी राजस्थान सरकार इस गारन्टी के प्रति जागरुक नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि जागरुक है, भाषणों में इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है कि जागरुक है, पर प्रत्यक्ष में राजस्थान सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, उन स्टेप्स का अभाव नजर आता है।

सभापति महोदय, आज से एक वर्ष पूर्व राज्य ने जिस प्रकार छात्रों के ऊपर फीस वृद्धि का निर्णय किया उसका समस्त राजस्थान के छात्रों ने विरोध किया और आन्दोलन किया और उस आन्दोलन से राजस्थान सरकार को ऐसा मालूम हुआ कि फीस में कमी की जा कर, उनको राहत प्रदान की जाय। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का इस सम्बन्ध

(श्री भैरोंसिंह)

में अभिवादन करूंगा कि देर से ही सही, मजबूरी के कारण से ही सही पर उन्होंने निर्णय लिया और छात्रों को राहत पहुंचाई; उस समय छात्रों ने आवाज उठाई थी कि समस्त छात्र वर्ग को इस निर्णय से संतोष नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ मुख्य मुख्य बातें कही थीं, उनमें मुख्य बात यह है कि सरकारी स्तर पर चलने वाले इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनमें सरकारी आज्ञा का असर पड़ेगा, वहां पर फीस ली जायगी, उस पर इस आज्ञा का असर पड़ेगा। पर समूचे राजस्थान में एक नहीं हजारों इन्स्टीट्युशन्स हैं, जिनको ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है या जिनको प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स कह सकते हैं, उन इन्स्टीट्यूशन्स में किस प्रकार छात्रों के काम की ऐसी बातें है, छात्रों का एड्मिशन होता है उसमें ऐसी दिक्कतें आती हैं जिनके कारण उनका वहां एड्मिशन नहीं हो सकता। बहुत से छात्र ऐसी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं, पर राजस्थान सरकार का निर्णय ग्रान्ट इन एड प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होता। एक ही प्रान्त में एक छात्रों को दो तरह की फीस देनी पड़ेगी। सरकार द्वारा, सरकार के पैसों से चलने वाली प्राइवेट संस्थाओं में इसका असर नहीं होगा और उनको वही फीस देनी पड़ेगी। सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की फीस पर इस निर्णय का असर होगा।

सभापति महोदय, मैं यहां यह कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार की ओर से कई प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को ग्रान्ट-इन-एड मिलती है। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, पर विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि ८० प्रतिशत से ज्यादा ग्रान्ट इन एड मिलती है, बचता है २० पर्सेन्ट। मैं समझता हूँ इन २० पर्सेंट के अतिरिक्त खर्च को भी बर्दाश्त करके ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स को अपने हाथों में लें तो व्यावस्था की दृष्टि से, पढ़ाई की सामग्री की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से संचालन ठीक हो सकता है और यह फीस का डिस्क्रिमिनेशन भी दूर हो सकता है।

इसके अलावा कई अफवाहें सुनने को मिलती हैं उनकी जांच की जाय, मैंने जांच की है, एक दो इन्स्टीट्युशन्स की ऑडिट रिपोर्ट देखी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय, उनका नाम लेने से नाराज हो जावेंगे और मुझे भय है कि उस नाराजगी का नतीजा अच्छा नहीं होगा, फिर भी जिन इन्स्टीट्युशन्स को ज्यादा तादाद से सहायता दी जाती है, हमारी राजस्थान सरकार को चाहिए कि उनके अकाउन्ट्स को ऑडिट कराये, चेकिंग कराये और ऐसे ऑडीटर भेज कर ऑडिट न कराये कि चार पांच लाख के अकाउन्ट का ऑडिट करके एक पेज में रिपोर्ट दे दें और कह दें कि ऑडिट किया गया और हमें सन्तोष हुआ। हम यह नहीं चाहते कि प्राइवेट इन्स्टीट्युशन्स को सहायता देनी बन्द कर दी जाय, आवश्यकता हो तो प्राइवेट संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड दें पर अकाउन्ट्स के बारे में पूर्ण तसल्ली नहीं हो तब तक इस प्रकार की ग्रान्ट इन एड नहीं दें।

मेरा विश्वास है कि ८० प्रतिशत से ज्यादा ग्रान्ट इन एड देती है तो ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिये कि इनके अकाउन्ट्स सरकारी अकाउन्ट्स के आधार परमेन्टेन किये जायं, उसी स्तर पर ऑडिट हो और जितनी इर्रैग्युलेरिटीज़ पाई जायं उनकी जांच की जाय और सन्तोष हो तो ग्रान्ट इन एड दी जाय नहीं तो ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स पर सरकार अपना अधिकार करे।

(श्री भैरोंसिंह)

अब प्रश्न यह आता है कि इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशनों में टीचर्स का क्या हाल है ? मैंने आपको छात्रों का हाल बताया। बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं; वे अच्छे अच्छे राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा और महानता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं। कुछ स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा, कुछ मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी द्वारा और कुछ भारत सेवा समाज द्वारा चलाये जाते हैं, लेकिन एक ही डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार अलग अलग संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली अनेकों स्कूलें हैं और अध्यापक लोग काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी सरकारी स्कूल और ग्रान्ट इन एड दी जाने वाली प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों के वेतन में आपको बहुत अन्तर मिलेगा। गवर्नमेंट से जो स्कूलें चलती हैं वहां पर अध्यापकों को ज्यादा वेतन मिलेगा और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलाई जानेवाली स्कूलों में मास्टरों को अलग वेतन मिलेगा और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी द्वारा चलाई जाने वाली स्कूलों में अध्यापकों को अलग वेतन मिलेंगे। यदि आप अध्यापकों के वेतन का हाल देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से अलग अलग स्कूलों में एक ही डिस्ट्रिक्ट में अध्यापकों को अलग अलग वेतन मिलता है। यदि एक ही विभाग में, एक ही प्रकार के काम करने वाले अध्यापकों के वेतन में अन्तर रहेगा तो उनके हृदय में, यह निश्चय कहा जा सकता है कि असंतोष की भावना बनी रहेगी। मैंने शिक्षा के संबन्ध में कहा, हमारी सरकार अध्यापकों की मांगें चाहे उनकी मांगें कितनी ही भारी मांगे क्यों न हों यह कह कर टाल देती है कि अल्पवैतनिक कर्मचारी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा पे कमीशन की नियुक्ति हुई है उसी प्रकार हमारी सरकार भी पे कमीशन क्यों नहीं कायम करती जो इनके सारे हालात मालूम करके उचित निर्णय दे ? समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार पे कमीशन की नियुक्ति करने में क्यों हिचकिचाती है, क्यों नहीं पे कमीशन नियुक्त करती ? भारत सरकार ने भी किया है। इसी प्रकार हमारी राजस्थान सरकार भी पे कमीशन की नियुक्ति करके सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकती है कि उनके खर्च कितने हैं, और प्रकार के धन्धे वे लोग करते हैं उससे उनके खर्चे पूरे बैठते हैं या नहीं। मगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हमारी राज्य सरकार जब कभी इस प्रकार का प्रश्न आता तो यही कहती है कि पंजाब, मध्यप्रदेश और और किसी दूसरे प्रान्त में जहां अध्यापकों की तनख्वाह कम है, उसका उदाहरण देकर कहती है कि पंजाब और मध्यप्रदेश से हमारे अध्यापकों की तनख्वाह ज्यादा है। यह भी कहेगी कि शिक्षा का प्रसार भी हमारे यहां ज्यादा है। मगर पंजाब, मध्यप्रान्त और बंगाल आदि में और भी दूसरे भारत के प्रान्त हैं उनमें पर-केपिटा इन्कम कितनी है, उसका हिसाब नहीं लगाती और हमारे यहां पर पर-केपीटा इन्कम कितनी है; केवल आंकडे बताये जाते हैं। माननीय चेअरमेन, मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि उनको चाहिये कि कम से कम से कम राजकीय अधिकारियों की इस प्रकार की एक कमेटी नियुक्त करें जो उनकी सारी इन्कम को देखे कि राजस्थान में पर-केपिटा कितना खर्चा पड़ा और उसके अनुसार जो हम उनको वेतन देते हैं, वह पर्याप्त है या नहीं।

अभी अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उन लोगों में काफी असंतोष है। शिक्षक हमारे समाज के मार्ग दर्शक हैं, हमारे नव-

(श्री भैरोंसिंह)

युवक समाज, जो हमारे देश की विचार शील पीढ़ी बनने वाले हैं, उनके मार्ग दर्शक हैं, अगर उनके हृदय में किसी प्रकार का असंतोष है तो मैं कहूंगा कि यह हमारे लिये अच्छी बात नहीं है। कहा यह जाता है कि शिक्षा विभाग में अपना समय निकालने के लिये नौकरी लेते हैं और जब उनको किसी दूसरे विभाग में नौकरी नहीं मिलती तो वे शिक्षा विभाग में आकर नौकरी करते हैं। यदि ऐसा है तो मैं समझता हूं कि यह शिक्षा का दुर्भाग्य है और मैं समझता हूं कि यह शिक्षा का ही नहीं, बल्कि सारे देश का दुर्भाग्य है। जब अध्यापकों को किसी दूसरे विभाग में नौकरी नहीं मिलती तब वे शिक्षा विभाग में जाते हैं और वे बैठे बैठे पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवर्टाइज़मेंट देखते रहते हैं कि उनकी अमुक विभाग में किस प्रकार से नियुक्ति हो सकती है। यह अध्यापकों की जो मनोवृति है उसको समाप्त करने का एक ही रास्ता और तरीका है कि उनकी जरूरतों को पूरा किया जावे और इसके लिये हमारी राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिये।

छात्रों को जो सामग्री पढ़ने के लिये हम देते हैं, उन पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि उन चीजों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री की ओर से बार-बार इस सदन में कहा गया है और मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने स्पष्ट शब्दों में नहीं बल्कि अस्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद पुस्तकें शिक्षकों को समय पर नहीं दी गईं। इसके लिये उन्होंने जो कारण बताये, वे इस प्रकार के हैं जिन पर सन्देह किया जा सकता है। आप फरमाते हैं कि हमने इतनी स्कूलें खोल दीं। आपने स्कूलें खोल दीं हम मानते हैं और वहां पर छात्र भी चले गये और अध्यापक भी चले गये, लेकिन वहां मास्टरों के पास पढ़ाने को कुछ नहीं, न छात्रों के पास पढ़ने को पुस्तकें। नतीजा क्या होता है कि शिक्षक भी बैठे रहते हैं और छात्र भी बैठे हैं। क्योंकि उनके पास पढ़ाने की सामग्री नहीं है। मैं नहीं कहता कि यह शर्म की चीज़ है और वह इसलिये नहीं कहता कि इस प्रकार की शर्म बरदाश्त करते हुए उनको बहुत समय हो गया और इन छोटी-मोटी बातों का कोई असर नहीं होता। मैं कहता हूं कि जब पुस्तकें ही प्राप्त नहीं होती हैं तो शिक्षक और छात्र बैठे रहेंगे। पुस्तकें समय पर नहीं मिलने का कारण यह दिया जाता है कि मौसम की खराबी हो गई। मैंने वह एग्रीमेंट देखा है। उस एग्रीमेंट के क्लॉज़ ३ में यह व्यवस्था की गई है, कागज़ एवेलेबल कर दिये जावेंगे, उसके १५ दिन में किताबें तैयार हो जाएंगी और दो माह में डिस्ट्रिब्यूटरों के पास तक पहुंच जावेंगी। अब यह कहा जाता है कि मौसम खराब हो गई थी। केवल मौसम की खराबी, मैं यह कहता हूं कि किसने इस बात की जांच की कि वास्तव में मौसम खराब था और उस वजह से पुस्तकें नहीं छप सकीं। राजस्थान में बैठे २ यह जांच नहीं हो सकती। जिस जगह प्रेस था वहां पर कौन जांच करने के लिये गया ? इसके अलावा राज्य सरकार कागज नहीं दे सकी। कौन व्यक्ति है इसके लिये जिम्मेदार जिस व्यक्ति को इसके लिये काम सौंपा गया था और उसने समय पर प्रेसों को कागज़ नहीं एवेलेबल किये। मैं इस बात को भी दोहराना नहीं चाहता कि दूसरे प्रेसों को यह कार्य दिया गया और राजस्थान के प्रेसों को यह कार्य नहीं दे कर कितनी ज्यादती की। मैं नहीं कहना चाहता कि वे प्रेस इतना बढ़िया काम करके दिखाते। यह हो सकता है कि हमने

(श्री भैरोंसिंह)

विलायत से कागज़ बढ़िया मंगा कर दिये, यह हो सकता था कि बढ़िया कागज़ राजस्थान के प्रेसों को देते और वे लोग भी इसको छापते। मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने बढ़िया कागज मंगाया और बढ़िया छपाई कराई। मगर जितना बढ़िया कागज़ और छपाई है, उतनी ही पुस्तकों की कीमत भी बढ़ी है। आज पब्लिक सेक्टर में लोग क्या चाहते हैं? वे यह चाहते हैं कि किताबें मजबूत हों, ज्यादा समय तक टिकाऊ हों, चलने वाली हों और पैसा कम लगे।

हमारी किताबें साफ-सुथरी हैं, मगर हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि इस प्रकार की महंगी पुस्तकों की खरीदने की क्षमता छात्रों में है या नहीं। मैं समझता हूं कि यह पुस्तकें सुन्दर अक्षरों में और सुन्दर तस्वीरों से बनी हुई हैं, लेकिन इसमें राजस्थान की गरीब जनता की आर्थिक स्थिति का अवलोकन नहीं है। पुस्तकें बनें मगर ऐसी नहीं कि जिस पर ज्यादा पैसा लगे और लोग उसको खरीद न सकें। राज्य सरकार की तरफ से यह स्पष्ट बात नहीं आई कि किताबें कब तक उपलब्ध हो सकेंगी। जिस तरह अभी चन्दनमलजी वेद ने बताया कि पुस्तकें जयपुर में लड़कों को नहीं मिल रही है। मैंने पुस्तक विक्रेताओं से पूछा और लिखा कर लिया है और उन्होंने कहा है कि पुस्तकें नहीं मिल रही हैं। मैं यह कहूंगा कि यदि स्वयं चीफ मिनिस्टर भी एक दफे पुस्तकें लेने के लिये बाहर निकल जावें तो उनके पर्सनल प्रभाव से पुस्तकें उनको मिल जावें तो कोई कह नहीं सकता लेकिन ब्लेक मार्केट में पुस्तकें मिल सकती हैं, वरना ये किताबें किसी भी तरह से नहीं मिल सकती हैं। एग्ज़ामिनेशन के दिन हैं, लड़के लोग किसी तरह से काम चलाते हैं, मगर राज्य सरकार पर कोई असर नहीं है। नतीजा क्या होता है कि कुछ जाली पुस्तकें निकलती हैं। अलवर में इस प्रकार की जाली पुस्तकों को शिक्षा विभाग ने गिरफ्तार किया है और अलवर के छात्रों ने ही उनको गिरफ्तार कराया है। उन्होंने नोट्स बनाये हैं; की-नोट सारी राष्ट्रीकरण की पुस्तकों के मिलते हैं। लेकिन असल किताबें नहीं मिलतीं। मैं समझता हूं कि यह भी एक प्रकार की जालसाजी है। हम बाज़ार में जाते हैं तो हमको असली पुस्तकें मिलती नहीं। मैं मानता हूं कि यदि राजस्थान सरकार कम से कम यहां के प्रेसों को सामग्री जुटाती तो ये सारे राजस्थान में पुस्तकों को वितरण करते और अभी तक पूरा इन्तजाम हो जाता, लेकिन अभी तक सारी व्यवस्था नहीं हो सकी है। चेअरमेन, अन्त में मैं एक चीज और कहूंगा कि इस विभाग के बाहर कई दफा ऐसे प्रसंग आये हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार पर कई आक्षेप लगाये गये कि खरीद फरोख्त में कई प्रकार के और काफी घोटाले हुए हैं। वैसे तो शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, जहां एक न एक घोटाले रहते ही हैं। पहले टेक्स्ट बुक को लेकर ४ वर्ष तक सदन में चर्चा चलती रही, उसके बाद में कुछ पुस्तकों की बात को लेकर चर्चा हुई। पिछले वर्ष अधिकांश शिक्षा विभाग की खरीद फरोख्त की कई बातों पर कहा और मैं सरकार से आशा करता था कि इस संबन्ध में जांच की जायगी। टेन्डर के मामलों में वर्तमान शिक्षा संचालक महोदय ने जांच करने के लिये कहा था लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। आज से एक साल पहले जिन चीजों के खरीद फरोख्त की जावें और उसकी जांच आज तक कम्पलीट नहीं हो तो मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार का जितना भी खर्च होता है

(श्री भैरोंसिंह)

उसको ठीक करने के लिये उतनी सजग नहीं है जितनी कि अपेक्षा की जानी चाहिये।

किसी भी सरकार के समक्ष यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता का प्रश्न आता है तो उस सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उन अनियमितताओं को दूर करने की व्यवस्था करे, जिस व्यवस्था को लेकर हर व्यक्ति में इस प्रकार का संतोष हो जाय कि जितना खरीद फरोख्त की है, उनमें अनियमिता नहीं है।

(घंटी)

सभापति महोदय, साइन्स के सम्बन्ध में जो चीजें खरीदी गई हैं उनके सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूँगा। शिक्षा विभाग के संचालक ने ८ मार्च (बाद में स्पष्टीकरण के अनुसार "८ अक्टूबर") को टेन्डर्स इन्वाइट किये, जब टेन्डर्स इन्वाइट किये गये तो लोगों ने टेन्डर्स दिये और जब टेन्डर्स दे दिये गये और टेन्डर्स खोले गये तो जिन लोगों ने टेन्डर्स दिये थे, उनके टेन्डर्स सरकार के अधिकारियों के समक्ष थे। उम्मीद यह थी कि जब टेन्डर्स खोले जावेंगे, तो जिनके सबसे कम कीमत के टेन्डर्स होंगे उन्हीं के टेन्डर्स मंजूर किये जावेंगे। लेकिन सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सबसे कम कीमत में चीजें उपलब्ध करने वाले टेन्डर्स दिये गये थे उनको स्वीकार नहीं किया गया। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि एक जनरल साइन्टीफिक कम्पनी, जयपुर ने टेन्डर दिया और एक ओरियन्टल साइन्टिफिक अपरेटस वर्क्स, अम्बाला है, इस फर्म ने भी टेन्डर दिया था। एक एक की समूची लिस्ट मेरे पास है, उसको देखने से पता चलता है कि कहीं ८) रुपये का फर्क है, कहीं ४०) रुपयों का फर्क है, कहीं ५५) का फर्क है, कहीं ज्यादा फर्क है। मैं आपको कुछ चीजों के नाम बता कर बताना चाहूंगा कि कितना कितना फर्क है। ओप्टिकल बेंच ७५) में दे रहे है, विसलिंग टेबल २९) में स्वीकार किया है, बैरोमीटर १६०) का होता है, टेन्डर १६०) का है, लेकिन उसको राज्य सरकार ने स्वीकार न करके २५०) का जिसने टेन्डर दिया है, उसको स्वीकार किया है। इस तरह आप देखेंगे कि कहीं किसी चीज़ में १५) का फर्क है, कहीं किसी चीज़ में २५) का फर्क है और कहीं ५०) की जगह ९०) देकर टेन्डर मंजूर किया है, इस प्रकार से साइन्टिफिक एपरेट्स खरीदने में हजारों रुपयों का ज्यादा खर्चा किया है। जो कम कीमत में टेन्डर देकर चीजें दे रहे थे, उनसे राज्य सरकार ने न खरीद कर उन लोगों से खरीदा है जो कि अधिक कीमत के टेन्डर देने वाले थे। इसके लिए, सभापति महोदय, कहा क्या गया? कहा यह गया है कि टेन्डर के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं जमा करायी। मैं मान सकता हूं कि यह टेक्निकल डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने अर्नेस्ट मनी दुबारा जमा नहीं कराई, उसने कहा था कि अर्नेस्ट मनी एक का जमा कर दिया है और दूसरे का इसलिए नहीं कराया है कि यदि राज्य सरकार को किसी प्रकार की शंका है, शुबा है तो जो पहली सिक्योरिटी का रुपया पड़ा है उसको इस काम में लाया जाय। लेकिन इस पर यह कहा गया कि चूंकि टेन्डर में टेक्निकल इर्रेगुलेरिटी है, इसलिए किसी ऐसी फर्म को मंजूर नहीं करते। मैं मानता हूं कि टेक्निकल डिफिकल्टी को रिमूव करके टेन्डर मंजूर करने चाहिए। लेकिन जहां सार्वजनिक धन की बचत का प्रश्न है, जहां सार्वजनिक धन की सुरक्षा का प्रश्न है, अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी भी आ जाती है,

(श्री भैरोंसिंह)

जिसको रिमूव कर सकते हैं और उसको रिमूव करने के कारण राज्य सरकार को हजारों रुपयों की बचत हो सकती है, तो बचत करनी चाहिए और टेक्निकल इर्रेगुलेरिटी को ठीक करना चाहिए। वह नहीं हुआ।

पिछले दिनों बीकानेर में एक गाड़ी खरीदी गई थी और बीकानेर से गाड़ी खरीदने के बाद उसकी बोडी बनाने के लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये। एक फर्म का टेन्डर मंजूर कर दिया गया और टेन्डर मंजूर होकर सचिव महोदय के पास आता है। सचिव महोदय को जिस व्यक्ति ने टेन्डर दिया, जिस टेन्डर को स्वीकार किया गया, वह जिसकी सिफारिश राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को की गई और कागजात भेजे गये, उसकी बिना जानकारी किये शिक्षा उप सचिव ने ३२५ अधिक का टेन्डर मंजूर कर लिया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनिट और लूंगा।

लेकिन राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ३२४ का मामला है। सभापति महोदय, मैंने उदाहरण इसलिए रखे कि चाहे ३२४ का मामला हो, चाहे छोटी-छोटी रकम का सवाल हो, कमेटी ने जो सिफारिश की उसको नहीं माना गया और यदि माना जाता और सबसे कम कीमत वाले टेन्डरों के हिसाब से खरीद होती तो इससे जनता के हजारों रुपयों की बचत हो सकती थी, जिनकी कि राज्य सरकार ने बचत नहीं की, केवल यह कह कर कि टेक्निकल डिफिकल्टी है और दो चीजों में सिक्योरिटी जमा नहीं हुई है, केवल एक ही में हुई है, इसलिए टेन्डर सबसे कम कीमत में होते हुए भी मंजूर नहीं कर सकते।

प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के अधिकारी यह समझते हैं कि चाहे खरीद फरोख्त में घोटाला हो, चाहे किसी चीज में हो, कोई जांच करने वाला नहीं है। चाहे सदन में उन बातों को रखा जाय उनकी जांच नहीं होती। सदन में अजमेर के डाइरेक्टर सयाल के खिलाफ बातें रखी गईं लेकिन उनकी जांच नहीं हुई, शिक्षा विभाग में खरीद फरोख्त हुई उसकी जांच नहीं हुई। इससे ऐसा मानने लग गये हैं कि किसी प्रकार की कोई बात करें उसकी जांच कभी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्रालय में जो स्कैन्डल हुए हैं, शिक्षा मन्त्री नाराज होते है, उसका उल्लेख करने के कारण, लेकिन उसका उल्लेख करना ही पड़ता है, चाहे वह स्कैन्डल छोटी २ चीजों के खरीद फरोख्त में हों, चाहे वह नेश्नेलाइज़ेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स के मामले में हों, चाहे गाड़ी के मामले में हो, इन छोटे मोटे मामलों को लेकर उन स्कैन्डलों की एक माला बन गई है जो सदन में विभूषित नहीं हो सकती किन्तु शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मन्त्री महोदय के गले में जो यह स्केन्डलों की माला पड़ी हुई है उसको वे दूर करने की चेष्टा नहीं करते। उनको चाहिए कि इन इल्जामों की, अभयोगों की जो माला उनके गले में पड़ी हुई है या तो उनको वे झूठा साबित करें या सच्चा साबित करें, जनता के सामने यह कहें और दिखायें कि ये इल्जाम और अभियोग लगाये गये हैं, वे झूठे हैं या सच्चे हैं। लेकिन उनकी जांच नहीं होती।

इन शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि प्राइवेट संस्थाओं को जो ग्रान्ट इन एड मिलती है उनके हिसाबात की पूरी तरह से जांच कराई जाय, जिन अध्यापकों के तनख्वाहों के एरीयर्स पड़े हुए हैं, जिनका फिक्सेशन नहीं हुआ है, यदि

(श्री भैरोंसिंह)

फिक्सेशन सरकार नहीं कर सकती है, सामान्य प्रशासनिक कारणों के कारण फिक्सेशन नहीं कर सकती है तो किसी अधिकारी की नियुक्ति करवा कर इन मामलों को निपटाये और उनकी तनख्वाहों में वृद्धि करें।

मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी के अन्तर्गत छोटी-छोटी संस्थायें चलती हैं, उनके लिए सामान्य नियम बनाने पड़ेंगे और इनके द्वारा उनको रायत देनी पड़ेगी।

। आज तक खरीद फरोख्त के मामलों को लेकर, गाड़ी की खरीद के मामलों को लेकर एपरेटस की खरीद के मामलों को लेकर और भी कई मामलों में जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं और उन बातों को लेकर जो कटौती प्रस्ताव मैंने सदन में रखे अब मैं, सदन में उनको विचारार्थ रखता हूं।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव अलवर में एम. ए. क्लासेज़ और साइन्स क्लासेज़ के बारे में है। मैं पिछले इतिहास पर भी थोड़ी सी आपकी नज़र डलवा दूं। जिस समय छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय चार रियासतें अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करोली, को मिला कर मत्स्य राज के नाम से एक स्टेट बनी थी। उस छोटे से अर्से में डिग्री कॉलेज में लॉ क्लासेज़ और एम. ए. क्लासेज़ शुरू की गई और वे चलीं। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात् या कुछ महीनों के पश्चात् जब मत्स्य राजस्थान में विलीन हुआ, वे क्लासेज़ खत्म करदी गईं। मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार की जो नीति है, वह उस नीति के साथ है या उन चीजों के साथ मेल खाती है या कहां तक नहीं खाती? जहां वे चीजें चलती थीं वे चीजें राजस्थान बनने के बाद खत्म हो जांय तो यह बात कहां तक मेल खाती है? एक तरफ दूसरे जिले हैं, जहां बड़े-बड़े कॉलेजेज़ खोले जा रहे हैं, कहीं मेडीकल कॉलेज और कहीं किसी तरह का कॉलेज। लेकिन जहां क्लासेज़ चलती थीं उनको भी क्यों बन्द कर दिया गया, यह बात समझ में नहीं बैठती है। एक तरफ तो यह बात है और दूसरी तरफ लड़कियों का हाई स्कूल चल रहा है उस विषय में भी अर्ज कर देना चाहती हूं। इस समय जो डिग्री कॉलेज चल रहा है, उसमें लगभग ६० लड़कियां पढ़ती हैं। इस प्रकार की प्रगति को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। करीब सात साल के अन्दर ही इस प्रकार की प्रगति हुई है, जब कि सात साल पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस छः साल के अर्से के बीच में इतनी तादाद में लड़कियों के पढ़ने की क्या वजह है? क्या इस प्रगति को देखते हुए वहां डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिये खोल नहीं जा सकता? मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश कर दूं। एक तरफ तो हमारी बालिकायें जब हाई स्कूल का इम्तहान पास करके निकलती हैं तो उनके मां-बाप के सामने यह सवाल पैदा होता है कि आया अपनी लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ने के लिये भरती करायें या नहीं। बहुत से मां-बाप तो इस विचार से कि लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिये, इससे वे अपनी बालिकाओं को आगे नहीं पढ़ा पाते और कुछ बहनें लड़कों के कालेज में भी दाखिल हो जाती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बहनें पढ़ाई से वंचित

(श्रीमती गंगादेवी)

रह जाती हैं उन विद्यार्थी बहनों के लिये आप क्या सोचते हैं ? मेरा तो ख्याल है कि वहां पर लड़कियों के कॉलेज के लिये बिल्डिंग का सवाल नहीं है, वह तो वहां मौजूद ही है। इसलिये सभापति महोदय, जहां हम समानाधिकार की बातें करते हैं, वहां हमें लड़कियों को भी आगे पढ़ाई के लिए सुविधा देनी पड़ेगी।

इसके अलावा एक बात और अर्ज दूं; हमारे जिले ६ लाख की आबादी है और जिसमें करीब १७ हाई स्कूल्स हैं, इन सबको देखते हुए वहां की जो उपस्थिति है, वह राजस्थान में आप पहले नंबर पायेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए एम० ए० के विद्यार्थी जयपुर आते हैं, इसके लिये उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है। बहुत से लड़के तो आ सकते हैं, किन्तु जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, जो इस बोझ को उठा नहीं सकते, वे गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। एक तरफ तो हम समानाधिकार की बातें करते हैं और दूसरी तरफ समानाधिकार देते नहीं, तो यह बात ठीक नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि जितनी भी रियासतें राजस्थान में विलीन हुई हैं उन सबके साथ समदृष्टि बरती जायगी। लेकिन जो नीति हमारे डिस्ट्रिक्ट में बरती जा रही है, वह कहां तक मेल खाती है, यह सोचने की बात है। मेरा सभापति महोदय, आपके मार्फत मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जो बात हम बराबर छः साल से निवेदन करते आ रहे हैं उस ओर ध्यान न देकर उनका मूक रवैया रहा है। अब मैं उम्मीद करती हूं कि जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है, उस पर तवज्जह दी जायेगी और उसका जवाब देते हुए स्पष्टीकरण भी किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने भाषण में टेन्डर्स की जो बात कही थी, उसमें ऐसा ख्याल है ८ मार्च की तारीख का उल्लेख किया था, वह गलत था, उस ८ मार्च की जगह ८ अक्टूबर, १९५७ को टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे, यह दुरुस्ती कर दी जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या १५ के विषय में जो कटौती के प्रस्ताव, संख्या १२४ से १२८ तक, उनको, औपचारिक रूपसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कटौती प्रस्ताव संख्या १२४ के विषय में मुझे कुछ कहना है........

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मूव किया हुआ मान लिया गया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : (जारी रखते हुए) सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव संख्या १२४ में मैंने राष्ट्रीयकरण के विषय में, कुछ कहने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। जहां तक पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण करने का सवाल है, उससे मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं। जिस सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य सामने रखा है उस सरकार के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति हर क्षेत्र में अपनाना, हर विभाग के लिए अपनाना, इसमें दो राय की गुंजाइश नहीं है। लेकिन, सभापति महोदय, मेरा यह विचार है कि राष्ट्रीयकरण केवल राष्ट्रीयकरण के खातिर अपनाना न समझदारी है और न दूरदर्शिता ही है। जब राजस्थान सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया तो उन्हें यह देखना जरूरी था कि राष्ट्रीयकरण की जाने वाली

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

पुस्तकों को, हम क्या पहले जो पुस्तकें देते थे, उससे सस्ती मिल सकेंगी या नहीं, उसकी छपाई-लिखाई का स्तर पहले वाली किताबों से ऊंचा होगा या नहीं, इसके अलावा पाठ्य पुस्तकें हम विद्यार्थियों को आसानी से सुलभ कर सकेंगे या नहीं, इन सब बातों को पहले देखना था। अगर राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण करने से पहले, इन सब बातों पर विचार कर लेती और उसके बाद इस प्रकार का कदम उठाती तो वह बधाई की पात्र होती, लेकिन केवल जैसा कि अक्सर होता है, हम कुछ नारों के पीछे दौड़ते हैं, कुछ वर्ड्स या स्लोगन्स को लेकर चलते हैं और कुछ तो इस जमाने का भी प्रश्न बन गया है, इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाना और उस पर अमल करना आज-कल प्रगतिशीलता माना जाता है या समझा जाता है; मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण की जो नीति सरकार ने अपनायी है उसके कारण आज राजस्थान में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक जबरदस्त दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी क्लासों की किताबें तक मार्केट में नहीं आयी हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को इस राष्ट्रीयकरण की वजह से क्या दिक्कतें आयी हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : (जारी रखते हुए) मैं यह बतलाने जा रहा हूं कि जो पुस्तकें राष्ट्रीयकरण की नीति से प्रभावित हुई हैं, उन कक्षाओं की पुस्तकें बाजार में पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं, इसके अतिरिक्त सारे सेशन में कई विद्यार्थी बिना पुस्तकों के और कुछ विद्यार्थी कम पुस्तकों के काम चला रहे हैं। इस बारे में मैं अर्ज करूंगा कि आज विद्यार्थियों के पास किताबें नहीं हैं, उनके पास परीक्षा की सारी सामग्री नहीं है, तो ऐसी हालत में पूरी सामग्री के अभाव में, चाहे कितना ही बुद्धिमान विद्यार्थी क्यों न हो, वह, पास नहीं हो सकता। साल के अन्त में परीक्षा का नतीजा उसकी आशा के विपरीत होगा, इसके लिये हम विद्यार्थियों को दोष नहीं दे सकते। यह दोष तो राज्य सरकार द्वारा अपनायी गई राष्ट्रीयकरण नीति का है और इसकी दोषी राज्य सरकार है, यह उनकी जिम्मेवारी थी कि वे पहले सारे डिटेल्स वर्क आउट कर लेते, राजस्थान में कितनी स्कूलें हैं, कितने विद्यार्थी हैं और उनमें किस किस कक्षा के लिये कितनी कितनी किताबों की जरूरत पड़ेगी, जितनी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या उतनी देना संभव भी है या नहीं ? इतना काम यदि प्राइवेट प्रेसेज़ से होना संभव नहीं होगा तो गवर्नमेन्ट प्रेस को एक्सपान्ड करना चाहिये, उसमें सारी छपाई की व्यवस्था करनी चाहिये। आम तौर पर तजुर्बा यह है कि किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण किया जाय या किसी चीज को सरकारी नियन्त्रण में ले लिया जाय, वह चीज आमतौर से बाजार से लुप्त हो जाती है। पिछले जमाने का अनुभव है कि जब अनाज का कन्ट्रोल हो गया था तो वे आर्टिकलस बाज़ार से लुप्त हो गये थे, उनका मिलना मुश्किल हो गया था। यह हमें समझ लेना चाहिये कि जब हम राष्ट्रीयकरण किसी चीज़ का करने जा रहे हैं, उन चीज़ों को आम लोगों को खरीदने-बेचने का अधिकार नहीं रहने देना चाहिये, इससे होता क्या है कि वे ब्लेक मार्केट करने लग जाते हैं, वे चीजें रीज़नेबल प्राइस पर कभी मिलेंगी

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

नहीं। उसके लिये वितरण एजेन्सी हमें कायम करनी चाहिये। जितनी भी स्कूलें हैं उनके जो प्रधानाध्यापक हैं, उन सब को किताबें भेज दी जातीं या हर एक स्कूल के ज़रिये किताबों का वितरण होता या जिलेवार वितरण होता तो बहुत उचित रहता, इसके लिये डिस्ट्रीब्युशन एजेन्सी भी सरकार तय नहीं कर पायी। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि पाठ्य पुस्तकों में इस प्रकार की अशुद्धियां हैं और छपाई भी निम्न श्रेणी की है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सी स्कूलों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंच भी नहीं पायी हैं; मैं नहीं समझता वहां के विद्यार्थियों के इम्तहान किस प्रकार होंगे? इस संबन्ध में मैं शिक्षा मंत्री महोदय से, जो इस राज्य के मुख्य मंत्री भी हैं, उन पर इस शिक्षा विभाग की सारी जिम्मेवारी है, उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम चालू साल के लिये इस प्रकार के आदेश जारी करें कि जिन जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के पास पुस्तकें नहीं पहुँच पायी हैं, उन सब राजस्थान की स्कूलों के विद्यार्थियों को जनरल प्रोमोशन दिया जाना चाहिये। अगर हम इस प्रकार के प्रोमोशन नहीं देते हैं तो स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो जायगा और अकारण ही बिचारे गरीब विद्यार्थियों को बिना उनकी किसी गलती के, सुस्ती के, सजावार होना पड़ेगा और बहुत से विद्यार्थियों की जिन्दगी का एक कीमती वर्ष खराब हो जायेगा। गरीब आदमी निरुत्साहित होकर अपने बच्चों को पढ़ने से बन्द भी कर सकते हैं। इसलिये इसमें विद्यार्थियों को जनरल रेमिशन मिलना चाहिये। कई किताबें अक्टूबर में पहुंची हैं, कई दिसम्बर में और कई तो जनवरी और फरवरी में पहुंची हैं, इसलिये बराये महरबानी, राज्य सरकार अपना कर्त्तव्य समझ कर, इस तरह की रेमिशन का आम आदेश जारी करे या ऐसा करे कि किताबें नहीं समय पर पहुंचने से जो पढ़ाई का स्टेन्डर्ड लोअर डाउन किया गया उसके लिये १० या पन्द्रह नम्बर जनरल रेमिशन के तौर पर दे दिये जावें। इस तरह उनको रियायत देना जरूरी है अगर उनकी जिन्दगी बिना वजह खराब नहीं करनी है तो।

फिर मैं यह भी कहूं कि हमने किताबों के बारे में एक लापरवाही यह भी बरती कि हमने सारी डिटेल वर्क आउट समय पर नहीं की कि कितनी किताबें चाहिये, कितने समय में हम इसे पूरा कर पावेंगे, सब स्थानों पर सेशन से पहले ये पहुंच जावें और इतनी मात्रा में छपें कि इनका ब्लेक मार्केट नहीं हो सके। इस लापरवाही के कारण राष्ट्रीयकरण की जो सरकार की उचित भावना थी, उसके प्रति भी जनता में सरकार की साख पर असर पड़ा है। इसके द्वारा राष्ट्रीयकरण का बहुत भद्दा नमूना हमने जनता के सामने पेश किया है। इससे जनता यह समझेगी कि राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नाकाबिल, बद इन्तजामी, जन साधारण को दिक्कतें और परेशानी। तो इस प्रकार अलोकप्रिय नहीं बनना चाहिये। इस प्रकरण को लेकर लोग आज इस सरकार पर हंसने लग गये हैं, मजाक करने लग गये हैं; इस सरकार के लिये यह एक हास्यास्पद बात बनकर रह गई है। राष्ट्रीयकरण का हमारा पहला नमूना इतना गलत और बहुत खराब आया है, जिससे कि राष्ट्रीयकरण की नीति पर लोगों का विश्वास उठ रहा है।

इसके बाद राजस्थान सरकार ने फीस बढ़ाने की नीति अपनाई। इसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि अव्वल तो हमारा यह राज्य दूसरे राज्यों के मुकाबले में गरीब है और पर-कैपिटा इन्कम यहां की हिन्दुस्तान के

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

अन्य दूसरे सूबों से कम है और शिक्षा की दृष्टि से भी राजस्थान अभी पिछड़ा प्रान्त है और फिर जब हम पिछड़े लोगों को शिक्षित करने एवं उनमें शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, काफी प्रयत्न करते हैं और सारे प्रयत्नों के बावजूद भी हमारे प्रान्त में लिटरेसी का पर्सेन्टेज़ लो ही है, ऐसी स्थिति में फीस बढ़ाकर इस थोड़ी बहुत प्रगति को भी रोकना बड़ा भारी धक्का पहुंचाना है हमारी प्रगति में एक तरह से। यह फीस तो एक प्रकार से इस प्रगति में ब्रेक लगाने के समान है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रारम्भ में यह ऐलान किया था कि फीस वृद्धि की नीति पर उसने पूर्णतया विचार कर लिया है, हर दृष्टि और पहलू से और इस पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता भी सरकार नहीं समझती है, इसलिये हम इस पर अटल रहेंगे, वापिस नहीं लेंगे। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार न केवल अपनी इस नीति से पीछे ही हटी, पर उसे एक प्रकार से लॉस ऑफ प्रेस्टीज भी सफर करना पड़ा और सारी जनता में शासन को अलोकप्रिय बनना पड़ा और जगह-जगह ऐसे कारड हुए कि खादी के कपड़े पहने लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। हर प्रकार का प्रदर्शन हुआ, लाठी चार्ज, फायरिंग और लूट-खसोट हुआ। सरकार के प्रति आम जनता में और खास कर विद्यार्थी वर्ग में एक प्रकार की विरोधी भावना उत्पन्न हुई, आन्दोलन चला हर एक स्कूल और कॉलेज में। इसका यह भी एक नतीजा हुआ कि विद्यार्थी जगत का अनुशासन भी भंग हुआ। तो यह सब हमारी इस गलत नीति के कारण और उस पर इतने दिनों तक अड़े रहने के कारण हुआ; रुपया भी बरबाद करना पड़ा; पुलिस फोर्स को बढ़ाना पड़ा, सारे राजस्थान भर में आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी की यूनिटें मांगनी पड़ीं। तो यह कोई बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की बात नहीं थी। हमें आगे अब कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिये।

इसके बाद में एक स्थानीय समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बांदीकुई एक अच्छा कस्बा है। वहां हाई स्कूल अर्से से चल रहा है। वहां से थोड़ी दूर एक कस्बे बसवा में भी हाई स्कूल है। आम शिकायतें तो कई हैं, पर खास शिकायत यह है कि पिछले साल भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि जिससे वहां की सैंक्शन्ड स्टाफ की पूर्ति हो। किसी का ट्रान्सफर कर दिया जाता है पर दूसरा आदमी भेजने की व्यवस्था नहीं होती। आज भी तीन-चार टीचर्स बांदीकुई में नहीं हैं। इन्सपेक्टर साहब के दफ्तर में उनको डेपुटेशन पर लगा रक्खा है। इसी प्रकार बसवा का हाल है। ग्रेजुएट ट्रेन्ड टीचर्स की स्ट्रेन्थ पूरी नहीं है। उच्चाधिकारियों का ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि आवश्यक आदेश जारी करेंगे। पर इसके बाद भी कमी पूरी नहीं हो पाई। इसका नतीजा यह होता है कि लड़कों की पढ़ाई नहीं होती। उन्हें ट्युशन की शरण लेनी पड़ती है। दस पन्द्रह रुपया महीना, अपनी बर्दाश्त से बाहर होने पर भी, ट्यूशन का उनको खर्च करना पड़ता है। फिर यह ट्यूशन का मर्ज भ्रष्टाचार की तरफ ले जाने वाला मर्ज है। जो मास्टर ट्यूशन का आदी हो जाता है, वह ज्यादा नम्बर बढ़ाकर या पेपर आउट करवा कर जिन विद्यार्थियों का ट्युशन करता है, उनको पास कराने की कोशिश करता है। इस प्रकार इससे एक प्रकार

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

की अनैतिकता का वातावरण बनता है, शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है। जो आशा लगाये बैठे हैं स्कूलों-कॉलेजों से, वह पूरी नहीं होती। अच्छे सुयोग्य और सुशिक्षित छात्र नहीं निकलते।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

One mintue, Sir. इसके अलावा बांदीकुई हाई स्कूल से बराबर मांग आ रही है कि वहां कॉमर्स और साइन्स की क्लासें भी खोली जावें। इसके लिए बिल्डिंग की कमी बताई जाती थी पर स्थानीय जनता ने वह कमी भी पूरी कर दी है।

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : है।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): खैर, आप कह लीजिये। ध्यान दिलाने में ही एक मिनिट निकल जावेगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : तो वह स्थान की कमी अब नहीं रही। इसलिए यदि उस हाई स्कूल को पूर्ण विकसित रूप में पहुँचाना है तो वहां साइन्स क्लासें भी खुलनी चाहिये।

इसके साथ ही दूसरी बात मैं और निवेदन करूं कि बांदीकुई एक मन्डी है, व्यापारी वहां अधिक हैं। इसलिये वाणिज्य कॉमर्स में उनका इन्टरेस्ट ज्यादा है। इसके बिना तो उनका पढ़ाई का ध्येय ही खतम सा हो जाता है। इसलिये सभापति महोदय, आपके जरिये मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि बांदीकुई हाई स्कूल में अगर साइन्स और कॉमर्स की दोनों की क्लासें एक साथ खोलना सम्भव न हो तो एक क्लास तो अवश्य ही खोली जानी चाहिये। फिर बांदीकुई और बसवा में जो शॉर्टेज रहती है अध्यापकों की, उसे भी पूरा करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की मांग के ऊपर मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। सर्वप्रथम तबादलों में होने वाली अनियमितताओं पर विचार करने के लिए है। सभापति महोदय, आज किस प्रसंग पर हम विचार कर रहे हैं, वह बहुत ही महत्व-पूर्ण है। हमारे देश की प्रगति के अन्दर सहायक शिक्षा जो है, वह सबसे पहली चीज़ है। इसके अन्दर जिस तरह से स्थानीय लोगों में और अध्यापन करने वाले लोगों में आपस में सहयोग परमावश्यक है, उसी तरह से तबादले करते वक्त सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां की जनता, वहां पर अध्यापन करने वाले अध्यापकों के प्रति कितनी अच्छी भावना रखती है। लेकिन पिछली दफा, पिछले साल भी मैंने इस बात को नोट किया कि जिला चूरू के अन्दर एक निरीक्षक महोदय के द्वारा सामुहिक तबादले किए गए ८० या ९० अध्यापकों के लेकिन उनके खुद के तबादले के तुरन्त बाद ही सारी लिस्ट को एकदम स्टे कर दिया जाता है। उधर से जिनके तबादले हुए वे नियत स्थानों पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद में स्टे होता है तो कितना गवर्नमेंट का खर्चा हुआ और कितनी परेशानी हुई, किस प्रकार की दिक्कत उठानी पड़ी, उन लड़कों को जहां कि मास्टर टाइम पर नहीं पहुँच सके। तो इस प्रकार से काफी दिक्कत इस मामले के अन्दर होती है। जैसा कि कई दफा देखा है कि गांव वाले चाहते हैं और उनके चाहने के बावजूद भी तबादले कर दिये जाते हैं, लेकिन जहां लोग

(श्री मोहरसिंह)

अध्यापक को ठीक नहीं समझते अपने स्कूल की तरक्की के लिए, उनके लिए बराबर मांग करने पर भी अध्यापक का तबादला नहीं किया जाता है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनका शिक्षा के प्रसार के अन्दर बहुत भारी असर पड़ता है। इसलिए इस चीज पर सरकार को बहुत भारी ध्यान देना चाहिए तबादला करते समय कि वहां के स्थानीय लोग क्या चाहते हैं और वहां अध्यापकों की सुविधा के लिए कौन सी चीज़ की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा के अन्दर अध्यापकों का काम सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है बल्कि देश की प्रगति के अन्दर सहायक होना होता है। उस महकमे के अन्दर खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पुस्तकें नहीं मिलने के कारण हुई असुविधा पर विचार करने हेतु है। इसके ऊपर, सभापति महोदय, विभिन्न २ साथियों ने देर तक काफी बातें बतलाई हैं। राष्ट्रीयकरण सैद्धान्तिक तौर से देश के लिए निहायत जरूरी चीज़ है, लेकिन इसके अन्दर असफलता होती है तो हमें शर्म महसूस होती है। जहां इस पर सरकारी बेन्चेज़ की तरफ से पहल कदमी की जाय वहां हम लोग भी जो प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वह भी जब यह महसूस करते हैं और विभिन्न साथियों द्वारा यह आलोचना की जाती है कि राष्ट्रीयकरण की नीति से सरकार पुस्तकें बच्चों को समय पर देने में असफल रही है, तो हमें बड़ी शर्म महसूस होती है। इस प्रकार हम एक सैद्धान्तिक बात पर चलना चाहते हैं लेकिन उसके अन्दर इस बात की देरी होना एक शोभा की बात नहीं है।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव राजगढ़ में हायर सेकन्डरी स्कूल में विज्ञान की कक्षा नहीं खोलने के हेतु है। राजगढ़ का इस जिले में एक प्रमुख स्थान है, वह सब डिवीज़न का एक हैड क्वार्टर है। वहां बीकानेर डिवीज़न में गंगानगर ज़िले के सिवाय सबसे ज्यादा स्कूलें हैं और वर्षों से चलते आ रहे हैं, वह राजगढ़ का इलाका पिछले जब स्वाधीनता संग्राम के जमाने में जब कि संघर्ष किया जा रहा था, उस वक्त इस इलाके के २००, २५० गांवों के लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया था। साथ ही बीकानेर में होने वाले सभी सामाजिक सुधारों में यह इलाका सबसे अग्रणी रहा है। साथ ही वहां पर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की गिनती भी इस इलाके के अन्दर बढ़ी है। वहां पर सबसे पहले हाई स्कूल था, उस वक्त उसमें साइन्स की क्लास चलती थी। लेकिन दुःख होता है जब कि वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल डाला गया तो उस साइन्स की क्लास को तोड़ दिया गया। वहां पर इस बात के लिए बहुत मांग है। इस प्रगति के जमाने में वहां के लोग उम्मीद तो यह करते थे कि और आगे बढ़ा जायगा, लेकिन जो चालू क्लास है वह भी तोड़ी जाय और उस पर आज तक किसी प्रकार की सुनवाई न हो, तो वह कहां तक उचित है? मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर राज्य सरकार जरूर ध्यान देगी।

चौथा मेरा कटौती प्रस्ताव है, वह यह है कि राज्य सरकार के इनकम टैक्स देने वाले फीस भरें, इस पक्षपात पूर्ण रवैये पर विचार करने के हेतु। यह चीज सुनने में एक मामूली सी चीज मालूम होती है, लेकिन यह सैद्धान्तिक चीज़ है। वेलफेयर के काम के लिए, जन-कल्याण के काम के लिए एक भाग

(श्री मोहरसिंह)

को बढ़ी हुई फीस से मुक्त कर दें और दूसरे पर लागू रखें तो यह सैद्धान्तिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। जहां तक मैं समझता हूं भारतीय संविधान में, इस प्रकार का पक्षपात या डिस्क्रीशन की क्लॉज़ नहीं है कि किन्हीं से फीस नहीं लेंगे, तू पढ़ सकता है, क्योंकि तू गरीब है और दूसरे से कहेंगे कि तेरे पास पैसा है और जन-कल्याण के काम में फीस लेंगे। यह तो वही चीज़ हुई जैसे कि अस्पताल के अन्दर पट्टी बंधवाने के लिये आये, किसी के चोट लग जाय और पट्टी बंधवाने के लिए गये, तो उससे डाक्टर कहे कि तेरे पास पैसा है इसलिए पहले इतना धर दो उसके बाद में पट्टी बांधेंगे। यह मैं समझता हूं कि उचित चीज़ नहीं है। जन-कल्याण के काम में उनके अन्दर एक निगाह से देखकर चलना चाहिये। जहां तक चिकित्सा का काम हो, शिक्षा का काम हो वहां पर इस तरह से भेद-भाव करने वाली इस काम में चीज नहीं आनी चाहिये। जहां पैसों की जरूरत हो, तो पैसे वाले बहुत हैं, उनसे दूसरे तरीके से टैक्स लिया जा सकता है। लेकिन चिकित्सा और शिक्षा जैसे जन-कल्याण के विभाग हैं, उनके अन्दर पक्षपात होना या भेद-भाव होना, मैं समझता हूं, सरकार के लिए शोभास्पद चीज नहीं है। इन सारी चीजों के साथ चौथे कटौती प्रस्ताव पर मेरा दृष्टिकोण है वह सरकार के सामने विचारार्थ रखता हूं और उम्मीद करता हूँ कि उनके अन्दर उनकी वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार उन पर गौर करने की कोशिश करेगी और जो विभिन्न कटौती प्रस्तावों के अन्दर मैंने कहा है, कमियों और अभावों को दूर करने के लिए प्रार्थना की है, उनको पूरित करने की राज्य सरकार कोशिश करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने चारों कटौती प्रस्ताव आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४.५८ बजे, दिनांक २५ मार्च, १६५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २४ मार्च, १६५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ४४६४

भूतपूर्व रियासतों में मनाये जाने वाले त्यौहार।
समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
महिला कॉलेजों में संगीत शिक्षण की व्यवस्था।
पुरुषार्थियों के लिये दुकानों का निर्माण।
अध्यापकों के स्थानान्तरण।
सिन्धी अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतन
पब्लिसिटी वान का आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग।
चिकित्सालय-शाहपुरा।
तहसील भवन, सूरपुरा।
पुरुषार्थियों को दिया गया ऋण।
राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन।
भाखड़ा क्षेत्र के गांवों में शामलात हेतु छोड़ी गई जमीन।
राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें।
बांकली बंधे के अन्तर्गत काश्त-काबिल जमीन।
खादी प्रतिष्ठान बोर्ड, बीकानेर।
बृहत् या लघु उद्योग, सिरोही।
पुनर्ग्रहीत जागीरें।
विकास खंड, शाहबाद।
भाखरा क्षेत्र में भूमि की नीलामी।
आदीवासी क्षेत्र (बांसवाड़ा) का विकास।
कोर्ट ऑफ वार्ड्स्, भूतपूर्व बीकानेर राज्य के कर्मचारियों का फिक्सेशन।
विन्धियन लाइम स्टोन।
जिला गंगानगर के पटवारियों को दी जाने वाली टी. ए. व डी. ए. इत्यादि की रकम।
हरिजन छात्रावास, झालावाड़।
टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत दिये जाने वाले खातेदारी अधिकार।
ग्रामोद्योग हेतु दिया गया ऋण।

स्कम्भ

स्थगन प्रस्ताव ४५४७

राजस्थान की राजधानी-जांच समिति की सिफारिशों से संबंधित श्री रामेश्वरदयाल का स्थगन प्रस्ताव, उदयपुर (शेखावाटी) में हिन्दु-मुस्लिम तनाजे के सम्बन्ध में श्री लच्छूराम, श्री भैरोंसिंह (१४) व श्री अनूपसिंह के स्थगन प्रस्ताव, तथा पचपदरा सिटी (जिला बाडमेर) में पानी न मिलने की समस्या से सम्बन्धित श्री लक्ष्मीचन्द के स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

श्री लक्ष्मीचन्द के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिनांक २८ मार्च, १६५८ को दिया जायगा। उदयपुर (शेखावाटी) में हिन्दु-मुस्लिम तनाजे के सम्बन्ध में भी सरकार की ओर से सूचना प्राप्त होने पर वक्तव्य दिया जायगा।

स्कम्भ स्क

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ४५५०

श्री सम्पतराज जैन को १०-३-५८ से २७-३-५८ तक व श्री रामप्रसाद लड्ढा को १९ व २० मार्च, १९५८ के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ ४५५१

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य एवं शिक्षा मंत्री, ने युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया।

अनुदानों की मांगों पर मतदान मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा (पूर्व क्रम से) ४५५२

उपरोक्त मांग पर आज भी बहस जारी रही। ७० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये एवं निम्न सदस्यों ने भाषण दिये :

१. श्री रामचन्द्र
२. श्री दयाकृष्ण विजय
३. श्री शिवचरणदास
४. रावराजा श्री सरदारसिंह
५. श्री लक्ष्मीचन्द
६. डॉ० बहादुरसिंह
७. श्री गिरधारीलाल
८. श्री मूलचन्द डागा
९. श्री चन्दनमल वेद
१०. श्री अनूपसिंह
११. श्री मुरलीधर व्यास
१२. श्री पी० के० चौधरी
१३. श्री भीमसेन
१४. श्री लच्छूराम
१५. श्री मनोहर कोठारी
१६. श्री मुक्तिलाल मोदी
१७. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१८. श्री नारायणसिंह (मसूदा)
१९. श्री शिवचरणदास
२०. श्री श्योपतसिंह
२१. श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा
२२. श्री भैरोंसिंह (१४)
२३. श्रीमती गंगादेवी डाटा
२४. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
२५. श्री मोहरसिंह

मंगलवार, दिनांक २५ मार्च, १९५८ की कार्य-सूची

अनुदान की मांगों पर मतदान-(शिक्षा)।

४७०.१

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ७८२ का उत्तर देखिये)

भूतपूर्व रियासतों में हर महीने मनाये जाने वाले मुख्य त्यौहारों की सूची

चैत्र (मार्च-अप्रैल)	शीतलाष्टमी, बसन्त नवरात्र, रामनवमी, महावीर जयन्ती, गणगौर।
वैशाख (अप्रैल-मई)	अक्षय तृतीया, सब्बरात्।
ज्येष्ठ (मई-जून)	गंगादशमी, निर्जला एकादशी।
आषाढ़ (जून-जौलाई)	आषाढ़ी दशहरा, भडल्यानवमी, देव शयनी एकादशी, गुरू पूर्णिमा।
श्रावण (जौलाई-अगस्त)	तीज रक्षाबन्धन।
भाद्र (अगस्त-सितम्बर)	जन्माष्टमी, गणेशचतुर्थी, ऋषि पंचमी, जल-झूलनी एकादशी, बकरा ईद, डोल ग्यारस।
आश्विन (सितम्बर-अक्टूबर)	सर्वपितृ श्राद्ध, नवरात्र स्थापन, दशहरा, ताजिया।
कार्तिक (अक्टूबर-नवम्बर)	दिवाली, गोवर्द्धनपूजा।
अग्रहायण (नवम्बर-दिसम्बर)	—
पौष (जनवरी-फरवरी)	मकर सक्रांति।
माघ (फरवरी-मार्च)	बसन्त पंचमी, भानू सप्तमी, महाशिवरात्रि, डोल यात्रा, होली।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७८३ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा तहसील कोटपुतली में निम्न प्रकार छात्रवृत्ति के फार्म वितरण किये गये ।

क्र. सं.	नाम विद्यालय	दिनांक	पत्र संख्या	फार्म नं०
१.	सरदार हाई स्कूल, कोटपुतली	२६ ७-५७	१२०३६	२६
२.	सरदार हाई स्कूल, कोटपुतली	२०–८–५७	,,	५०
३.	प्रा० स्कूल, जोधपुरा	२३-७-५७	१०५८	३७
४.	मि० स्कूल, घान्तेला	१७-७-५७	६७७५	५०
५.	प्रा० स्कूल, बनेठी	२२–८–५७	१३५७८	२५
६.	तहसील पंचायत, कोटपुतली	२२–८–५७	द्वारा रामप्रताप यादव	२५
७.	हिन्दी प्रा० स्कूल, ठीकरिया	२१–८–५७	स्वयं	४०
८.	प्रा० स्कूल, सुन्दरपुरा	६–६–५७	,,	२०
९.	राज० मि० स्कूल, पावटा	७–८–५७	१३३११	३०
१०.	हि० स्कूल, सुन्दरपुरा	६–८–५७	१३२३१	२०
				३२३

नोट : इन कार्यालय के निरीक्षक श्री बालमुकुन्द जैमन द्वारा तहसील कोटपुतली में सरपंच को ४० और श्री रामकरणसिंह को ५० फार्म्स दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त कार्यालय में जो व्यक्ति आये हैं उन्हें भी फार्म दिये गए हैं ।

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७८६ का उत्तर देखिये)

सन् १९५७ में पब्लिसिटी वान, उदयपुर द्वारा उदयपुर क्षेत्र में किये गये दौरे का विवरण

क्रमांक १	भ्रमण दिनांक २	स्थान ३	विशेष विवरण ४
१.	५-१-५७	धरियावद	
२.	६-१-५७	जवाहर नगर, धरियावद,	
३.	३०-१-५७	ढबोक	
४.	३-२-५७	डूंगरपुर	
५.	४-२-५७	सागवाड़ा, गलियाकोट. डूंगरपुर	
६.	१२-२-५७	गणेश्वर मेला	
७.	१७-२-५७	डूंगरपुर	
८.	१९-२-५७	अम्बावी डैया	
९.	३१-३-५७	सलूम्बर, धरियावद, जवाहरनगर	
१०.	१-४-५७	जवाहरनगर	
११.	१०-४-५७	अम्बावी डैया	
१२.	१२-४-४७	अम्बासा	
१३.	१८-४-५७	अम्बावी	
१४.	१९-४-५७	अम्बासा	
१५.	२०-४-५७	जवाहरनगर, धरियावद	
१६.	२१-४-५७	चारों कोलोनी, जवाहरनगर	
१७.	२४-४-५७	अम्बावी खैरवाड़ा	
१८.	९-५-५७	जवाहरनगर	
१९.	१६-५-५७	लकड़वास	
२०.	२१-५-५७	काया	
२१.	२५-५-५७	सलूम्बर	
२२.	२६-५-५७	ईटाली खेड़ा और सलूम्बर	
२३.	२९-५-५७	मुवाना	
२४.	१-६-५७	धरियावद, जवाहरनगर	
२५.	७-६-५७	धरियावद, जवाहरनगर	
२६.	८-६-५७	सलूम्बर	
२७.	२१-७-५७	काया	

१	२	३	४
२८.	२५-७-५७	निमच माता	
२९.	२६-८-५७	अर्निया मगरी	
३०.	२८-८-५७	लकड़वास	
३१.	१-९-५७	नाथद्वारा, कांकरोली	
३२.	४-९-५७	चारभुजा	
३३.	५-९-५७	केलवा	
३४.	६-९-५७	मन्जेरा	
३५.	७-९-५७	कांकरोली	
३६.	८-९-५७	घोईन्दा, मोही, राजनगर, कांकरोली	
३७.	१४-९-५७	नाई	
३८.	१६-९-५७	चम्बोरा	
३९.	१७-९-५७	गुन्डली	
४०.	१८-९-५७	कुरावड़	
४१.	१९-९-५७	जगत	
४२.	२०-९-५७	साकरोटा	
४३.	२१-९-५७	डांगियों की पंचोली	
४४.	२५-९-५७	बारापाल	
४५.	१७-१०-५७	नाथद्वारा	
४६.	१८-१०-५७	बारापाल	
४७.	१९-१०-५७	घोईन्दा, कांकरोली	

नोट : इसके पश्चात् वान खराब हो जाने के कारण कहीं नहीं भेजी जा सकी ॥

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ७६२ का उत्तर देखिए)

नगरों में बसने वाले विस्थापितों को दिये गए ऋण के पेटे दी हुई व वसूल की गई रकम के विवरण की सूची

	३१-१-५८ तक की देय राशियां		३१-१-५८ तक वसूल की गई राशियां	
	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ०	रु० आ०
१. साधारण शहरी ऋण				
(क) वाणिज्य एवं उद्योग	७२,२४,५८८-४	६,११,२४६-१४-६	२३,७४,५१२-६	२,१६,३८४-११
(ख) शिक्षा संबन्धी	१४,०७०-०	१,०८७-१४-०	१३,०८८-०	८७४-०
(ग) सिलाई मशीन	६१,६८७-११	८,१११-१२-६	४०,५५६-३	१,६१८-१४
योग :	७३,००,६४५-१५	६,२०,४४६-६-३	२४,२८,०४६-६	२,१६,१७७-६
२. भवन निर्माण ऋण				
(क) सहकारी समितियां	११,७६,३५५-६	१०,०३,३७५-४-६	६,०५,३८६-४	२,७५,३१६-१०
(ख) म्यूनिसिपल बोर्ड, डीग	६,०००-०	७,२८२-३-६	१४,४६७-१२	५,५३२-४
(ग) विस्थापितों को मकान हेतु	२५,५००-०	३०४-०-०	६,७०२-०	२५२-६
(घ) विस्थापितों को दुकान हेतु	२,४००-०	—	७,१५०-०	१०-०
योगः-	१२,१३,२५५-६	१०,१०,६६२-१-३	६,३३,७०६-०	२,८१,११४-४
कुल योगः-	८५,१३,६०१-८	१६,३१,४११-१०-३	३३,६१,७५५-६	५,००,२६१-१३

ऋणों का विवरण	१९५०–१९५१ संख्या	१९५०–१९५१ राशि	१९५१–५२ संख्या	१९५१–५२ राशि	१९५२–५३ संख्या	१९५२–५३ राशि	१९५३–५४ संख्या	१९५३–५४ राशि	१९५४–५५ संख्या	१९५४–५५ राशि	१९५५–५६ संख्या	१९५५–५६ राशि	१९५६–५७ संख्या	१९५६–५७ राशि	१९५७–५८ संख्या	१९५७–५८ राशि	योग संख्या	योग राशि
१. साधारण शहरी ऋण																		
(क) वाणिज्य एवं उद्योग सम्बन्धी	७७४६	६०६६८८१|||)	१८०१	१४२२६००|||=)	२३३	२१३६६७)	२६१	१३३३३७)	१७०	६५७२५)	२७०	७३२५०)	१८	१७४५०)	—	—	१०५३२	७६६२६४१||=)
(ख) शिक्षा सम्बन्धी	२६	६८७०)	५	१८००)	७	१२००)	६	१२००)	—		—	—	—		—	—	४४	१४०७०)
(ग) सिलाई मशीन सम्बन्धी	२८८	५६६१०|)	२०	३३८५)	३४	६५४१|||=)	१	१६०)	—	—	—	—	—	—	—	—	३४३	७००२७=)
योग	८०६३	६१३६७४२)	१८२६	१४२७७८५|||=)	२७४	२२१२८५|||=)	२६८	१३४७२७)	१७०	६५७२५)	२७०	७३२५०)	१८	१७४५०)	—	—	१०६१६	८०७७०३८|||)
२. भवन निर्माण सम्बन्धी ऋण																		
(क) सहकारी समितियों को (सदस्य संख्या १३८३)		२२८२५००)		८७०७००)		४२२७३८||)		६२४१८०)		६४०००)		१५६०७६)	—	—				४५५४८१६||)
(ख) म्युनिसिपल बोर्ड, डीग को (३० दुकान)		—	—	—	—	३००००)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१०४६२५		३००००)
(ग) विस्थापितों को मकान सम्बन्धी (३४ मकान)		५४००)		—				—		—		४४८००)	—	—		—		५०२००)
(घ) विस्थापितों को दुकान सम्बन्धी (२३ दुकान)		—	—	—		—		—		—		६१००)		४५००)		—		१३६००)
योग		२२८७६००)		८७०७००)		४५२७३८||)		६२४१८०)		६४०००)		२०६६७६)		४५००)		१०४६२५)		४६४८६१६||)

४७०८

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ७९६ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त हनजावा की जमीन वो कली वो ६ के अन्दर आई है और नीचे माफिक काश्तकार काश्त करते हैं।

नं० शु०	नाम आसामी	रकबा
१.	पुनमा पुत्र बागा १/२ अन्ना पुत्र जेरूप १/४ रत्नीया पुत्र किशना १/८ चौधरी रतीया पुत्र प्रेमा १/८ सरगरा सीराणा	७७।।)२
२.	जेठा पुत्र तबीया सरजरा ३/४ नरीम पुत्र सुलतानसिंह राजपूत सीराणा १/४	४६।।)२
३.	चतरसिंह पुत्र बादरसिंह १/३ भीमसिंह पुत्र गलसिंह १/३ जेठा पुत्र तरीपा १/६	८५।)४
४.	देवा पुत्र फुवा भाला पुत्र मोती १/३ अणया पुत्र जेरूप १/३ प्रभू पुत्र फुवा १/६	७३)४
५.	चतरसिंह बादरसिंह १/८ भीमसिंह पुत्र मंगलसिंह १/८ जगन्नाथसिंह चीमनसिंह १/८ अजीतसिंह पुत्र जगमल १/८ प्रोहित भाला पुत्र मोती १/८ अन्सा पुत्र जेरूप १/८ प्रभू पुत्र फूवा १/८ चौधरी	१०८।।)२
६.	प्रभूडा पुत्र गोरण १/२ आगेडा पुत्र चतरा १/४ देवा पुत्र हीमना १/८	८८)३
७.	प्रभू पुत्र रामदास ७/८ चौधरी शेरीया पुत्र बना कौम कुमार १/८	५४।।)३
८.	खीमाव सीया पी. गुमना. कोम सीरकी खातेदार	२६)२
९.	भवरीया पुत्र पीरा १/४ रतना सवीया नवीया बी. अन्ना १/४ वहि बराबर १/४ जगीया पुत्र बीराम १/८ भादिया पुत्र बीरम १/८ नेना पुत्र डाया १/८ भालीया पुत्र नेमा १/८	१७२।।)२
१०.	पहाड़सिंह पुत्र सुलतानसिंह	५६।।)१
		७९३।)

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ८१० का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD, JAIPUR
DISBURSEMENT OF LOAN & SUBSIDY FROM IST APRIL TO 31 st AUGUST, 1957

S. No.	Name of the Institution	Loan	Subsidy	Name of the Industry.
1.	Seva Sadan, Bhilwara.	16,750	14,500,61	Oil & Ambar.
2.	Sarvodaya Kendra, Khimel (Pali)	3,750	1,248	Oil & Soap.
3.	Khora Bisal Regaran Sahakari Samity Ltd., Khora Bisal (Jaipur)	2,300	–	Leather.
4.	Sayala Brahata Aakariya Behudhandhi-Sahakari Samity Ltd., Sayala (Jhalore)	3,300	4,800	Leather & Oil.
5,	Harijan Tennors Cooperative Society, Hindaun.	3,720	3,000	Leather.
6.	Krishak Bahudhandhi Sahakari Samity Ltd., Chechut (Kota)	9,000	4,187,50	Soap
7.	Hadoti Khadi Gramodyog Sangh, Baran.	90,370	47,041	Oil, Leather, Ambar, Pottery & Fibre
8.	Bansarar zila Seva Sangh, Partapur.	18,000	11,175,49	Oil, Ambar, & Hand Pounding of Rice
9.	Balmiki Bahudhandhi Sahakari Samity Ltd., Jodhpur.	3.720	3,000	Leather.
10.	Rajasthan Seva Sangh, Dungarpur.	57,750	39,461,82	Oil, Soap, Ambar & Hand. P. of rice;
11.	Matsaya Raj Gram Seva Mandal, Karauli.	71,050	39,000	Oil, Soap, Hand pounding of rice & Fibre.
12.	Khadi Gramodyog Pratisthan, Bikaner.	11,003	17,120	Ambar & Atta Chakki

1	2	3	4	5
13.	Gramvikas Samiti, Jaipur.	1,375	1,375	Oil.
14.	Bhandpura Bahudhandhi Sahakari Samiti Ltd.: Bhandpura.	3,720	3,000	Leather.
15.	Khadi Mandir, Bikaner.	16,000	14,839,94	Oil, Ambar & Atta Chakki
16.	Didwana Telyana Utpadak Sahakari Samiti. Ltd., Didwana.	17,000	1,953,91	Oil.
17.	Jaipuriya Regaran Sahakari Samiti, Kundanpura.	-	1,000	Leather.
18.	Makarana Ghani Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd, Makarana.	50,00	503,81	Oil.
19.	Nainva Chamaran Utpadak Sahakari Samiti Ltd. Nainva.	3,720	3,000	Leather.
20.	Chomu Tel Ghani Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Chomu.	5,000	1,490,07	Oil.
21.	Rajasthan Khadi Sangh, Chomu.	22,720	40,983,76	Oil.
22.	Block Development Officer, Hindaun.	-	1,200	Oil.
23.	Marwar Khadi Sangh, Jodhpur.	64,500	26,423,35	Oil, Soap & Ambar.
24.	Shri Ganga Charma Utpadak Sahakari Samiti, Bisalpura.	3,720	3,000	Leather.
25.	Rajasthan Go Seva Sangh, Jaipur.	3,720	3,000	Leather.
26.	B. D. O., Sambher.	-	2,700	Leather.
27.	Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Partapur.	900	-	Oil.
28.	Arthuna Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Arthuna.	2,700	-	Oil.
29.	Charma Udyog Sahakari Samiti, Bayana.	2,400	3,200	Leather.
30.	Gramodyog Samiti, Banswara.	11,300	1,809,44	Oil.
31.	Nagaur Tel Ghani Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Nagaur.	9,000	1,280,94	Oil.
32.	Gramodyog Vikas Samiti, Chittorgarh.	9,250	9,250	Soap.

1	2	3	4	5
33.	Delwara Regaran Cooperative Society, Delwara.	3,000	3,400	Leather.
34.	Charma Udyog Sahakari Samiti. Ltd., Karauli.	3,720	3,400	Leather.
35.	Mohanpura Charma Udyog Sahakari Samiti., Bassi.	-	1,000	Leather.
36.	Kalinjara Tel Utpadak Sahakari Samity Ltd., Banswara.	4,500	51.56	Oil.
37.	Shankar Tel Utpadak Sahakari Samiti, Jaipur.	7,000	3,144,50	Oil.
38.	Hindaun Khadi Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Hindaun.	-	15,800	Ambar.
39.	Kutir Udyog Sahakari Samiti Ltd., Alwar.	4,000	-	Hand Made Paper.
40.	Padam Tel Utpadak Sahakari Samiti, Jaipur.	10,000	5,781,63	Oil.
41.	Haddi Khad Utpadak Sahakari Samiti, Baskho.	-	3,000	Leather.
42.	Nav Nirman Sangh, Udaipur.	34,750	11,650	Oil & Leather.
43.	Khari Tat Sarvodaya Sangh, Shahapura.	23,250	20,850	Oil, Soap & Ambar.
44.	Rural Arts & Crafts, Sumerpur.	-	200	Leather.
45.	Gandhi Tel Utpadak Sahakari Samiti, Banswara.	2,400	-	Oil.
46.	Godwat High School Chotti Saddi.	-	400	Hand Made Paper.
47.	Gram Seva Mandal, Kishorepura.	3,720	3,000	Leather.
48.	Tad Gud Utpadak Sahakari Samiti Ltd , Deogaun.	1,300	2,860	Palm Gur.
49.	Rajasthan Khadi Vikas Mandal, Govindgarh.	-	2,004,19	Oil Industry.
50.	Kendriya Sarvodaya Sahakari Samiti Ltd., Jaipur.	16,000	1,500	Oil & Soap.
51.	Tad Gud Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Khorabisal.	-	2,860	Palm Gur.
52.	Tad Gud Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Arthuna.	500	2,860	Palm Gur.
53.	Sarvajanik Cahudhandhi Sahakari Samiti Ltd., Badalyas.	3,720	3,000	Leather.
54.	Ghani Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Sanganer.	2,640	591.78	Oil.

1	2	3	4	5
55.	Murli Manohar Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Jaipur.	6,000	6,385.24	Oil.
56.	Chaksu Tel Ghani Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Chaksu.	6,303	2,711.92	Oil.
57.	S. D. O. Amet.	—	500	Leather.
58.	C. D. O. Sankra.	—	1,000	Leather.
59.	Bharat Udyog Sahakari Samiti Ltd., Ajmer.	—	1,100	Fibre.
60.	Chawandia Tad Gud Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Chawandia.	—	2,860	Palm Gur.
61.	Tordisagar Tad Gud Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Tordisagar.	500	2,860	Palm Gur.
62.	Tad Gud Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Hammirgarh.	1,900	2,860	Palm Gur.
63.	Ajmer Marwara Multipurpose Cooperative Society, Ajmer.	-	228.51	Oil.
64.	Ajmer Merwar Gram Seva Mandal, Ajmer.	15,750	9,400	Ambar & Soap.
65.	Bassi Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Bassi.	6,000	670	Oil.
66.	Ajmer Raj Khadi Gramodyog Sahakari Samiti Ltd., Ajmer.	11,000	13,200	Ambar.
67.	Sales Emporium.	66,000	22,120	Leather & Hand Made Paper.
68.	Saranjam Karyalya.	68,800	28,922	Ambar, Oil, Atta Chakki & Pottery.
69.	Training Cum Production Centre, Sanganer.	69,220	83,100	Oil, Leather & Soap.
70.	Karauli Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Karali.	6,000	-	Oil.
71.	Gandhi Vidyalaya High School, Gulabpura.	-	900	Hand Made Paper.
72.	Giland Charma Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Giland.	-	800	Leather.
73.	Gram Nirman Sagh, Hastera.	-	1,100	Fibre.
74.	Rathor Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Baran.	2,100	1,066.91	Oil.

1	2	3	4	5
75.	Krishana Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Baran.	2,625	544.92	Oil.
76.	Khadi Karya Karta Samiti, Dousa.	5,000	6,454.58	Oil.
77.	Vanasthali Vidya Peeth, Jaipur.	-	150	Oil.
78.	Tahsildar Deeg (Bharatpur)	-	500	Leather.
79.	Jan Sevak Bahudhandhi Sahakari Samiti Ltd., Mohi.	-	1,100	Fibre.
80.	Renwal Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Renwal.	300	300	Oil.
81.	Jobner Bahudhandhi Sahakari Samiti Ltd., Jobner.	10,250	6,150	Soap.
82.	Tel Ghani Karya Karta Samiti, Antela.	-	1,946.36	Oil.
83.	Laxami Bahudhandhi (Bahu-udeshiva) Sahakari Samiti Ltd., Dungri			
84.	Kamla Gupta, Jaipur.	150	150	Oil.
85.	Telyana Nauga (Kuchaman Road)	150	137.50	Oil.
		450	450	Oil.
86.	Consumer Cooperative Society, Baran.	-	1,900.25	Oil.
87.	Gram Bhandar, Phalodi.	-	96.50	Oil.
88.	Hardas Taksanday, Mount Abu.	-	600	Bee Keeping.
89.	Development Officer (Oil Jaipur)	-	29,028.43	Oil.
90.	Vimukut Jatti Multipurpose Cooperative Society Ltd., Ajmer.	3,000	3,000	Leather.
91.	Bundi Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Bundi.	1,750	39.75	Oil.
92.	Kot Kasim Bahudhandhi Sahakari Samity Ltd., Kot Kasim.	3,720	3,000	Leather.
93.	Nimbhahera Ghani Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Nimbhahera.	1,400	-	Oil.
94.	Tel Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Jodhpur.	-	645.46	Oil.
		14,68,475	10,16,115.25	

परिशिष्ट ७

(प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

हाईस्कूल की स्थापना

८११. श्री मनरूराम परिहार (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या यह सच है कि तहसील देसूरी के ग्राम मगरतालाब थाना क्षेत्र १०-१२ प्राइमरी स्कूलें होते हुए भी वहां कोई मिडिल या हाई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो नहीं खोलने के क्या कारण हैं तथा उस क्षेत्र में कब तक मिडिल या हाई स्कूल खोलने की योजना है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि पाली जिले में हरिजन जातियों के चपरासियों, अध्यापकों व अध्यापिकाओं की नियुक्ति नहीं हो रही है ? अगर हुई है, तो कुल कितनी और कौन २ से ग्रेड, व पोस्टों पर ?

उत्तर

(क) जी हां, क्योंकि वहां पर तमाम प्राइमरी एक अध्यापकीय स्कूल हैं जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है तथा भवन की माध्यमिक शाला के उपयुक्त नहीं है।

(ख) जी नहीं।

१५ अध्यापक मिडिल ग्रेड ४०-१-५० में लिये गये हैं।

३ हरिजन चपरासी २५-१-४० की ग्रेड में लिये गये हैं।

प्रश्न

भाखरा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील नोहर व भादरा में बेची गई जमीन का मूल्य

८१२. श्री रामकिशन (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) सरकारी जमीन जो भाखरा नहर के नीचे नोहर, भादरा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तहसीलों में भूमि-हीनों को दी जा रही है उनसे फी बीघा कितनी कीमत सरकार ले रही है ?

(२) सरकार खातेदार किसानों तक से लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के तहत जो जमीन ले रही है उसकी फी बीघा क्या कीमत दे रही है ?

उत्तर

(क) दरें इस प्रकार हैं :

नाली अव्वल ४०० रुपये फी बीघा; नाली दोयम ३०० रुपये फी बीघा।

लोम व लाइट लोम—२८०) रुपये फी बीघा।

लेन्डी लोम—२००) रुपये फी बीघा।

अनकमान्डेड (बारानी)—५०) रुपये फी बीघा।

(ख) ऐसी भूमि का मुआवज़ा ३० रुपये से ३३६ रुपये की बीघा तक है।

(ग) अलॉट की जाने वाली कमान्डेड भूमि में बेटरमेंट लेवी फीस शामिल है। दूसरे मुआवज़े में दी जाने वाली रकम एक मुश्त दी जाती है और गवर्नमेंट लैन्ड की कीमत १५ किश्तों में वसूल की जाती है। जिसमें किसी कदर रकम सूद की भी शामिल है। अत: अन्तर स्वाभाविक है।

प्रश्न

ऑर्गेनाइज़र स्टेट टूरिस्ट फेसिलिटीज़

८१३. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(1) Is it correct that a post of Organiser State Tourist Facilities in the grade of Rs. 250-25-750 with special pay of Rs. 100 was advertised?

(2) Is it correct that one Shri Narain Sinha has been directly appointed against this post on a salary of Rs. 500/- ?

(3) Is it also correct that there were better qualified candidates than Mr. Sinha who applied for the post but they were not selected ?

(4) Is it correct that Mr. Sinha does not satisfy all the essential qualifications advertised for the post ?

उत्तर

(1) Yes.

(2) It is Shri Narain Sinha who has been selected by the R.P.S.C. and appointed as Organiser, Tourist Facilities and not Narain Singh.

(3) The R.P.S.C. interviewed 14 candidates and recommended the name of Shri Narain Sinha in view of his experience in the line.

(4) Shri Sinha possesses all necessary qualifications.

प्रश्न

तहसीलों का गठन

८१४. श्री होतीलाल (भरतपुर) : Will the Minister for Revenue be Pleased to state:-

(i) Is it a fact that Tehsils have been formed on the basis of Revenue Income and Population ?

(ii) If so, what is the Revenue Income and population separately of Tehsils Nagar, Deeg, Nadbai and Sub-tehsil Kumher in Bharatpur District ?

उत्तर

(क) तहसील स्थापित करते समय केवल राजस्व आय और आबादी ही ध्यान में

नहीं रखी जाती वरन् कई एक और बातों पर भी विचार किया जाता है । वे ऐसी बातें होती हैं कि जिनसे प्रशासन एवम् प्रजा दोनों को सुविधा मिले ।

	राजस्व आय	जन संख्या
(ख) (१) तहसील नगर	२,८८,८८४	५४,७६०
(२) ,, डीग	१,६०,०६५	६२,८८३
(३) ,, नदबई	२,५६,२६६	५४,६११
(४) सब ,, कुम्हेर	१,७६,७१८	५२,७७५

प्रश्न

हाई स्कूल की स्थापना-भांडारेज (दौसा)

८१५. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि तहसील दौसा के भांडारेज कस्बे में हाई स्कूल की बिल्डिंग बने काफी अर्सा हो चुका है फिर भी वहां हाई स्कूल की स्वीकृति नहीं हुई है ! यदि हां, तो क्यों और वहां कब तक हाई स्कूल खोला जावेगा ?

उत्तर

तहसील दौसा के भांडारेज कस्बे में जो इमारत बनाई गई है वह अभी हाई स्कूल के लिये पर्याप्त नहीं है । आगामी सत्र से हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोलते समय यदि सरकार की आधारित शर्तों को पूरा करेगा तो अन्य स्कूलों के साथ इस स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने के प्रश्न पर इसकी उपयुक्ततानुसार व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवश्य विचार किया जावेगा ।

प्रश्न

तहसील डूंगला (चित्तौड़गढ़) में नोतोड़ भूमि का आवंटन

८१६. **श्री जयचन्द मोहिल** (कपासिन) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़गढ़ जिला की डूंगला तहसील में आज तक कुल कितनी नोतोड़ भूमि अलॉट की गई ?

(२) उक्त भूमि किस-किस मौजा में किन-किन को कितनी दी गई ?

(३) इस तहसील में अब कितनी बीघा भूमि किस-किस मौजा में कितनी-कितनी ऐसी है जो काबिल काश्त होकर अलॉट करना है ?

उत्तर

(१) ७३८ ।।। बीघा ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

Page No.120

स्टेटमेंट नौतोड़ भूमि काश्तकारान को एलॉट की गई उस बाबत, तहसील डूंगला

नं. शु.	नाम मोजा	नाम काश्तकार	रकबा जो एलोट किया गया	कैफियत
१	छापरी	श्री भेरा पिता उदा गाडरी	३) बीघा	
२	,,	श्री घीसा पिता मोड़ा गाडरी	१०)	
३	,,	श्री गमेरा पिता बरदा लुहार	३)	
४	,,	श्री धना पिता भेरा गमेती	५)	
५	रोड़जीका खेड़ा	श्री उदा पिता मेघा भील	१०)	
६	तितरड़ा	श्री हरलाल पिता उदा जाट	८)	
७	,,	श्री पेमा पिता पुरा रावत	४)	
८	,,	श्री हजारी पिता गिरधारी बन्जारा	५)	
९	,,	श्री अमरा पिता गिरधारी बन्जारा	५)	
१०	,,	श्री सवा पिता परथा बन्जारा	४||)२	
११	,,	श्री देवा पिता धन्ना बन्जारा	५)	
१२	,,	श्री भावसिंह पिता गिरधारी बन्जारा	५)	
१३	,,	श्री भेरा पिता गिरधारी बन्जारा	५)	
१४	मन्डफिका	श्री सरला पिता कालू खटीक	३)	
१५	फलोदड़ा	श्री पेमा रतना पिता नेता रावत	७)	
१६	तेज पुरा की ढाणी	श्री मागु पिता तुलछा गमेती	१०)	
१७	खेताखेड़ा	श्री उदा पिता हेमा गमेती	७) बीघा	
१८	डूंगला	श्री कस्तूरनाथ पिता कालूनाथ	३||)	
१९	,,	श्री सेवा पिता देवा गूजर	५)२	
२०	,,	श्री हजारी पिता लछमन कुम्हार	२||)१	
२१	,,	श्री मांगीलाल पिता देवीलाल रफ	|)१	
२२	,,	श्री फुलपुरी पिता धनपुरी गुसाईं	३)	
२३	माताखेड़ा	श्री खीमा पिता रूपा मेघवाल	२||)२	
२४	झाड़सादड़ी	श्री गमेरा पिता बाला, भूरा पिता तेजा मेघवाल	३)	
२५	,,	श्री गिरधारी पिता गोदड़ मेघवाल	१०)	गांव वालों के झगड़ा
२६	,,	श्री भेरूलाल पिता गोदड़ मेघवाल	४)	होने से बाया कैंसिल
२७	जेतपुरा	श्री डालू पिता नेगाजी लुहार	७)	हो चुकी है
२८	भारोली बागरीयान	श्री मांगू पिता लालू लोहार	७)	
२९	लखमीपुरा	श्री नारान पिता नानुराम बलाई	४)	
३०	,,	श्री भेरा पिता देवा गाडरी	३|)३	

Page No.121

१	२	३	४	५
३१	लखीमपुरा	श्री भंवरलाल पिता करीराम, चत्रभुज पिता करीराम बाबर	७)बीघा	
३२	मोरवन	श्री सागरमल पिता गेंदीलाल जारोरी	५।)	
३३	,,	श्री राजमल पिता गोकुल ब्रातनल	७॥)	
३४	,,	श्री भावसिंह पिता प्रथा बन्जारा	३।)१	
३५	,,	श्री शंकरलाल पिता सकविंग महाजन	२।)३	
३६	,,	श्री दोला पिता नवला गाडरी	२)	
३७	,,	श्री दला पिता भजा गाडरी	२)	
३८	,,	श्री हीरालाल पिता जीवराज जैन	६)	
३९	,,	श्री ममेरसिंह वगैरा पिता जोरसिंह	१४॥)	
४०	,,	श्री गुदयासिंह पिता भूरसिंह	५)४	
४१	,,	श्री बालु पिता धुलालाल	२॥)	
४२	,,	श्री हैमराज पिता गोदा बलाई	४।)१	
४३	,,	श्री बरधा पिता देवा सेली	४)	
४४	,,	श्री दोला पिता देवा रावत	४)	
४५	,,	श्री नानालाल पिता जीवराज	५॥)	
४६	,,	श्री हजारी पिता मेघा बन्जारा	५)	
४७	,,	श्री जोधा पिता रूपा गाडरी	३॥)	
४८	,,	श्री लछमीलाल पिता चम्पालाल	७)	
४९	,,	श्री उदा पिता चूना कुम्हार	१॥)	
५०	,,	श्री रूपा पिता सूरजमल अहीर	१०।)२	
५१	,,	श्री अम्बालाल पिता खेमराज ब्रातनल	१०)	
५२	,,	श्री रतनालाल पिता परथा लोहार	१०)	
५३	वजीरा बाड़ उर्फ बख्शी खेड़ा	श्री हीरा पिता पदमा रावत	११।)१	
५४	,,	श्री मोती नवसा, घीसा पिता पदमा रावत	५॥)३	
५५	,,	श्री चौखा पिता पदमा	३)	
५६	पालोद	श्री उदा पिता गनेश डांगी	१)	
५७	,,	श्री लखमा पिता ऊंकार रावत	३॥)	
५८	,,	परथा पिता ऊंकार रावत	३)	
५९	,,	बरधा पिता ऊंकार रावत	१०)	
६०	,,	रूपा पिता भोला डांगी	४)१	
६१	,,	श्री केशा पिता भजा रावत	६)	
६२	अरनेड़	श्री नेणा पिता रूपा रावत	५)	

१	२	३	४	५
६३	अरनेड़	श्री ऐरा पिता भाना तेली	५) बीघा	
६४	,,	श्री भगा पिता सवा मेघवाल	४)	गांव वालों से झगड़ा होने से कैंसिल हो चुकी है।
६५	,,	श्री शंकर पिता बरदा मेघवाल	२)	
६६	,,	श्री गवा पिता भीमा भील	५)	
६७	,,	श्री फतुलाखां पिता मुजफ्फरखां पठान	२)	
६८	किशन करेरी	श्री एरीया पिता मोड़ा गमेती	१०)	
६९	,,	श्री ऊंकार पिता रूपा ब्राह्मण	५।)	
७०	अरथला	श्री किशना पिता मना रावत	७)४	
७१	,,	श्री नारान पिता कुशाल मेघवाल	४)४	
७२	संगेसरा	श्री खेमा पिता हरिया भील	१)	
७३	पराना	श्री सीताराम पिता गंगाराम नकासी	३)	
७४	,,	श्री परताव पिता नानजी हजूरी	३)	
७५	,,	श्री कालू पिता नका कुम्हार	३)	
७६	,,	श्री रामा पिता सवा खटीक	५)	
७७	,,	श्री मोतीसिंह पिता अमरसिंह राजपूत	१०)	
७८	,,	श्री मोहनसिंह पिता अमरसिंह राजपूत	१०)	
७९	,,	श्री शंकरसिंह पिता भेरूंसिंह राजपूत	६॥)४	
८०	सेमा का पीला खेड़ा	श्री गफूर खां पिता नथेखां मुसलमान	४)	
८१	,,	श्री रामा पिता हीरा भाम्बी	५।)४	
८२	,,	श्री मोती पिता तुलछा ओड़	४)	
८३	,,	श्री गोटू पिता जेता तेली	४)	
८४	,,	श्री कालूखां पिता ननेखां	६।)	
८५	,,	श्री गोटू पिता काना डांगी	२)	
८६	सेमलीया पीला खेड़ा	श्री लालपुरी पिता नरकपुरी गुसाई	४	
८७	,,	श्री हगामी पिता लालू ओड़	३।)	
८८	,,	श्री नारान पिता नन्दा डांगी	४)	
८९	,,	श्री नन्दपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई	४)	
९०	भीन्ड	श्री जेता पिता मोती गमेती	८)	
९१	सांगरिया	श्री फुला पिता हरलाल ओड़	१५)	
		श्री लछमन पिता डूंगा कुम्हार	१४।)	
९२	,,	श्री दौला वल्द परथा गूजर	१॥)१	एलोट शुदा आराजी नहीं लेने से कैंसिल हुई।
९३	रामाखेड़ा	श्री सूरजमल पिता कुदा रावत	४)	
९४	,,	श्री गोकल पिता चतरभुज सुथार	५)	

१	२	३	४	५
९५	रामाखेड़ा	श्री परथी वल्द धना बन्जरा	१०)बीघा	
९६	टीला खेड़ा	श्री लछा पिता सना गमेती	२)	
९७	दौलतपुरा	श्री हरलाल मोती पिता रामा रावत	७।)४	
९८	चरालेला	श्री गोकुल पिता भजा माली	१०)	
९९	,,	श्री हजारी पिता नागन नायक	६)	
१००	भूतखेड़ा	श्री भंवरलाल पिता भागु कुलमी	४)	
१०१	आजमपुरा	श्री चोखा पिता धना बन्जारा	५)	
१०२	तालाऊ	श्री तमिरा पिता हीरा हजूरी	३)	
१०३	देवली	श्री उदा पिता तारू मेघवाल	५)	
१०४	भावरा	मांगूदास पिता नाथूदास	१५)	
१०५	,,	श्री भगा पिता परथी काखेलिया	५)	
१०६	,,	श्री गिरधारी पिता कजोड़ नाई	५)	
१०७	फतह चिकारा	श्री देवा पिता धना बलाई	५।)	
१०८	निमोदड़ा	श्री भगवान रामु कुलमी	।।)४	
१०९	नंगपुरा	श्री दुरगा वल्द रूपा बन्जारा सी० आजमपुरा	४)	
११०	पगारा	श्री किशनसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत	१०)	
१११	सूजाखेड़ा	श्री मोड़ा पिता घासी भाम्बी	२।)३	
			५९७।)४	

(१९५७-५८को दी गई)

१	सेमलिया पीलाखेड़ा	श्री गोटू पिता नारान डांगी	५।)३ बीघा	
२	रनवाखेड़ा	,, लछीराम पिता दोला दर्जी	२)	
३	भूतखेड़ा	,, भीमा पिता लछीराम गाडरी	५)	
४	मोरवन	,, किशना पिता चूना कुम्हार	२।।)।	
५	,,	,, लाला पिता रतना बन्जारा	६)	
६	,,	,, प्रताप पिता किशना खटीक	३।)	
७	,,	,, किशना पिता धना बन्जारा	४।।।)	
८	,,	,, मोती पिता उदा ,,	५।।।)३	
९	दौलतपुरा	,, पेमा वल्द मोती बन्जारा	६।।)	
१०	इवरा	,, शंकरदास वल्द भैरुदास बेरागी	५)	
११	देवाखेड़ा	,, मोतीराम पिता नानूराम बेरागी	८)	
१२	,,	,, प्रताप पिता नारान ढोली	८)	

१	२		४	५
१३	गरदाना	श्री नाथू पिता हमेदा नाई	५) बीघा	
१४	वजीरपुरा	,, एला वल्द भाना लुहार	३)	
१५	करसाना	,, लाला वल्द तिलोठ ब्राह्मण	२)	
१६	रहईखेड़ा	,, भजा वल्द दामा भील	५)	
१७	मावरा	,, शान्ताबाई बेवा किशोरीलाल ब्राह्मण	५)	
१८	अहीरोंकाखेड़ा	,, धूला पि. गोकल अहीर	१)	
१९	पालोद	,, नवला पिता ऊंकार गमेती	७॥)	
२०	चकतिया	,, तुलसीराम पिता लछमनदास बैरागी	२)	
२१	,,	,, ऊंकार पिता कालू हजूरी	४)	
२२	रामाखेड़ा	,, ऊंकार पिता भीमाराम कुम्हार	३)	
२३	सुरेड़ा	,, भेदा पिता भीमा भील	२)	
२४	भाटोली	,, गोदड़ पिता मोती महतर	२।)२	
२५	,,	,, चम्पा पिता रोड़ा कुम्हार	६)	
२६	,,	,, नारान पिता काना महतर	४)	
२७	,,	,, ऊंकारनाथ पिता ऐला	३॥)	
२८	,,	,, नारान पिता फता	६)	
२९	देवली	,, तुलसा पिता भेदा गमेती	६॥)३	
३०	,,	,, लालू पिता जीवा भोपा	२॥।)	
३१	चिकादड़ा	,, ऊंकार पिता सवदान नायक	५)	
			११४।)१	

प्रश्न

भाव ग्रस्त क्षेत्र हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता

८१७. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में अभाव की स्थिति के बारे में भारत सरकार को कब २ सूचना दी गई ?

(ख) भारत सरकार ने राजस्थान के अभावग्रस्त क्षेत्र के लिए क्या सहायता प्रदान की या क्या २ सहायता भविष्य में देने को कहा है ?

(ग) क्या अभावग्रस्त क्षेत्र के लिए मोटा अनाज भेजने की व्यवस्था की जायगी ?

उत्तर

(क) भारत सरकार को सर्व प्रथम सूचना दिनांक ८ नवम्बर, १९५७ को दी गई तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह दिन के बाद पाक्षिक प्रतिवेदन भेजी जाती है।

(ख) इस वर्ष संवत् २०१४ में खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से जो अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसके लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई और न देने को ही कहा है।

(ग, अवश्य की जायगी; यदि मोटा अनाज उपलब्ध हो सके।

प्रश्न

बी. डी. ओ. — उदयपुरवाटी

८१८. श्री नरपतसिंह (जालौर) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उदयपुरवाटी बी. डी. ओ. के विरुद्ध अनियमितताओं की कोई शिकायत विकास आयुक्त के पास आई है ?

(ख) यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) शिकायत तकावी वितरण, ग्रान्ट-इन-एड देने व कर्मचारियों के साथ असंतोष-जनक व्यवहार करने के सम्बन्ध में थी। इसकी जांच कर ली गई है। शिकायत में तत्व नहीं पाया गया।

प्रश्न

तकावी ऋण

८१९. श्री मोघजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या घाटोल तहसील के काश्तकारों से तकावी की रकम में से नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के नाम से रुपया ले लिया गया ? यदि हां, तो किन २ से तथा किसके आदेश से ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रकम किसी व्यक्ति विशेष को दी गई थी ? यदि हां, तो कितने रुपये दिए गए ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त रकम को घाटोल तहसीलदार ने उस व्यक्ति से तीन माह बाद जब्त करके रेवेन्यू खाते में जमा कर लिया ?

उत्तर

(१) जी हां, श्री दलजी भाई ने लिया। किसी अधिकारी ने आदेश नहीं दिया।

(२) जी हां। दलजी भाई सरपंच तहसील घाटोल ने ७०२) विभिन्न १४० काश्तकारों से लिये थे।

(३) उक्त रकम से केवल ५००) बतौर अमानत तहसील में जमा हुए जो अब तक चले आ रहे हैं।

प्रश्न

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-जिलाधीश कार्यालय, पाली

८२०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले में कलेक्टर कार्यालय से नवम्बर, दिसम्बर सन् १९५७ व जनवरी, १९५८ में चतुर्थ श्रेणी के किन २ कर्मचारियों का किस विभाग से किस दूसरे विभाग में स्थानान्तर किया गया ?

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित जो सक्यूलर तारीख २८-९-५७ को निकाला गया है उसको पूरा अमली रूप दिया जा रहा है ?

उत्तर

(१) पाली जिले में नवम्बर, दिसम्बर सन् ५७ व जनवरी, १९५८ में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानान्तर किया गया :-

१. श्री रामसिंह, कलेक्टर कार्यालय तहसील पाली से
२. श्री रघुनाथ, तहसील पाली, कलेक्टर पाली
३. भैरूखां, कलेक्टर पाली, झुंझुनू उसकी प्रार्थना पर
४. श्री जगनसिंह, डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर झुंझुनू जागीर पाली उसकी प्रार्थना पर
५. श्री जेठा, कलेक्टर पाली तहसील जेहराना
६. श्री नरपत तहसील जेहराना तह. सोजत साईकिल सवार
७. श्री बुद्धसिंह, ट्रेजरी ऑफिस तह. खारची पाली
८, श्री लालसिंह, कोर्ट ऑफ वार्ड्स ट्रेजरी ऑफिस पाली सेक्शन कलेक्टर पाली
९. श्री मानमल एस. डी. ओ. तह. बाली, पाली
१०. श्री रामसिंह तह. पाली तह. खारची उसकी प्रार्थना पर

(२) जी नहीं। २८-६-५७ को कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ।

(३) जी नहीं।

प्रश्न

अल्प-बचत योजना

८२१. श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा) : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५७ में अल्प बचत योजना अधिकारी की ओर से जिला झालावाड़ में जिला भर के पटवारियों को किस २ स्थान पर इकट्ठा किया गया था ?

(ख) जिले भर से किस केन्द्र पर कितने कितने पटवारी आये थे ?

(ग) उपरोक्त योजना के बारे में बुलाये गये पटवारियों का कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

(क) सन् १९५७ में राष्ट्रीय बचत योजना अधिकारियों ने झालावाड जिले में झालावाड तथा अकेलरा स्थानों पर पटवारियों को इकट्ठा किया।

(ख) झालावाड में ३७ तथा अकलेरा में ८६ पटवारियों की उपस्थिति रही।

(ग) कुल खर्च ८०२) रुपया हुआ।

(घ) सही नहीं है।

प्रश्न

तहसीलदार बौनली द्वारा सवाई चक भूमि का वितरण

८२२. श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) Is it a fact that in many cases the Tehsildar, Bonli, Distt. Sawai Madhopur, has allotted the Sawai Chak land, on the very day when the applications were presented ?

(b) If so, whether the allotment was legal, if not, whether any action has been taken against the Tehsildar ?

(c) If so, what is the number of such cases ?

Page No.127

उत्तर

(a) No Sir.
(b) The question does not arise.
(c) The question does not arise.

प्रश्न

बारां के बाढ़ग्रस्त हरिजन व आदिवासी परिवार को दी गई सहायता

८२३. श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) २२ जुलाई, १९५७ में बारां नगर में आई बाढ़ द्वारा कितने हरिजन एवं कितने आदिवासी परिवार बेघरबार हुए ?

(२) क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब, तथा उक्त परिवारों को सरकार द्वारा क्या मदद दी गई ?

(३) क्या उक्त परिवारों को दुबारा बसाने के लिये सरकार Low Housing Scheme के अन्तर्गत कोलोनी बनाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) १२७ परिवार ।
(२) दिनांक १ अगस्त, सन् १९५७ को । जांच विभागीय निरीक्षक द्वारा कराई गई ।
(३) समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई मदद नहीं दी गई ।
(४) Low Income Housing Scheme का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है ?

प्रश्न

कॉटेज इण्डस्ट्रीज जयपुर में बुनाई विभाग की समाप्ति

८२४. श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कॉटेज इन्डस्ट्री, जयपुर में से बुनाई विभाग को समाप्त कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो जयपुर शहर के पचास हजार बुनकरों की भलाई हेतु इसके समकक्ष और क्या व्यवस्था की गई ?

उत्तर

(१) हां ।
(२) बुनकरों के हितार्थ हाथ-कर्घा बोर्ड की स्थापना की गई है जो बुनकरों को सभी प्रकार की सहायता देता है ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २४ मार्च, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४४६६	७-८	इसका प्रयत्नों करते हैं।	इसका प्रयत्न करते हैं।
,,	१०-११	उसका सहायता देना	उसको सहायता देना
४४६७	शीर्ष	तारांकित प्रश्नोत्त	तारांकित प्रश्नोत्तर
४५१२	१२	बक शुरू हुई !	कब शुरू हुई !
४५१३	२१	(लणकरनसर)	लूणकरनसर
४५२४	अन्तिम से ६	पुनर्गहीत जागीरें	पुनर्ग्रहीत जागीरें
४५२७	७	(क) के अन्तर्गगत	(क) के अन्तर्गत
४५३५	अन्तिम से ३	कोर्ट ऑफ वाड्से,	कोर्ट ऑफ वार्ड्स,
४५४३	६	leades to disconten ment	leads to discontentment
४५४५	अन्तिम	: यह सहीं नहि है।	: यह सही नहीं है।
४५४८	शीर्ष	४५४	४५४८
४५७०	२३	,क क्या उस	कि क्या उस
,,	२४	रूिप को फिर से	रूप को फिर से
४५८९	अन्तिम	मानीयन	माननीय
४५९७	१४	नेशनेलाइज़्ड टैक्स बुक्स	नेशनेलाइज़्ड टैक्स्ट बुक्स
४६०६	१९-२०	मनी स्वीजिंग की पॉलिसी	मनी स्क्वीज़िंग की पॉलिसी
४६१४	१०	employm nt	employment
४६२२	११	वइ कैसे देश का	वह कैसे देश का
४६२४	शीर्ष	-२४ मा, च ५८	-२४ मार्च, ५८
४६६३	२०-२१	compulsory edueation	compulsory education
४६४३	२३	becausc of	because of
४६५१	अन्तिम से ६	उसीकी बदली	उसकी बदली
४६५३	अन्तिम से ३	reasson is	reason is
४६५८	अन्तिम से ३	उनको डसोकरेण्ड	उनको डिस्करेज़्ड
४६६५	१९	क्योंकि विद्यार्थियों का	क्योंकि विद्यार्थियों का
४६७१	२	अतिरिक्त खच	अतिरिक्त खर्च
४६७४	१२	शिक्षा का दुभाग्य	शिक्षा का दुर्भाग्य
,,	१९	अमुख विभाग में	अमुक विभाग में

१	२	३	४
४६७८	१७	के अमुसार	के अनुसार
४६८४	१२	हमारे जिले ९ लाख की	हमारे जिले की ९ लाख की
४६९०	अन्तिम से २	भंग हुआ।	भंग हुआ।
४७०४	३	पल्लिसिटी वान,	पब्लिसिटी वान,
४७०९	अन्तिम से ४	Of rice	of rice
४७१०	३ (४ था कॉलम)	३, ००	३,०००
४७१५	६	hove b en formed	have been formed
४७१८	१२ (३ रा कॉलम)	श्री गुदया सिंह	श्री गुरदयालसिंह
४७२१	२१	भाव स्त क्षेत्र हेतु	अभावग्रस्त क्षेत्र हेतु